खण्ड-338, अंक-8
गुरूवार, 20 वैशाख, शक संवत् 1901
(10 मई, 1979 ई0)

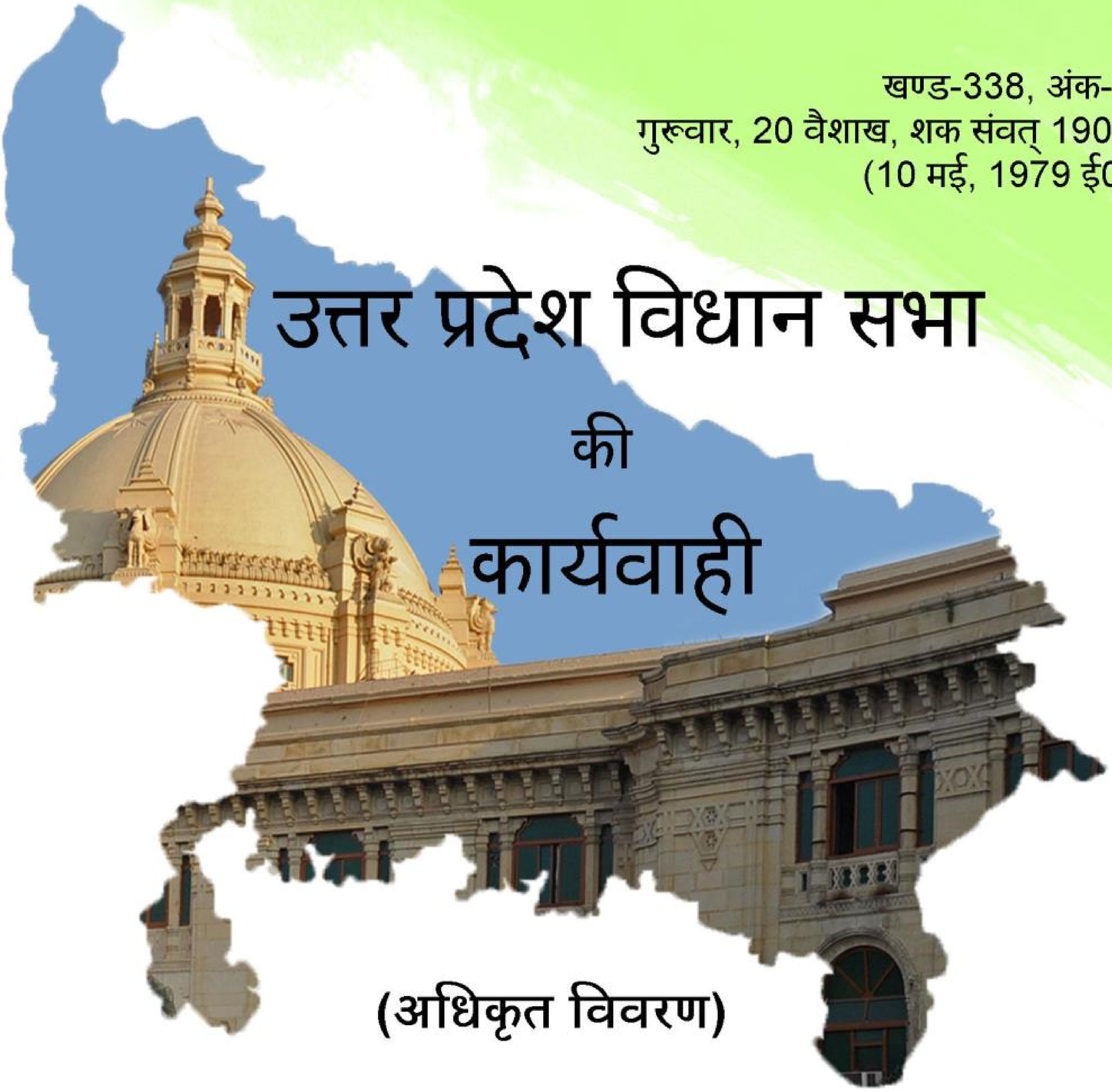

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 338 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1980

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय--सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..	863–866
प्रश्नोत्तर	..	867–891
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न	..	891–894
बहराइच जनपद की भिनगा तहसील के कतिपय ग्रामों में अग्निकाण्ड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना		895–
जनपद इलाहाबाद के विकास क्षेत्र शंकरगढ़ के कतिपय ग्रामों में पेय जल का अभाव के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के के संज्ञान लाना	...	895 896
मथुरा जनपद में बाढ़ एवं वर्षा के जल की निकासी की व्यवस्था न किये जाने विषय को नियम 301 के अन्तगत सदन के संज्ञान में लाना	..	896–
देवरिया जिले की पडरौना तहसील में हो रही चकबन्दी में धांधली की शिकायत को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..	897–
बाराबंकी के ग्राम डूंडी में अग्निकाण्ड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..	897–898
शासन के आश्वासन के बावजूद हड़ताल से वापस हुए नगरपालिका कर्मचारियों के साथ प्रताड़ना की कार्यवाही किये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान लाना	..	898–
दिल्ली की रैली में भाग लेने के लिए जाते हुए अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों पर दादरी स्टेशन पर हुए हमले के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..	899–902
विधूना विधान सभाई क्षेत्र, इटावा में ओलावृष्टि से क्षति तथा राहत कार्य की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..	903–
सीतापुर की मिश्रिख तहसील के कतिपय ग्रामों के किसानों से ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे के जुर्माने की अवैध वसूली के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..	904–
जिला लखीमपुर, ग्राम जैती व फिरोजपुर में बसे कृषकों की भूमि को उनके नाम एलाट किए जाने की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..	904–905
बांदा जनपद की नरैनी तहसील के अन्तर्गत भूमि संरक्षण विभाग द्वारा लाखों रुपये के घपले तथा अन्य अनियमितताओं के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..	905–906
वित्त मंत्री के बजट भाषण में रोमन लिपि का प्रयोग तथा अन्य कार्यों में अंग्रेजों के प्रयोग के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (जारी)		906–909

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री आरिफ मोहम्मद खां की सूचना स्वीकार न किये जाने पर उनके द्वारा रोष प्रकट किये जाने पर आपत्ति ..	909–911
वित मंत्री के बजट भाषण में रोमन लिपि का प्रयोग तथा अन्य कार्यों में अंग्रेजी के प्रयोग के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	911–912
उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976 (पटल पर रखी गई) ..	912–
यू0 पी0 स्टेट हैण्डलूम एण्ड पावर लूम फाइनेन्स एण्ड डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि0, कानपुर की तृतीय वार्षिक रिपोर्ट, 1975–76 (पटल पर रखी गई) ..	912–
उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर का सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन 1975–76 एवं अष्टम वार्षिक प्रतिवेदन 1976–77 (पटल पर रखे गये) ..	912–
उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 1971–72, 1972–73, 1973–74, 1974–75 और 1975–76 का छठवां, सातवां, आठवां, नवां एवं दसवां वार्षिक प्रतिवेदन और कार्य विवरण (पटल पर रखे गये) ..	913–
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, कानपुर का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन, 1975–76 (पटल पर रखा गया) ..	913–
स्वायत्त शासन अनुभाग–2 की अधिसूचना (पटल पर रखी गई) ..	914–
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के पुनरीक्षित कार्यक्रम का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	914–
विधान सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन 31 मई, 1979 तक कराने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	914–915
16 तारीख को होने वाली रैली पर रोक लगाने के सम्बन्ध में पूछताछ ..	915–
दिनांक 25 अप्रैल, 1978 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 22 का उत्तर गलत दिये जाने के सम्बन्ध में थानाध्यक्ष महोली (बस्ती) के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की सूचना ..	916–917
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना ..	917–
1979–80 के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत) ..	917–949
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	949–950
दिल्ली की रैली में भाग लेने के लिए जाते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों पर दादरी स्टेशन पर हुए हमले के सम्बन्ध पर चर्चा ..	950–969
विधान सभा की कतिपय समितियों तथा शासन की स्थायी समितियों में वर्ष 1979–80 में कार्य करने के लिये सदस्यों के लिये नाम निर्देशन के लिय श्री उपाध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव स्वीकृत ..	969–970
नत्थियाँ ..	971–973

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 10 मई, 1979

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—273

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इसमाईल श्री
ईशदत्त यादव, श्री
उदयनाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
कासिम हसन, श्री
कुदसिया नेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गिरधारी लाल, श्री
गुरुजेश्वर, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चन्द्रसेन सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदा, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री

जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देव राम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नाभूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भंसोरा, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुबांठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
वसंत, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल "सरोज", श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बिन्दू लाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बृज वल्लभ सिंह, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज वल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भाभी, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्मू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री

मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मूल चन्द्र, ठाकुर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविल, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम सेवन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम शरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमन सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
लखमी सिंह, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शत्रुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री

सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिन्धु)
सुरेन्द्र पाल, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरबीर सिंह, श्री
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरि चरन यादव, श्री (एडवोकेट)
हरी राम वर्मा, श्री
हरी सिंह, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द्र तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट--श्रम मन्त्री श्री क्रान्ति कुमार तथा स्वायत्त शासन मन्त्री श्री रामाधार पाण्डेय भी सदन में उपस्थित थे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, 10 मई, 1979 ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गेहूं की सरकारी खरीद के लिये बोरों की व्यवस्था

**1—श्री नरेन्द्र सिंह (जिला मेरठ), श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा), श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया), श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर) तथा श्री गोकरन प्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि गेहूं की सरकारी खरीद के लिए खाद्य विभाग, एफ० सी० आई०, सहकारी समितियां आदि अभी तक बोरों (गनी बैग) की कोई व्यवस्था नहीं कर पाई हैं जब कि पंजाब तथा हरियाणा सरकारों ने भारत सरकार से मिलकर बोरों की व्यवस्था कर ली है ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के किसानों में घोर असन्तोष को देखते हुए, सरकार ने बोरों की व्यवस्था के लिए क्या प्रयास किए हैं और कब तक बोरे गेहूं की खरीद केन्द्रों पर पहुंच जायेंगे ? इस वर्ष गेहूं की सरकारी खरीद में किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए सरकार ने क्या कोई विशेष प्रबन्ध किए हैं ?

खाद्य मन्त्री (श्री मलिखान सिंह)—

गेहूं की सरकारी खरीद के लिए खाद्य विभाग, एफ० सी० आई० एवं सहकारी समितियों (पी० सी० एफ०) द्वारा बोरों की व्यवस्था की गई है जिन्हें प्रत्येक क्षेत्र में क्रय केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने हेतु भेजा गया है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डी० जी० एस० डी० के माध्यम से ही अन्य प्रदेशों की भांति प्रदेश सरकार के खाद्य विभाग को भी बोरों की व्यवस्था की जाती है। डी० जी० एस० डी० तथा भारत सरकार से सतत् सम्पर्क जारी है ताकि बोरों की पूरी मात्रा निर्धारित समय से उपलब्ध हो जाय।

पंजाब तथा हरियाणा सरकारों द्वारा बोरों की व्यवस्था हो चुकी है कि नहीं, इसकी जानकारी खाद्य विभाग को नहीं है। किसानों को बिचौलियों से बचाने हेतु आदेश दिये गये हैं कि यथा सम्भव किसान का गेहूं अस्वीकृत न किया जाय और निर्धारित गुण-निर्दिष्टियों के अनुरूप न पाये जाने पर क्रय केन्द्रों पर उपलब्ध छलनों से साफ कराकर ले लिया जाय जिससे किसानों को बिचौलियों की शरण में न जाना पड़े। क्रय केन्द्रों की संख्या भी पूर्व वर्ष की तुलना में अधिक कर दी गयी है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। गेहूं की खरीद के सम्बन्ध में कितने बोरों की आवश्यकता है और अब तक कितने बोरे हमारे पास आ चुके हैं और कितने बोरों के आने की सम्भावना है ?

श्री मलिखान सिंह—

मान्यवर, चूंकि इस साल अनुमान लगाया गया है कि पिछली बार से इस साल खरीद लगभग दो गुने की होगी। मैं इस समय की खरीद के बारे में भी माननीय सदन को बता देना चाहता हूं कि पिछली बार कल की तारीख तक जितने

खरीदा गया था, उससे दो गुने की खरीद हो चुकी है। अनुमान है कि सवा दो करोड़ बोरे लगेंगे। 71 लाख की व्यवस्था इस समय हमारे पास है। ढाई लाख के करीब बोरे रोजाना बनारस पर आते हैं और उसी हिसाब से वितरण किया जा रहा है।

श्री नरेन्द्र सिंह--

सरकार ने डी० जी० एस० डी० को कितने बोरों का इंडेंट किया था और कितने बोरे प्राप्त हुये हैं। मेरी निश्चित जानकारी है कि बोरों की बहुत कमी है।

श्री मलिखान सिंह--

मान्यवर, डी० जी० एस० डी० को करीब दो करोड़ बोरों के लिये कहा गया है। उन्होंने 96 लाख बोरे तुरंत इस महीने में और उसके बाद आगे जून में उपलब्ध कराने की बात की है, तो जिस तरह से हमारी खरीद होती जा रही है, उधर बोरे आते जा रहे हैं। किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। आज भी हमने जितनी खरीद की है उससे दो गुने बोरों का स्टाक भिन्न-भिन्न एजेन्सियों को बांटा है।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)--

मान्यवर, क्या खाद्य मंत्री बतलायेंगे कि बोरों को खरीदने का आदेश समय पर खाद्य विभाग ने नहीं दिया इस कारण से मिलने में कमी हो रही है ?

श्री मलिखान सिंह--

मान्यवर, ऐसी बात नहीं है। पिछली बार दिसम्बर में किया था। लेकिन अब की बार अगर अक्तूबर, नवम्बर में कर दिया जाता तो संभव था कि कलकत्ता में जो हड़ताल हुयी उसका असर न पड़कर कुछ बोरों की किश्तें पहले मिल जातीं और स्टाक एक करोड़ बोरों का हो जाता। लेकिन व्यवस्था ठीक चल रही है, कहीं बोरों की कमी नहीं होने पायेगी। दिल्ली से वार्ता हो रही है, एफ० सी० आई० और दूसरे प्रांतों से बोरे लायें जायं, इसके लिये बराबर बैठकर विचार किया जा रहा है कि किसी तरह ऐसा संकट न आये जिससे हमारा गेहूं बाहर पड़ा रहे।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि कठिनाई नहीं होने दी जायगी। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि नये बोरों का 2 करोड़ का इंडेंट दिया है। उसमें 96 लाख बोरे इस माह के अन्त तक आ जायेंगे। बाकी बोरे जून तक आयें, तो यह बात सही है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि जैसे पहले होता था जो बोरे पिछले साल दे दिए गए हैं, उनमें से कुछ बोरे इकट्ठा नहीं किए जा रहे हैं। क्या दो करोड़ बोरे यह एजेंसियां ही देंगी या इस प्रदेश से भी कुछ इकट्ठे किए जायेंगे ?

श्री मलिखान सिंह--

कुछ खाली बोरे जैसे हमारे यहां खाद्यान्न योजना में गल्ला गया, उसके बोरे हैं, उनको लेने का प्रयत्न किया जा रहा है। कुछ मिलिटरी के बोरे और इसी प्रकार जहां-जहां बोरे उपलब्ध होते हैं, वहां से सरकार लेने का प्रयत्न कर रही है और उनको क्रय एजेन्सियों पर सरकार भेजने की व्यवस्था बराबर कर रही है।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जैसा बताया कि क्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ा दी गई है, तो क्या इस बात की व्यवस्था की गई है कि क्रय केन्द्रों पर जो गेहूं खरीदा जाता है, उसके स्थायी भंडारण की व्यवस्था और परिवहन की व्यवस्था की गई है। अन्यथा बरसात होने से गेहूं सड़ सकता है जैसे कि पहले हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जब कि एफ० सी० आई० द्वारा एक बोरे की कीमत 4 रुपये कुछ पैसे है और बाजार में उसकी कीमत 6 रुपये है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एफ० सी० आई० के पुराने एजेन्ट, जिन पर बोरे बकाया हैं, वह कीमत के बजाय बोरे ले रहे हैं, मन्त्री जी ने बताया कि 70 लाख बोरे स्टाक में हैं, तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि 70 लाख में से कितने बोरे पुराने एजन्टों को बांटे गए और नई खरीद के लिए उन्होंने कितने बोरे सुरक्षित बना रखे हैं ?

श्री मलिखान सिंह--

मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि एफ० सी० आई० ने प्रति बोरे की कीमत 4.20 रुपये की जगह पर 5.45 रुपये कर दिया है। लेकिन प्रान्तीय सरकार ने लिखा है कि इससे हमको घाटा होगा, इसलिए आप इसकी कीमत को कम करें, क्योंकि आपके और बाजार रेट में लगभग 80 पैसे का फर्क पड़ता है और पंजाब सरकार कमीशन ज्यादा लेती है, इसलिए उसके आधार पर हमको आज्ञा दी जाय। इस पर भारत सरकार विचार कर रही है। यह कहना गलत है कि 4.20 रुपये बोरे की कीमत है बल्कि 5.45 रुपये तो पहले ही है और उसके बाद भी कुछ पैसे बढ़ाने की बात है। लेकिन इस सम्बन्ध में लिखा जा चुका है। मान्यवर, कितने बोरे पी० सी० एफ० और एफ० सी० आई० को दिए इसके बारे में मैं बता सकता हूं, लेकिन कितने बोरे केन्द्रों पर दिए इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि विभिन्न क्रय केन्द्रों पर जो बोरे भेजे गए हैं, उनमें प्रदेश में कहीं से कोई शिकायत मिली है कि किसानों को बोरे देने से इंकार कर दिया जाता है और वह बोरे व्यापारियों के घरों में भेज दिए जाते हैं। हरदोई में माधवगंज केन्द्र जो कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा चलाया जा रहा है, वहां पर इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं, तो क्या मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे।

श्री मलिखान सिंह--

यह बात गलत है कि बोरे व्यापारियों को दे दिए जाते हैं। मान्यवर, हर एक क्रय केन्द्र पर एक रजिस्टर बना दिया गया है, जिस पर किसानों का नाम लिखा जाएगा और उसके बाद जो गेहूं रिजेक्ट किया जायेगा, उसका सैम्पुल भरा जायेगा और उस किसान का नाम लिखा जायगा और कारण लिखा जायेगा कि किस

कारण उसका गेहूं रिजेक्ट किया गया । इस तरह के आदेश शासन के हर एजेन्सी के पास पहुंच गए हैं । जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, वह मार्केटिंग की बात है, उसकी जांच करायेंगे ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि तराई बीज निगम डायरेक्ट कलकत्ता से बोरे खरीदती है, जिसकी कीमत 3 रुपये 67 पैसे और 2 लाख से ज्यादा बोरे खरीदा है तो जो बता रहे 5.20 रु० या 6 रु० बोरे खरीदने की बात, तो यह क्यों खरीद रहे हैं ?

फिर प्रश्न को साफ कर देता हूं । आपका तराई बीज निगम जो सरकार की एजेन्सी है, लाखों बोरे रु० 3.67 में खरीदा है । तो क्या इसकी जांच करायेंगे और आपका विभाग 6 रुपये म क्यों बोरे खरीद रहा है, क्या इसकी जांच करायेंगे कि इतने मंहगे बोरे क्यों खरीदे जा रहे हैं ?

श्री मलिखान सिंह—

मान्यवर, हम तो बोरे खरीदते नहीं । वह तो एफ० सी० आई० खरीदते हैं । चूंकि कलकत्ते म बोरों की शार्टेज होने के कारण भाव ऊंचा हो गया । तराई बीज निगम ने क्या भाव में खरीदा, इसमें सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री ऊदल—

उसी जानकारी के लिए तो कह ही रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी कृपया जानकारी करा लें ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि बोरों की व्यवस्था पर्याप्त कर दी गई है और बाकी करने की व्यवस्था की जा रही है । मान्यवर, मुझे सूचना मिली है रुद्रपुर और किच्छा आदि से कि वहां बोरों के अभाव में खरीद बन्द है और जितने बोरे गए थे, वह परचेजिंग सेन्टर में पड़े हुए हैं । ट्रान्सपोर्ट उनके पास नहीं है कि उन बोरों को भन्डारण ग्रह में ले जाया जाय, तो क्या इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि वहां बोरे भेज जायं और जो माल खरीद लिया गया है, उसके भन्डारण ग्रह में ठीक से रखने की व्यवस्था की जा सके ?

श्री मलिखान सिंह—

मान्यवर, पश्चिमी जिलों में तराई का इलाका भी आता है । उसमें बोरों की आवश्यकता अधिक पड़ेगी । उसके लिए कल ही एफ० सी० आई० से बात की है । मैंने कहा कि आप अपने स्टाक से 4 लाख तुरन्त दे दें । आज ही कल में उस क्षेत्र में बोरे पहुंच जायेंगे ।

श्री देव बहादुर सिंह—

ट्रान्सपोर्ट वाली बात भी है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

यह जो समस्या उत्पन्न हुई है, इसके मूल में वह बात भी निहित है कि भारत सरकार ने किसानों को अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए जो भन्डारण की व्यवस्था की थी, वह व्यवस्था हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तथा अन्य प्रदेशों में तो की, लेकिन भारत सरकार ने उस महत्वपूर्ण योजना को उत्तर प्रदेश सरकार के पचासों विधायकों की याचिका के बाद भी ठुकरा दिया, जिससे किसानों को बड़ी क्षति उठानी पड़ रही है। तो क्या यह चीज उसमें निहित है ?

श्री मलिखान सिंह--

मान्यवर, भन्डारण की व्यवस्था एफ० सी० आई० करती है गेहूं के लिए। हमारे यहां इसकी कोई शिकायत नहीं है कि फलां केन्द्र से एफ० सी० आई० को गेहूं गया और उन्होंने लौटाया। इसलिए जब तक शिकायत न हो तब तक कैसे कह सकते हैं। लेकिन यह एफ० सी० आई० का काम है कि भन्डारण करे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भन्डारण की कमी आपके स्टेट में नहीं होने देंगे कि जिससे गेहूं लौट कर जाय।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)--

श्रीमन, बोरों की चर्चा बड़ी गम्भीर चल गई और मन्त्री जी बिचारे सीधे हैं। मुझको कुछ ज्ञान हुआ है विश्वस्त सूत्रों से कि इन बोरों को जो पहले की तस्करी सरकार थी, इससे पहले की, वह करोड़ों बोरे जैसे बाजरा बेच दिया ऐसे बोरों को बेच दिया और उनकी पूर्ति हो नहीं पा रही है क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि मेरी बात सत्य है या गलत है ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी इजाजत नहीं देता।

ग्राम सेवक संघ का सम्मेलन

**2--श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ) तथा श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 23, 24, 25 अप्रैल, 1979 को जो ग्राम्य सेवक संघ, उत्तर प्रदेश का लखनऊ में सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन द्वारा कोई मांग-पत्र शासन को दिया गया था ? यदि हाँ, तो वह मांग-पत्र क्या है और उन मांगों को मानने में सरकार को क्या कठिनाइयां हैं ?

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री जमुना प्रसाद)--

दिनांक 23, 24, 25-4-79 को लखनऊ में हुए ग्राम सेवक संघ के सम्मेलन द्वारा पारित कोई मांग-पत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है अतः मांगों को स्वीकार करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मंजूर अहमद--

मान्यवर, मन्त्री जी ने कहा है कि ग्राम सेवक संघ के नेताओं से शासन को मांग-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। उनके सम्मेलन का उद्घाटन, तो किया है कृषि मन्त्री ने और उनको मांग-पत्र 23 तारीख को दिया है। समापन किया है 23 तारीख को, माननीय दिघे जी वित्त मन्त्री ने और उसी रोज ललित कान्त जी

[श्री मंजूर अहमद--]

इनके विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी हैं, उनको भी मांग-पत्र दिया है । इस सम्बन्ध में मन्त्री जी को पिछले साल भी ग्राम सेवकों ने मांग-पत्र दिया था । कृपया बतलायें कि पिछले साल का जो मांग-पत्र था, उसमें अब तक क्या किया गया और इस सम्बन्ध में क्या करने जा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया है ।

श्री मंजूर अहमद--

स्वीकार नहीं किया, तो क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 23 तारीख को माननीय कृषि मन्त्री और वित्त मन्त्री को मांग-पत्र प्राप्त हुआ और आपके विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी को भी मांग-पत्र प्राप्त हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप इस तरह से पूछिए कि उनकी कोई मांगें हैं और अगर हैं तो कौन-कौन सी मांगें हैं ?

श्री मंजूर अहमद--

वही तो पूछ रहा हूं ।

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, इसकी कोई सूचना नहीं है कि क्या कृषि मन्त्री और वित्त मन्त्री वहां गए और क्या उनको मांग-पत्र दिया गया । जो उप सचिव की बात कही गयी है, उनको भी मांग-पत्र नहीं मिला ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके विभाग में या ध्यान में कभी कोई भी ग्राम सेवक की कोई माँग आई ? यदि हां, तो वह मांग क्या थी और सरकार ने उस पर क्या विचार किया ?

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, प्रश्न यह है कि जो 23, 24 और 25 अप्रैल, 1979 को ग्राम्य सेवक संघ का सम्मेलन हुआ था, उसमें मांग-पत्र प्राप्त हुआ था ....

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ....

श्री उपाध्यक्ष--

नेगी जी ने जो प्रश्न किया, वह यह है कि क्या माननीय मन्त्री जी के पास पिछले मांग की सूचना है ? यदि हो, तो बतायें ?

श्री जमुना प्रसाद--

हमारे पास कोई सूचना नहीं

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि 23, 24, 25 तारीख को ग्राम्य सेवक संघ के सम्मेलन के बारे में कोई जानकारी है ? यदि है, तो उस सम्मेलन के किन-किन बातों पर विचार किया गया ?

श्री जमुना प्रसाद--

हमारे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री मंजूर अहमद--

क्या ग्राम सेवक संघ की एक मांग यह भी है कि उनका निदेशालय अलग हो और उनका वेतन मान 250 से 400 रु० तक हो ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसे तो उन्होंने माना ही नहीं ।

श्री देव बहादुर सिंह--

जब से मन्त्री महोदय ने यह पद संभाला है तब से लेकर आज तक ग्राम सेवक संघ के कुछ पदाधिकारी क्या उनसे मिले और मिलने के बाद कोई मांग-पत्र उनको दिया ? दूसरे क्या कृषि मन्त्री और वित्त मन्त्री जो ग्राम सेवक संघ के सम्मेलन में गए थे और उन्होंने जो मांग-पत्र दिया था, तो क्या ग्राम विकास मन्त्री जी को वह मांग-पत्र भेजा गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री जमुना प्रसाद--

मैंने पहले भी कहा था कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, लिहाजा वित्त मन्त्री अथवा कृषि मन्त्री द्वारा मांग-पत्र मिलने का कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता । जिस सम्मेलन का जिक्र किया जा रहा है, उस सम्मेलन के बाद मुझसे कोई भी डेलीगेशन नहीं मिला ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

क्या मन्त्री महोदय, वित्त मन्त्री तथा कृषि मन्त्री से मांग-पत्र लेकर उनकी मांगों पर कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद--

मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, अगर उनकी ओर से कोई मांग-पत्र आया तो उस पर विचार कर लिया जायगा ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

जो अधिवेशन की बात है, तो क्या उसके पहले कोई मांग-पत्र माननीय मन्त्री को दिया गया था ?

श्री जमुना प्रसाद--

23, 24 तथा 25 को अधिवेशन हुआ । उसमें मुझे कोई मांग-पत्र नहीं मिला ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

तारीख के बारे में कौन तय करेगा सवाल अधिवेशन का हो रहा है···

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्नकर्ता ने अपने को बांध रखा है 23, 24 तथा 25 से लेकिन फिर भी मैंने इजाजत दे दी । अब प्रश्न के बाहर जा कर मैं उनको किसी तरह से बाध्य नहीं कर सकता कि वह उत्तर दें ।

श्री देव बहादुर सिंह--

व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने पूछा था जब से ग्राम सेवक संघ का सम्मेलन हुआ, उस दिन से लेकर आज तक कोई प्रतिनिधि मन्डल उनका मन्त्री जी से मिला और उसने प्रतिवेदन दिया ?

श्री शतरुद्र प्रकाश--

आप प्रश्नोत्तर काल में व्यवस्था का प्रश्न लेंगे तो प्रश्नोत्तर काल नहीं चल पायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं व्यवस्था के प्रश्न की इजाजत नहीं देता ।

चन्द्र शेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर में तोड़-फोड़ एवं आगजनी की घटना

**3--श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि 30 अप्रैल, 1979 या उसके आस-पास चन्द्र शेखर कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर में कुलपति तथा डीन के आवास में तोड़-फोड़ व आगजनी तथा छात्रों द्वारा कुलपति का घेराव करने के कारण विश्व-विद्यालय अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो छात्रों की मुख्य-मुख्य क्या मांगें थीं ? यथाशीघ्र विश्वविद्यालय खुलवाने व शान्ति व्यवस्था के लिए सरकार ने तत्काल कौन-कौन से कदम उठाये ?

कृषि मन्त्री (श्री शिव मंगल सिंह)--

26 अप्रैल, 1979 को चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण (Dean Students Welfare) के कार्यालय के लिपिक खजांची तथा एक छात्र के बीच स्कालरशिप के भुगतान के प्रश्न पर झगड़ा हुआ था जिसमें लिपिक खजांची को चोटें आई थीं । कार्यवाहक कुलपति के आदेशानुसार लिपिक खजांची का स्थानान्तरण कर दिया गया था तथा संबंधित छात्र को निलम्बित कर दिया गया था । इस पृष्ठभूमि में छात्रों में तथा गैर तकनीकी कर्मचारियों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी । दिनांक 30 अप्रैल, 1979 को चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में छात्रों द्वारा कुलपति के आवास पर कुलपति एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का घेराव करने के अलावा कुलपति के आवास तथा विश्वविद्यालय परिसर में कुछ अन्य भवनों में तोड़-फोड़ तथा अधिष्ठाता कृषि संकाय के आवास पर तोड़-फोड़ तथा आगजनी की गई । छात्र हिंसात्मक कार्यवाही पर उतारू थे । अतएव विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा परिसर में रहने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों की जान व माल की सुरक्षा की दृष्टि से विश्वविद्यालय के कानपुर परिसर में कृषि महाविद्यालय में शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया गया है ।

छात्रों की मांग यह थी कि निलम्बित छात्र श्री गनेशी लाल सागर का निलम्बन आदेश तुरन्त वापस लिया जाये तथा झगड़े से संबंधित लिपिक एवं खजांची श्री रमाशंकर बाजपेयी को तुरन्त निलम्बित किया जाय ।

विश्वविद्यालय में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला प्रशासन के परामर्श से विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस तैनात कर दी गई है तथा छात्रों से छात्रवास खाली करा लिए गए हैं ।

कृषि विश्वविद्यालय में शान्तिमय वातावरण में शिक्षण कार्य पुनः प्रारम्भ करने के पूर्व दिनाँक 26-4-79 से 1-5-79 के बीच घटित घटनाओं की जाँच कार्यवाहक कुलपति ने डिसिप्लिन कमेटी को सौंप दी है । कमेटी की रिपोर्ट पर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के बाद शिक्षण कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ करने पर विश्वविद्यालय द्वारा विचार किया जायगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, झगड़ा क्यों हुआ, उसमें कौन दोषी पाया गया, किसको दन्डित किया जायेगा, उसके बारे में एक डिसिप्लिन कमेटी का गठन किया गया, जो कि अपनी रिपोर्ट देगी और तब इसके बारे में निश्चय किया जायेगा । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय बन्द होने के कारण विद्यार्थियों को जो क्षति हो रही है, उसको दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं कि विश्वविद्यालय खुल जाय और पढ़ाई शुरू हो जाय ?

श्री शिव मंगल सिंह--

मान्यवर, खजांची और छात्र के बीच में जो झगड़ा हुआ था, उसके सम्बन्ध में एक डिसिप्लिन कमेटी बनी है, जो छानबीन करके देखगी कि कौन दोषी है कौन नहीं है । उसके बाद ही विश्वविद्यालय खोलने की कार्यवाही की जायगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं जानना चाहता था कि कमेटी तो अनुशासनात्मक कार्यवाही देखने के लिए हुई है, वह तो होता रहेगा किन्तु वहाँ बहुत से शन्ति प्रिय विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो पढ़ना चाहते हैं और कुलपति के पास वे गये थे कि विश्वविद्यालय को खोलने का प्रयास किया जाय, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है जिससे वहाँ पर अध्यापन कार्य शुरू हो जाय ?

श्री शिव मंगल सिंह--

मान्यवर, ऐसी बात नहीं है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है जब छात्र वहाँ पर गये हुये थे, विश्वविद्यालय खुला था, उसी दिन सारा झगड़ा और लूटपाट वहाँ पर की गई । इसलिए जब तक वहां पर पूर्ण शाँति न स्थापित हो जाय तब तब उसे खोलना और कक्षायें चलाना उचित नहीं है । उसके बाद ही विश्वविद्यालय खोलने का प्रयास किया जायगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

इस बात को देखते हुये कि इस झगड़े को अब काफी दिन हो गए हैं और अब उनका गुस्सा शाँत हो गया होगा, क्या मन्त्री जी छात्र नेताओं को बुलाकर ऐसा वातावरण तैयार करेंगे ताकि विश्वविद्यालय में काम शुरू हो सके ।

श्री शिव मंगल सिंह--

मान्यवर, सरकार प्रयत्नशील है कि जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके और कक्षायें खोली जा सकें ताकि लड़कों की पढ़ाई का हर्जा न हो ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

खजांची और छात्र में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था ?

श्री उपाध्यक्ष--

स्कालरशिप के सम्बन्ध में झगड़ा हुआ था । यह तो उत्तर में ही है ।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

क्या खजांची ने छात्र को स्कालरशिप दिया ही नहीं था । झगड़े की जड़ क्या थी ? क्या कारण था ?

श्री शिव मंगल सिंह--

मान्यवर, वह गनेशी लाल दूसरे हैं, माननीय सदस्य नहीं हैं । जो झगड़ा हुआ था वह इस बात पर हुआ था कि गनेशी लाल छात्रवृत्ति का भुगतान कराने के लिए खजांची के पास गये हुये थे और उसमें जो फार्म होता है उसमें एक औपचारिकता होती है, जो भरनी होती है सम्बन्धित हेड आफ दि डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिये जिसको बगैर पूर्ति किये वह छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं कर सकते । इस बात को लेकर झगड़ा हुआ ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जिस बात को लेकर झगड़ा हुआ और विश्वविद्यालय बंद हुआ और उसके कारण अभी भी सामान्य वातावरण शिक्षा का नहीं बना, तो क्या मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि उस वजीफे का भुगतान कर दिया गया है यदि नहीं, तो क्यों और कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री शिवमंगल सिंह--

ऐसी सूचना मुझे अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

इसी बात पर तो झगड़ा हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब उनके पास सूचना नहीं है तो वह क्या बतायेंगे ।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में जो छात्र गिरफ्तार हुए थे क्या वे रिहा हो गये हैं या अभी जेल में बंद हैं ।

श्री शिवमंगल सिंह--

मान्यवर, छात्रों के खिलाफ जो एफ० आई० आर० दर्ज हुई थी उसमें वारंट इश्यू हो गये हैं लेकिन अभी तक गिरफ्तारी की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

इण्टर कालेज, सगवर, जिला उन्नाव के अध्यापकों की मांगें

**4—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि इण्टर कालेज, सगवर, जिला उन्नाव के अध्यापकगण की ओर से 8 मई, 1979 से आमरण अनसन शुरू करने के सिलसिले में अप्रैल, 1979 के चौथे सप्ताह में शासन को कोई सूचना मिली ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और शासन ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाश नाथ सिंह)—

जी हां, अध्यापकों की मांगें संलग्नक में दी हैं जिनपर शासन द्वारा जांच कराई जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 971 पर)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, इण्टर कालेज सगवर, जिला उन्नाव के प्रधानाचार्य और प्रबंधक दोनों मिल कर उस विद्यालय के 29 अध्यापकों में से 14 अस्थायी अध्यापकों को निकालने का षड़यंत्र कर रहे हैं ? इण्टर और कक्षा 9 की विज्ञान की कक्षायें भी तोड़ दी हैं । इस सिलसिले में उन्नाव जिला बोर्ड के सदस्य, विधायक और संसद सदस्यों ने भी शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया । क्या माननीय मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि उक्त कालेज के प्रबंधक, प्रधानाचार्य इन अध्यापकों को निकालने का षड़यंत्र न कर सकें और यह अध्यापक न निकाले जा सकें । दूसरी बात यह कि प्रधानाचार्य शास्त्री हैं जो अंग्रेजी के बिना बी० ए० के समकक्ष नहीं माना जा सकता है । अभी 2 मई, 1979 को कानपुर यूनिवर्सिटी ने एम० ए० हिन्दी और संस्कृत की जो डिग्रियां उनको दी थी वह वापस लेने के आदेश दिये थे तो यह देखते हुए इस प्रधानाचार्य को सेवा से च्युत करेंगे और उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा रजिस्टर करेंगे ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

मान्यवर, दो प्रश्न माननीय सदस्य ने एक साथ पूछे हैं जो एक ही प्रश्न मे निहित हैं । पहला प्रश्न यह था कि जिन अध्यापकों को निकालने की कार्यवाही संभावित है क्या उनको नहीं निकाला जायेगा, तो मैं इसकी सूचना दे दूं कि जब तक कोई कक्षा समाप्त नहीं की जाती तब तक किसी अध्यापक को निकालने का सवाल ही नहीं उठता । किसी कक्षा को समाप्त करने का प्राविधान शिक्षा विभाग की ओर से नहीं किया गया है दूसरी बात आपने तो बड़ी कमजोर मांग की है कि उसकी सेवा निवृत्ति कर दी जाय, किन्तु यह तो स्पष्ट फोरजरी—420 का केस है, जिससे इसमें और भी गम्भीर कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा है । इसमें मुकदमा पुलिस में दायर कर दिया गया है, जब तक वहां से फसला नहीं हो जाता, विभागीय कार्यवाही करने का इसमें प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

उनकी जो पहली मांग है, उसके सन्दर्भ में क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि कि किसी तरह से यह कक्षाएं समाप्त न हों, जिससे उनके द्वारा उनकी सेवाएं समाप्त होने का उन्हें भय न रहे ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जहां तक विज्ञान और जीव विज्ञान की कक्षाओं की समाप्ति का प्रश्न है, इस संबंध में पर्चे छपवाकर प्रवेश हेतु बांटे गये, उसके बाद अखबारों में निकाला गया। उसके बाद भी संख्या नहीं आ पाई, जो किसी प्रकार जुट पाई, वह 20 छात्र आये। लेकिन शिक्षा विभाग के एक नियम के अनुसार यदि 5 भी छात्र हों तो अध्यापक रख देते हैं। इसलिए किसी कक्षा के अध्यापकों की सेवा समाप्ति का कोई प्रश्न नहीं है, वे अपनी जगह हैं और हटाने का कोई प्राविधान नहीं किया है।

श्री ऊदल—

साधिकार नियंत्रक नियुक्त करने के बारे में मंत्री जी का इसमें क्या विचार है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

इस आमरण अनशन के प्रारम्भ होने से पूर्व विभाग में इसे नियुक्त करने की कार्यवाही की जा रही है। सम्बन्धित रिपोर्ट आ गई है, अब उसे देखेंगे, यदि ज्यादा अनियमितताएं होंगी, तो डी–5, अन्यथा डी–4 की कार्यवाही होगी। संघ ने जो अनशन प्रारम्भ किया था, वह भी अब समाप्त हो गया है और इस संबंध में प्राप्त श्री कमलेश नाथ अवस्थी के पत्र को भी मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं "निवेदन है कि शिक्षक विधायक श्री सुरेश चन्द्र सक्सेना से उक्त प्रकरण पर आपसे हुई वार्ता के उपरान्त जिसमें आपने शिक्षकों की सेवायें समाप्त न करने, जीव विज्ञान की कक्षायें चलाने तथा विद्यालय की व्यवस्था को समुचित रूप से चलाने के लिए तत्काल आदेश निर्गत करने का आश्वासन दिया, विद्यालय के शिक्षक एवं उ० प्र० मा० शि० संघ की जिला शाखा इस निष्कर्ष पर पहुंची कि प्रस्तावित अनशन को स्थगित कर दिया जाय।

अतः मैं आपके निवास पर प्रस्तावित अनशन के स्थगन की सूचना देते हुये आपको धन्यवाद देना अपना कर्तव्य समझता हूं तथा आशा करता हूं कि आपके न्याय से शिक्षकों का महान हित साधन होगा।"

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

मंत्री जी, उक्त संस्थान में कब तक साधिकार नियंत्रक नियुक्त कर देंगे ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

इसकी एक प्रक्रिया है, रिपोर्ट आ चुकी है, उसका परीक्षण कर रहे हैं, बहुत जल्दी ही इसे कर दिया जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा—

उक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रबन्धक की निरंकुशता के कारण कुछ अध्यापकों को 4–5 साल से वेतन नहीं मिल रहा है, कुछ की वेतन वृद्धि रुकी हुई; और कुछ का प्राविडेन्ट फण्ड नहीं काटा जा रहा है, तो क्या मन्त्री जी इस सिलसिले में भी कोई कार्यवाही करने का आश्वासन देंगे ?

श्री कैलाशनाथ सिंह—

यह सही है कि 7 अध्यापकों का वेतन बकाया है, 7 को वेतनवृद्धि नहीं मिली है। इसी कारण विभाग की ओर से 4/5 बार इन्हें लिखा गया, उस पर

भी नहीं किया गया तो डी-2 की कार्यवाही करने के लिए लिखा गया है। इन्हीं अनियमितताओं के कारण साधिकार नियन्त्रक प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता पड़ी है। यह आश्वासन की बात पहले आ चुकी है, उनके वेतन भुगतान की कार्यवाही शीघ्र करने जा रहे हैं।

तारांकित प्रश्न

हरदुआगंज पावर हाउस में अग्निकाण्ड

*1—श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 8 अप्रैल, 1979 को हरदुआगंज पावर हाउस (विद्युत् गृह) में आग लग गयी थी और उससे विद्युत गृह को बन्द करना पड़ा था ? यदि हां, तो आग लगने का क्या कारण था और कुल कितने की क्षति हुई ?

विद्युत मन्त्री (श्री रेवती रमण सिंह)—

जी हां। दिनांक 8-4-79 को प्रातः लगभग 6-25 बजे 'कोल कन्वेयर प्लान्ट' के 'कन्वेयर' संख्या 6, 2 (अ) व 2 (ब) में आग लगी थी।

जी नहीं।

आग लगने के कारणों की जानकारी हेतु एक उच्च स्तरीय जांच समिति की नियुक्ति की गई है। इस अग्नि दुर्घटना में लगभग रुपये 3.5 लाख की क्षति होने का अनुमान है।

श्री राम अधार—

यह आग 8-4-79 को सवा चार बजे लगी और विद्युत मंत्री अपने उत्तर में मानते हैं कि कोल कनवेयर प्लांट में आग लगी, यह सही है, तो आग लगने के बाद कितने घंटे के अन्दर आग बुझी ?

श्री रेवतीरमण सिंह—

सवा चार बजे नहीं, 2-25 पर आग लगी। अलीगढ़ से दमकल आने में दो घंटा लगा। दस बजे तक आग बुझी इस तरह से ढाई, तीन, साढ़े तीन घंटे तक आग लगी हुई थी।

श्री राम अधार—

उत्तर में आया है कि विद्युत गृह को बन्द नहीं करना पड़ा। कोल कनवेयर प्लांट ऐसी चीज है इसमें आग लगने से पावर स्टेशन में कोल की सप्लाई बन्द हो जाती है। ढाई, तीन, चार घंटे तक आग बुझाने में लग। मैं जानना चाहूंगा कि आपके उत्तर से स्पष्ट है कि कई घंटे आग बुझाने में लगे, क्या विद्युत गृह बन्द था, इसकी जांच करेंगे कि विद्युत सप्लाई बन्द थी ?

श्री रेवतीरमण सिंह—

मान्यवर, विद्युत सप्लाई बन्द नहीं थी। वहां चार कनवेयर हैं। नम्बर 6 का 2 (अ) व (ब) बन्द हो गये थे। लेकिन विद्युत सप्लाई जारी रही, नम्बर 3 के (अ) और (ब) कनवेयर को चालू रख कर। इसलिए विद्युत सप्लाई बन्द नहीं हुई।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 8-4-79 की घटना की जांच करने के लिए कमेटी कब बनायी गयी, उसकी रिपोर्ट कब तक आ जायगी, । इस कमेटी ने कोई अन्तरिम रिपोर्ट भी शासन को दी है कि आग लगने का क्या कारण था, और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रेवतीरमण सिंह—

मान्यवर, यह कमेटी जिस रोज आग लगी थी उसके दूसरे रोज बना दी गयी थी । उस कमेटी को दो महीने का समय दिया गया है । छानबीन करके रिपोर्ट देने के लिए । दो महीने पूरे होने पर वह रिपोर्ट आ जायेगी । अभी कोई अन्तरिम रिपोर्ट कमेटी ने नहीं दिया है ।

*2—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

[4थे गुरुवार के लिए स्थगित ।]

नगरपालिका, प्रतापगढ़ की जलोत्सारण योजना

*3—श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1978-79 में प्रतापगढ़ नगरपालिका के लिए क्या कोई जलोत्सर्ग योजना विचाराधीन है ? अगर हो, तो अब तक की प्रगति क्या है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री रामाधार पाण्डेय)—

नगरपालिका, प्रतापगढ़ के लिये जलोत्सारण योजना वर्ष 1978-79 से विचाराधीन है ।

योजना का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है जिसकी तकनीकी जांच की जा रही है ।

श्री संगम लाल—

मान्यवर, इसमें कहा गया है कि टेक्निकल कमेटी की जांच की जा रही है । मेरी सूचना को सही मानकर कि पिछले आम चुनाव के समय कांग्रेस के एक मंत्री उसका उद्घाटन भी किया था कि वहां सीवर सिस्टम लगाया जा रहा है, क्या इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को नहीं है ?

श्री रामाधार पांडेय—

मान्यवर, कांग्रेस के किस मंत्री ने और कब उदघाटन किया यह तो नहीं मालूम है । इतना मालूम है कि यह 1 करोड़ 25 लाख की योजना है और जिसका सर्वेक्षण हो गया है, उसके चार्ट और प्लान बन गये हैं । तकनीकी डिपार्टमेंट संस्तुति करता है । ऋण के लिए नगरपालिका आवेदन करती है और मन्जूरी के बाद काम चालू किया जाता है । यह 4 साल के बाद बनकर तैयार हो जायेगा । यह प्रोसेस में है । उसका शिलान्यास किसने किया है, इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री संगम लाल—

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उदघाटन होने के बाद इसमें ज्यादा प्रगति नहीं हो पायी है । वहां की जनता में यह क्षोभ व्याप्त है क कांग्रेसय

पार्टी के समय में इसका शिलान्यास हुआ था और जब से जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसमें ढील आ गयी है तो माननीय मन्त्री जी इसको कब तक पूरा कराने का प्रयास करेंगे ?

श्री रामाधार पान्डेय—

मान्यवर, मैंने कहा कि प्रोसेस चल रहा है । इसका उद्घाटन कब हुआ, इसकी जानकारी माननीय सदस्य मुझे दे दें, मैं कार्यवाही करूंगा ।

राज्य विद्युत परिषद व कर्मचारियों के बीच समझौता

*4—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गोकरन प्रसाद—

क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1978 अथवा जनवरी, 1979 में राज्य विद्युत परिषद के कर्मचारियों की हड़ताल वापसी के समय परिषद एवं कर्मचारियों के बीच में कोई समझौता हुआ था ? यदि हां, तो उसकी बातें क्या थी तथा उनके कार्यान्वयन की प्रगति क्या है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां, दिनांक 20-12-78 को बिना शर्त हड़ताल वापस लिये जाने के उपरान्त दिनांक 19 जनवरी, 1979 को कर्मचारियों एवं विद्युत परिषद के मध्य एक समझौता हुआ था जिसकी प्रतिलिपि संलग्न* हैं ।

समझौते की मद संख्या 1 के अन्तर्गत संघर्ष कमेटी ने वेतन पुनरीक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद् को प्रस्तुत कर दिया था तथा समझौते की मद 3 के अनुसार परिषद् ने इन प्रस्तावों के वित्तीय भार के आकलन के लिए एक समिति दिनांक 23-3-79 को गठित की जिसकी बैठकें की जा चुकी हैं और संस्तुति प्रतीक्षित है । इसके प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही समझौते की मद 2 के अनुसार की जावेगी । इस बीच परिषद द्वारा घोषित वेतनमानों को लागू करने तथा उसके अनुसार बकाये धनराशि के भुगतान के आदेश मद संख्या 3 के अनुसार पारित किये जा चुके हैं ।

समझौते की मद संख्या 4 व 5 के अन्तर्गत संघर्ष कमेटी द्वारा अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित है ।

समझौते की मद संख्या 6 के अनुसार भूतपूर्व लाइसेन्सधारियों से हस्तान्तरित कर्मचारियों के फिटमेंट तथा अन्य वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए दो समितियों के गठन हेतु विद्युत परिषद का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हो गया है । कर्मचारी संगठनों से उनके प्रतिनिधियों के नाम मांगे गये थे परन्तु विद्युत् कर्मचारी संघर्ष कमेटी की संस्तुति अभी प्राप्त नहीं हुई है । इसके प्राप्त होने पर संबंधित समितियों का गठन कर दिया जायगा ।

समझौते की मद संख्या 7 के अनुसार कर्मचारियों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में परिषद् ने उपयुक्त आदेश पारित कर दिये हैं तथा मद संख्या 8 के अनुसार सिक्योरिटी गार्डों की सेवा नियमावली बना ली गई है और उसके अन्तर्गत अनुबन्ध फार्म पर हस्ताक्षर कराकर सिक्योरिटी गार्डों को काम पर वापस ले लिया गया है ।

---

*देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 972 पर ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मद संख्या 1, 2 और 3 जिनके सम्बन्ध में कमेटियां बनीं और फिर दूसरी बन रही हैं। इसी तरह से मद संख्या 6 के सम्बन्ध में भी कमेटी गठित की गयी है। कमेटी बन जाती है और उनकी संस्तुतियां देर से आती हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में अन्तिम रूप से कार्यवाही कब तक पूरी हो जावेगी ?

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि कमेटी के लिए नाम मांगे गये हैं। जैसे ही नाम आ जायेंगे, कमेटी गठित कर दी जायेगी। बाकी मदों के लिए संघर्ष समिति और राज्य विद्युत परिषद की कई मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका 17 करोड़ रुपये के अन्दर ही हमें भुगतान करना है। जैसे ही उन दोनों के बीच फैसला हो जाता है, उन मद का भुगतान कर दिया जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, वेतन नवीनीकरण के मामले बहुत दिनों से लटके आ रहे हैं। तमाम समझौते हुए हैं लेकिन उनमें से किसी का पालन नहीं हुआ है। अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि 3 मार्च के करीब इस सम्बन्ध में कमेटी गठित की है, जिसकी बैठकें चल रही हैं। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि कमेटी जल्दी से अपनी रिपोर्ट दे दें और शासन उसको शीघ्र ही स्वीकार कर ले। अगर कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देती है, तो शासन उस पर कब तक निर्णय ले लेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, उसमें कोई समय की बात नहीं है। विद्युत परिषद ने अपनी ओर से 7 करोड़ का प्रस्ताव बना रखा है, लेकिन जब तक संघर्ष समिति की ओर से रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक हम कोई अंतिम फैसला नहीं ले सकते हैं। ऐसा है कि अगर संघर्ष समिति और राज्य विद्युत परिषद में अगर कोई समझौता नहीं होता है तो लेबर कमिश्नर के यहां पर मामला चला जाता है। लेकिन मैं यह उचित समझता हूं कि यह मामला संघर्ष समिति और राज्य विद्युत परिषद के बीच तय हो जाये और मैं इस बारे में प्रयत्नशील भी हूं और जैसे ही 7 करोड़ के अन्दर उनकी मांगे आ जाती हैं, तुरन्त फैसला कर दिया जायेगा। कोई विलम्ब नहीं होगा, फैसला कर दिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मद संख्या 1, 2 और 3 के बारे में शासन की कमेटी काम कर रही है। मद संख्या 6 के बारे में नाम नहीं दिए जा रहे हैं, उसका क्या कारण है ? वे परिषद् की गतिविधियों से असंतुष्ट हैं और असहयोग के कारण ही वे नाम नहीं दे रहे हैं। वे कोआपरेट नहीं कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो इससे नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

तो मैं मान्यवर दूसरा प्रश्न किए ले रहा हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है । मद संख्या 7 के बारे में यह तय हुआ था कि कोई भी कर्मचारी उत्पीड़ित नहीं किया जायेगा । वह आदेश क्या है, जो जारी किया गया ?

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, अभी तक सभी जगह से रिपोर्ट नहीं आ पायी है । मैंने यह निर्देश दिया है कि 15 दिन के अन्दर यह रिपोर्ट मंगा ली जाये । कर्मचारियों के साथ ही साथ विद्युत परिषद का भी नुकसान होता है । रिपोर्ट मंगा कर मुख्य मंत्री जी को भेज दी जायेगी उन्होंने भी लिखा था कि रिपोर्ट शीघ्र भेजें और जो तोड़-फोड़ में नहीं रहे हैं उन्हें इससे छुटकारा दिलाया जा सकता है ।

श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि फिटमेंट के लिए कितनी बार कमेटियां बनायी गयी हैं और उनका फिटमेंट कब तक हो जायेगा ? जल विद्युत कर्मचारी और अधिग्रहीत कर्मचारियों की समस्याओं में अन्तर है, तो क्या माननीय मंत्री जी अधिग्रहीत कर्मचारियों के फिटमेंट के लिए जो कमेटी बनायी जायेगी, उसमें उनका प्रतिनिधि होगा ?

श्री रेवती रमण सिंह--

कर्मचारियों के फिटमेंट के लिए 2 समितियां बनी हैं, उसमें 3 प्रतिनिधि होंगे । एक संघर्ष समिति का, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाइज यूनियन का और एक प्रतिनिधि राज्य विद्युत परिषद् का होगा । अभी तक उनके नाम नहीं आये हैं । कमेटी की जैसे ही रिपोर्ट आती है उसका कार्यान्वयन कर दिया जायेगा ।

श्री श्यामदत्त पालीवाल--

अधिग्रहीत कर्मचारियों की समस्यायें अलग हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी उनका भी एक प्रतिनिधि कमेटी में रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह--

इसमें तय यही हुआ था कि विद्युत संघर्ष समिति के और हाइडिल इम्पलाइज यूनियन के प्रतिनिधि रहेंगे । यह सम्भव नहीं हो सकता कि और अन्डरटेकिंग्स के भी प्रतिनिधि बुलाये जायें क्योंकि यदि एक के बुलायेंगे, तो औरों को भी बुलाना पड़ेगा । इसमें काफी देर लग जायेगी। पालीवाल जी किसी अन्डरटेकिंग में होंगे, तो उनको हम बुला लेंगे जिससे जल्दी हो सके ।

श्री ऊदल--

मंत्री जी ने बताया कि संघर्ष समिति ने अभी तक नाम नहीं भेजे हैं, तो क्या सरकार नाम शीघ्र भेजने के लिए कोई रिमाइन्डर भेजेगी ? दूसरा प्रश्न यह है कि बहुत से जिन लोगों पर मुकदमें चल रहे हैं, उसकी रिपोर्ट सरकार किसी आदमी को भेज कर शीघ्र मंगवायगी क्योंकि अधिकारी उन कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं ?

श्री रेवती रमण सिंह--

पहले प्रश्न के उत्तर में यह निवेदन कर दूं कि संघर्ष समिति के लोगों से तो प्रत्येक दिन मुलाकात होती रहती है, मैं फिर उनसे आग्रह करूंगा और लिखित

भी भेज दूंगा। दूसरे के सम्बन्ध में यह कहना है कि मैंने स्वयं 15 दिन का समय दे दिया है कि उस समय के अन्दर ही रिपोर्ट अवश्य आ जानी चाहिये। मैं चाहता हूं कि एक महीने के अन्दर ही यह निर्णय हो जाये और जो कर्मचारी तोड़फोड़ के मामले में नहीं फंसे हैं, वे छोड़ दिये जायें।

*5--श्री प्रदीप कुमार यादव--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

मैनपुरी जिले में अस्पताल की स्थापना की मांग

*6--श्री बलबीर सिंह (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि एटा, जिले मैनपुरी के अस्पताल की इमारत आज से लगभग तीन चार साल पहले (30 शैया वाली) स्वीकृत हुई थी? यदि हां, तो वह आज तक क्यों नहीं बन पाई? क्या उसे शीघ्र बनवाने पर विचार किया जायेगा?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)--

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य चिकित्साधिकारी डा० के० कुमार, जिला उन्नाव के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*7--श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (डा० के० कुमार) के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमितता बरतने के सम्बन्ध में 5 जनवरी, 1979 से 9 अप्रैल, 1979 तक कितने शिकायती पत्र मंत्री जी को प्राप्त हुए? उनमें मुख्य शिकायतें क्या थीं? तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री रमाशंकर कौशिक--

जनपद उन्नाव के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (डा० के० कुमार) के विरुद्ध प्रश्नगत अवधि में दो शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं। इन पत्रों में की गई मुख्य शिकायतें निम्न प्रकार हैं :--

(1) अस्पतालों के लिए दवाओं तथा अन्य सामान के क्रय में अनियमितता।

(2) मलेरिया फार्मों के मुद्रण में अपव्यय तथा अनियमितता।

(3) दवाओं के लाइसेन्स बनाने में अनियमितता।

(4) अस्पताल के कर्मचारियों से घरेलू कार्य लेना।

(5) सरकारी वाहन का दुरुपयोग।

(6) अधीनस्थ कर्मचारियों पर ढीला नियंत्रण।

(7) डी० डी० टी० का बचना।

(8) जनपद में मद्य निषेध के बावजूद प्रतिदिन अत्यधिक मद्यपान का सेवन ।

(9) लोगों के साथ दुर्व्यवहार ।

(10) अधीनस्थ कर्मचारियों के स्थानान्तरण में पैसा लेना तथा भ्रष्ट कर्मचारियों को प्रश्रय देना ।

उपरोक्त पत्रों में उल्लिखित शिकायतों की जांच करायी जा रही है ।

श्री राम नरायन वर्मा--

मेरी निश्चित जानकारी है कि 9 शिकायती-पत्र तो जनता विधान मंडल पार्टी की तरफ से गए हैं, जनता की तरफ से भी 4 टेलीग्राम गए हैं और भी शिकायतें गयीं हैं, तो क्या मंत्री जी सब को कलेक्ट कराके कोई जांच करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नही दे रहा हूं ।

श्री श्यामधर मिश्र--

शिकायतों की जांच किसके द्वारा करा रहें हैं ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

निदेशालय स्तर के अधिकारी द्वारा ।

श्री राम नरायन वर्मा--

जिन लोगों ने शिकायतें की हैं, उनको डा० के० कुमार धमकियां दे रहे हैं, तो क्या उनका ट्रान्सफर करेंगे ?

(उत्तर के लिए नहीं पुकारा गया)

अतारांकित प्रश्न

श्री रामनाथ शर्मा, फार्मेसिस्ट, गोपालगंज चिकित्सालय, जिला फतेहपुर का बकाया वेतन व पेन्शन

1--श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामनाथ शर्मा, जो जनपद फतेहपुर के बिन्दकी एवं गोपालगंज चिकित्सालयों में स्थायी कम्पाउन्डर के पद पर जून, सन् 1973 ई० तक था और लगातार अस्वस्थता के कारण सेवा कार्य से मुक्त किया गया उसकी पेन्शन देने की कार्यवाही एवं ता० 18 जुलाई, 1966 ई० से ता० 18 जून, 1973 ई० तक का बढ़ोत्तरी वेतन अब तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? इस पर कब तक निर्णय हो जायेगा ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

श्री राम नाथ शर्मा, फार्मेसिस्ट, फतेहपुर, जून, 1973 तक नहीं वरन् 30 अगस्त, 1973 तक कार्यरत थे । लगातार अस्वस्था के कारण इन्हे इनवैलिड कर दिया गया था । श्री शर्मा को दिनांक 1-4-67 से दक्षतारोक पार करना था । चूंकि अब निदेशक द्वारा दक्षतारोक पार करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, अतः मुख्य चिकित्सा अधिकारी फतेहपुर द्वारा श्री शर्मा के बकाया वेतन तथा पेन्शन आदि के भुगतान की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया

फतेहपुर, बिन्दकी के अस्पताल का जीर्ण-शीर्ण भवन

2--श्री जगन्नाथ सिंह--

प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या 9 (वर्ष 1979 के प्रथम सत्र के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित) के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद फतेहपुर की पूर्ण सही रिपोर्ट शासन को अब प्राप्त हो गयी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

आयुर्वेदिक कालेजों में छात्रों को प्रवेश न मिलना

3--श्री बाबू लाल वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के आयुर्वेदिक कालेजों में वर्तमान सत्र में आयुर्वेदिक छात्रों को प्रवेश क्यों नहीं दिया गया और इसके लिए उत्तरदायी कौन है ? इन छात्रों के प्रवेश की व्यवस्था सरकार कब तक कर देगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

प्रदेश के आयुर्वेदिक कालेजों में अब तक सम्बन्धित विश्वविद्यालयों द्वारा भिन्न-भिन्न रीति से प्रवेश किया जाता रहा है । प्रवेश की नीति में एकरूपता लाने के उद्देश्य से सभी आयुर्वेदिक कालेजों में वर्तमान सत्र से पूल प्रणाली द्वारा प्रवेश करने का निर्णय लिया गया है और तदनुसार दिनांक 25-4-79 से प्रवेश का कार्य प्रारम्भ हो गया है ।

बलिया जिले के गांवों का विद्युतीकरण

4--श्री गौरी शंकर भैया (जिला बलिया)--

क्या विद्युत मंत्री को ज्ञात है कि दि सरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली ने बलिया जनपद में विकास खंड सोहांव-गढ़वार तथा हनुमान गंज व दुबहर को विद्युतीकरण के लिए चुना है ? यदि हां, तो उस योजना का प्रारूप क्या है ? इस पर व्यय होने वाले आवश्यक संसाधनों को पूरा करते हुए योजना को कब से प्रारम्भ कर दिए जाने की सम्भावना है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां ।

बलिया जनपद के प्रश्नगत विकास खंडों के लिए स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की लागत 53·56 लाख है तथा अवधि पांच वर्ष की है । इस योजना के अन्तर्गत 120 गांवों के विद्युतीकरण तथा 541 नलकूपों के ऊर्जाकरण का प्राविधान है ।

योजना के कार्यान्वयन के लिए ऋण की प्रथम किस्त अक्तूबर, 1978 में प्राप्त हुई थी तथा कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत 25 गांवों के सुविधीकरण तथा 96 नलकूपों के ऊर्जाकरण का लक्ष्य है ।

श्री सूरज प्रसाद, निवासी अजान, जिला खीरी का विद्युत् मीटर के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

5--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1978 में उन्हें श्री सूरज प्रसाद, निवासी अजान, जिला खीरी द्वारा कोई इस आशय का शिकायती-पत्र मिला है कि उन्होंने अपने बिजली कनेक्शन नं० 1660 के मीटर को चेक कराने के लिए जनवरी, 1978 में आवश्यक फीस जमा कर दी थी परन्तु अभी तक मीटर ठीक नहीं हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां, श्री सूरज प्रसाद, निवासी अजान, जिला खीरी का उनके कनेक्शन नम्बर 1660 पर लगे मीटर को परीक्षण करने सम्बन्धी शिकायती-पत्र दिनांक 25-9-78 को प्राप्त हुआ। उपभोक्ता ने उक्त मीटर परीक्षण हेतु 15 रु० टेस्टिंग फीस दिनांक 3-1-78 को जमा कर दी थी। दिनांक 27-9-78 को उपभोक्ता के परिसर में उसके मीटर परीक्षण हेतु चैक मीटर लगाया गया, परन्तु यह चैक मीटर खराब होने के कारण उतार लिया गया, तत्पश्चात् दूसरा चेक मीटर दिनांक 1-12-78 को लगाया गया। परन्तु उसके भी दोषयुक्त होने के कारण तीसरा चैक मीटर दिनांक 27-2-79 को लगाना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता का पुराना मीटर 9·3 प्रतिशत तेज चलता पाया गया। अतः उपभोक्ता के परिसर से पुराना मीटर हटाकर दूसरा सही मीटर लगा दिया गया है और पुराने मीटर के 9.3% तेज चलने के कारण जो अधिक धनराशि उपभोक्ता से वसूल हो गयी थी उसका समायोजन नियमानुसार अगले बिलों में किया जा रहा है।

सीतापुर जिले के डाक्टर विहीन चिकित्सालय

6--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर में ऐसे एलोपैथिक चिकित्सालय कौन-कौन हैं जहां डाक्टरों के स्थान आज कल रिक्त हैं ? वहां डाक्टरों की नियुक्ति कब तक कर दी जायगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

सीतापुर जनपद के निम्नलिखित चिकित्सालयों में डाक्टरों के स्थान रिक्त हैं :--

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र--

1--एलिया
2--रई जलालपुर
3--परसेन्डी
4--रामपुर, मथुरा
5--खुरबल
6--रेउसा

7--महमूदाबाद

8--पहला

9--मिशरिक

10--महौली

राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय--

1--बड़गांव

2--शाहपुर

राजकीय महिला चिकित्सालय--

1--खैराबाद

2--मिशरिक

3---सीतापुर महिला प्रसवोत्तर केन्द्र

4--महिला अस्पताल सदर

डाक्टरों के रिक्त पदों को भरने हेतु प्रक्रिया आरम्भ कर दी गयी है यथा शीघ्र रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का प्रयास किया जा रहा है ।

सीतापुर जिले के कतिपय नलकूपों का विद्युत् कनेक्शन

7--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के विकास खण्ड खैराबाद में दिनांक 9 अप्रैल, 1979 तक किन-किन राजकीय नलकूपों में बिजली कनेक्शन देने हेतु सिंचाई विभाग से वी० एल० फार्म प्राप्त हो गया परन्तु बिजली नहीं लगवाई ? फार्म किस-किस तिथि को अधिशासी अभियन्ता (बिजली) के कार्यालय में प्राप्त हुए ?

श्री रेवती रमण सिंह--

इस तरह के कुल 4 नलकूप हैं, अर्थात् नलकूप संख्या 97, 98, 108 तथा 109 । अधिशासी अभियन्ता कार्यालय को इनके सम्बन्ध में वी० एल० फार्म्स दिनांक 29 जुलाई, 1978 को प्राप्त हुए थे ।

इन चारों राजकीय नलकूपों के उर्जन हेतु निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा आशा है कि इन सभी नलकूपों को माह मई, 1979 के अन्त तक उर्जित कर दिया जावेगा ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, श्री सी० बी० अग्रवाल, जिला मथुरा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

8--श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मथुरा, श्री सी० बी० अग्रवाल के विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचारों की शिकायत शासन के यहां विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई और उन भ्रष्टाचारों का जांचकर्ता कौन है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी हां । तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी मथुरा डा० सी० बी० अग्रवाल के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें शासन के विचाराधीन हैं । प्रश्नगत शिकायतों की जांच अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा की जा रही है । उनकी जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

मथुरा रिफायनरी में कर्मचारियों की नियुक्ति

9--श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जनपद के रोजगार कार्यालय द्वारा कितने पंजीकृत उम्मीदवारों को रोजगार मथुरा रिफायनरी में 1977-78 में मिला ? क्या यह सही है कि मथुरा रिफायनरी में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार न देकर बाहर के व्यक्तियों को बिना रोजगार कार्यालय द्वारा रोजगार दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रम मंत्री (श्री क्रान्ति कुमार)--

वर्ष 1977-78 में जिला सेवायोजन कार्यालय, मथुरा द्वारा 21 पंजीकृत अभ्यर्थियों को मथुरा रिफायनरी में रोजगार उपलब्ध कराया गया ।

उक्त अवधि में केवल 5 व्यक्तियों की भर्ती विज्ञापन के आधार पर की गई जिनमें 1 दिल्ली का निवासी था तथा शेष 4 उत्तर प्रदेश के निवासी थे । ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सेवायोजन कार्यालय के पास निर्धारित अर्हता के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे । अतः ऐसी स्थिति में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सीतापुर में व्यवसाय खोलने के के सम्बन्ध में पत्र

10--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नये व्यवसाय खोलने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र 9 मार्च, 1979 के आस पास किसी दिन मिला ? यदि हां, तो मुख्य मांगें क्या हैं तथा उन पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री क्रान्ति कुमार--

जी हां । पत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सीतापुर में मुख्यतया निम्नलिखित व्यवसाय चलाने की मांग की गई है :--

1--आशुलिपिक हिन्दी (लड़कों के लिए) ।

2--कटिंग एण्ड टेलरिंग (लड़कों के लिए) ।

3--लेदर शू एण्ड फैन्सिग गुड्स ।

4--मोटर मेकैनिक ।

5--ट्रैक्टर मेकैनिक ।

6--रेडियो एण्ड टेलीविजन मेकैनिक ।

आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने की दशा में इस वर्ष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सीतापुर में मोटर मेकैनिक तथा रेडियो मेकैनिक व्यवसायों को खोला जाना सम्भव हो सकेगा । अर्थाभाव के कारण शेष व्यवसायों के खोलने का अभी कोई विचार नहीं है ।

मैनपुरी जिले के फरीदा में आयुर्वेदिक अस्पताल की स्थापना की मांग

11--श्री बलवीर सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम फरीदा, विकास क्षेत्र एका, जिला मैनपुरी में एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोले जाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह कब तक खुल जायेगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बिजली का उत्पादन तथा किसानों को दी गयी बिजली

12--श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जुलाई, सन् 1977 से दिसम्बर, 1978 तक कितना बिजली का उत्पादन हुआ और उस उत्पादन की कितनी प्रतिशत बिजली प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए दी गयी ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जुलाई 1977 से दिसम्बर, 1978 तक प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा कुल 14,372.694 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादित की गई और 455.415 मिलियन यूनिट आयात एवं 141.099 मिलियन यूनिट निर्यात की गई। परिषद् द्वारा उत्पादित विद्युत् में से 1,038.428 मिलियन यूनिट स्टेशन आक्जुलरीज में खर्च हुई। इस प्रकार कुल 13,648.582 मिलियन यूनिट बिजली विक्रय के लिये शेष बची।

इस अवधि में 2,225.005 मिलियन यूनिट बिजली किसानों को उनके निजी नलकूपों एवं पम्प सेटों को चलाने हेतु दी गई जो कुल विक्रय के लिए उपलब्ध 13,648.582 मिलियन यूनिट का 16.30 प्रतिशत है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परसेन्डी, जिला सीतापुर के कर्मचारियों का बकाया वेतन

13--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री गनेशीलाल चौधरी तथा श्री गोकरन प्रसाद--

क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, परसेन्डी, जिला सीतापुर के अनेक कर्मचारियों को मास नवम्बर, 1978 का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो कितने लोगों को वेतन नहीं दिया गया है तथा क्यों ? अब कब तक वेतन दे दिया जायेगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी हां, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परसेन्डी, जिला सीतापुर के कुल 21 कर्मचारियों के मास नवम्बर, 1978 का वेतन प्रशासनिक जटिलताओं के कारण नहीं दिया जा सका है। उक्त जटिलताओं के दूर होने पर ही वेतन भुगतान सम्भव हो सकेगा।

14--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गोकरन प्रसाद--

[4 थे गुरुवार के लिए स्थगित ।]

जिला फैजाबाद में आपातकाल में नसबन्दी के सम्बन्ध में की गयी ज्यादती

15--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आपातकाल में जनपद फैजाबाद में नसबन्दी अभियान में की गयी ज्यादतियों के सम्बन्ध में ग्राम सुमेरपुर के निवासियों का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता के 15 सितम्बर, 1977 के पत्र के साथ मुख्य मंत्री जी को मिल गया है ? यदि हां, तो उसकी जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित करने तथा पीड़ित नागरिकों को राहत देने के लिए कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी हां । इसमें उल्लिखित शिकायतों की जांच हो रही है । इससे अन्य विभाग भी सम्बन्धित हैं । जांच पूरी हो जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग

16--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में प्रस्तावित चिकित्सा विश्वविद्यालय को गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के समान आयुर्वेद विश्वविद्यालय का स्वरूप प्रदान करेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

प्रदेश मे एक चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है किन्तु प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना एवं उसके स्वरूप के बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

17--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय.....।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये)

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

उपाध्यक्ष महोदय, नियमों के अनुसार प्रश्नों के बारे में मेरा व्यवस्था प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्नों के बारे में कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाने की इजाजत नहीं है । हमारे कक्ष में आ जायें तो वहां पर बात कर लेंगे ।

श्री बाबू लाल वर्मा--

श्रीमन्, आप बार-बार कहते हैं कि आकर मेरे कमरे में मिल लीजिए, श्रीमन्, आपके जो निजी सचिव हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आज आप यहां से उठने के बाद सीधे मेरे कमरे में चले आइयेगा ।

*श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

मान्यवर, आपको एक पत्र मैंने लिखा था, मैं आपके कमरे में तीन बार गया, दुर्भाग्य था कि मैं आपका दर्शन नहीं कर पाया । आप क्या कहना चाहते हैं मैं नहीं समझ पाया । तीन बार जाने के बाद भी हम आपके दर्शन से वंचित रह गये तो माननीय मंत्रीगण जो हैं उनके साथ क्या हालत होगी । दूसरी बात यह है कि प्रश्नोत्तर काल के पश्चात् भी यह व्यवस्था है, अगर हम प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई जानकारी चाहते हैं, तो हमको अपनी बात कहने का और सुनने का मौका दें । प्रश्नोत्तर से सम्बन्धित हमने 1938 से लेकर आज तक की कार्यवाही पढ़ी है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

इसके बारे में यहां चर्चा उठाने की मैं इजाजत आपको नहीं देता हूं । लेकिन आपने कोई प्रश्न किए हों, आपके अस्वीकृत हुए हों, कोई आपको शिकायत....

(व्यवधान)

श्री बाबू लाल वर्मा--

प्रश्नोत्तर काल में अगर कोई प्रश्न किया जाता है, मंत्री प्रश्न का उत्तर नहीं देता है, तो वह कार्यवाही का अंग बनता है, उसे आप निकाल नहीं सकते, वह लिखा जाता है कि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया, लेकिन मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया । मान्यवर, सीतापुर का एक विद्यालय का केस था, माननीय राजेन्द्र कुमार का सवाल था....

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आपको इजाजत नहीं दी और यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, जब आपने इजाजत नहीं दी, तो ये कैसे बोल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्नों के बारे में मैं कोई इजाजत नहीं देता ।

(व्यवधान)

श्री बाबू लाल वर्मा—

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा । मैंने कह दिया कि यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा । माननीय सदस्य बैठें ।

(श्री बाबू लाल वर्मा के बोलते रहने पर)

आप कृपया सदन छोड़ें ।

श्री बाबू लाल वर्मा—

शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपको बार-बार नहीं खड़ा होना चाहिए । यह आपकी मर्यादा के विरुद्ध है । आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी । मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठा रहा हूं । आप चाहें, हमें सदन से निकाल दें । आप निकाल सकते हैं, लेकिन यह नहीं हो सकता है कि आप मुझे बोलने से वंचित कर दें । प्रोफेसर श्री बासुदेव सिंह की रूलिंग देख लें । आपने विधायकों को इतना गैर बना दिया है, कल मान्यवर, मैं आपके गेट की तरफ से आ रहा था, तो एक चपरासी ने पूछा कि क्या आप विधायक हैं, कि नहीं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

बाबूलाल वर्मा आपके ऊपर आक्षेप करते हैं मान्यवर ।

(व्यवधान)

श्री बाबू लाल वर्मा—

मैं सदन से चला जा रहा हूं । आप स्वयं प्रक्रिया को उखाड़ फेंक दीजिए । नियमों का उल्लंघन आप स्वयं कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह इस बार. . . .

(व्यवधान)

मार्शल इनको सदन से बाहर ले जायें

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, वर्मा जी का फोटो हर जगह लगा दिया जाय, मंत्री लोग पहचानते नहीं हैं ।

नोट :—(× × ×) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही निकाल दिया गया ।

(मार्शल के श्री बाबू लाल वर्मा के पास पहुंचने पर श्री वर्मा अपने स्थान पर बैठ गए)

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

माननीय बाबू लाल वर्मा केवल सदस्य ही नहीं, मुझे बताया गया है कि वह मंत्री भी रह चुके हैं। अगर वह इस ढंग का आचरण करते हैं और आप वहां से देखते-रहते हैं, निःसहाय होकर कि यह लिखा नहीं जायगा। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे आदमी जो मंत्री रह चुके हैं, जिनके ऊपर प्रदेश का इतना रुपया खर्च हो चुका है वह अगर इस ढंग का आचरण करते हैं तो कैसे सदन चलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री बाबू लाल वर्मा से) आप कृपया सदन छोड़ दें। मैंने इसका आदेश दिया है, आप कृपया सदन छोड़ दें।

श्री बाबू लाल वर्मा--

ठीक है मान्यवर आपका जो रवैया है, असंतोषजनक है, अव्यवहारिक है, मैं यह प्रस्ताव करूंगा कि आप इस कुर्सी को छोड़ दें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं श्री बाबू लाल वर्मा को इंगित करता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री बाबू लाल वर्मा का व्यवहार सदन में अपमानजनक है। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री वर्मा को निलम्बित किया जाये।

एक सदस्य--

कितने दिन के लिए ?

श्री बनारसी दास--

यह नियम नहीं है। यह स्वतः तीन दिन के लिए होता है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री बाबू लाल वर्मा को सदन से निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, अतः श्री बाबू लाल वर्मा निलम्बित किए जाते हैं।

अब मैं नियम 301 लेता हूं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

श्रीमन्, मैंने नियमानुसार...

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें।

(श्री आरिफ मोहम्मद खां ने एक कपड़ा दिखाया)

(शोर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहराइच जनपद की भिनगा तहसील के कतिपय ग्रामों में अग्निकांड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

महोदय, उत्तर प्रदेश के उत्तरी सीमा पर स्थित जनपद बहराइच की भिनगा तहसील के कई गांव एक माह के अन्दर भीषण अग्निकांड की चपेट में आ गए हैं। भिनगा तहसील शासकीय सुविधाओं से वंचित, प्राकृतिक प्रकोप, बाढ़ तथा सूखा से पीड़ित होने के कारण सर्वाधिक पिछड़ा है तथा पूरा गांव का गांव फूस घरों से बसा हुआ है। पिछले एक माह के अन्दर सेमरा, चेलाही, दत्तनगर, चितईपुर, विशुनापुर, मचकाही, मटखनवा, केशवपुर, जोगन मराया, धौलिया, चिलहरिया, बरंगा आदि गांवों में लगभग दो सौ से ऊपर घर अग्नि भेंट हो गये तथा उनमें रखा सामान अन्न, वस्त्र, भूसा सभी स्वाहा हो गया। बीसों लाख रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो गई। कई जानवर, दो लड़कियां तथा एक औरत जलकर राख हो गई।

इस भीषण तपती हुई गर्मी में बच्चे, जानवर व परिवार के लोग खुले मैदान में असहाय होकर जीवन बिता रहे हैं। मैंने कई गांवों में स्वयं जाकर देखा है। उनके इस महान संकटमय जीवन को देखा नहीं जाता। सूचना मिलने पर भिनगा तहसील के अधिकारीगण मौके पर पहुंचकर उपलब्ध थोड़ा-थोड़ा धन अवश्य ही दिए हैं, जो अपर्याप्त है। जिले में अहेतुक सहायता कम होने के कारण संतोषजनक कार्य नहीं हो पा रहा है। भिनगा एवं सोहलवा जंगलात भी पास ही हैं। फिर भी जंगल विभाग की ओर से असावधानी होने के कारण इन अग्निपीड़ितों को लकड़ी व फूस नहीं मिल पा रही है। अग्नि पीड़ितों के पास न ही खाने के लिए अनाज, न पहनने के लिए कपड़ा और न मकान बनाने के लिए पैसा या लकड़ी व फूस है। अग्नि पीड़ित गांवों में भयावह संकट की स्थिति उत्पन्न है।

अस्तु अविलम्बनीय लोक महत्व के इस सुनिश्चित प्रश्न पर मान्यवर, आपके माध्यम से सम्मानित सदन व शासन का ध्यान आकृष्ट करने की सूचना देते हुए विनम्र निवेदन करता हूं कि अग्नि पीड़ितों को तहसील से इन्डेन्ट मंगाकर वन विभाग के भिनगा व सुहलवा जंगलात से लकड़ी व फूस दिलाया जावे तथा बहराइच जिले को शासन द्वारा शीघ्र पर्याप्त अहेतुक सहायता भेजकर वितरित कराया जावे तथा पीड़ितों के जीवन रक्षार्थ अन्य सहायता देकर कृत कार्यवाही से मुझे भी अवगत कराने की कृपा करें।

जनपद इलाहाबाद के विकास क्षेत्र शंकरगढ़ के कतिपय ग्रामों में पेय जल का अभाव के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री गुरू प्रसाद शास्त्री (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान तहसील करछना, जिला इलाहाबाद विकास क्षेत्र शंकरगढ़ के 45 गांव सभाओं में पानी सूख जाने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गुरु प्रसाद शास्त्री--]

मान्यवर, उक्त विकास क्षेत्र मध्य प्रदेश तथा बांदा जिले की सीमा से जुड़ा हुआ है। वह क्षेत्र पूरा पहाड़ी तथा पठारी है प्रत्येक वर्ष वहां गर्मी के मौसम में जलाभाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

सरकार की ओर से टोंस नदी के किनारे गोरा गांव में दो मशीनें बैठाकर जल की आपूर्ति की जाती थी।

इस वर्ष अभी 15 दिन से दोनों मशीनें फेल हैं। इस कारण उस विकास क्षेत्र की 100 में से 45 गांव सभाओं के तथा टाउन एरिया शंकरगढ़ के निवासी बिना पानी परेशान हैं। इस कड़कड़ाती धूप में बिना पानी कैसे मनुष्य रह सकता है इसकी कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं।

कल रविवार दिनांक 6 मई, 1979 को मैं स्वयं गया था और सैकड़ों ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे थे।

अतः सरकार से तथा जल निगम मंत्री महोदय से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि 24 घंटे के अन्दर मशीन ठीक कराकर जल वितरण की व्यवस्था करें यदि उसमें विलम्ब हो तो जिलाधिकारी, इलाहाबाद को आदेश करें कि ट्रक के द्वारा जमुना जल गांवों में पहुंचाने की शीघ्र व्यवस्था करें।

मथुरा जनपद में बाढ़ एवं वर्षा के जल की निकासी की व्यवस्था न किए जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)--

महोदय, मथुरा जनपद में बरसाती पानी तथा हरियाना और राजस्थान से आने वाली बाढ़ के पानी के निकासी के लिए अभी तक ड्रेनेज विभाग की तरफ से हरियाणा व राजस्थान जिला भरतपुर की सीमा पर कोई नाले का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। लगभग 20 साल से छाता व मथरा तहसील में इस पानी से जन-धन, मकान, फसलों को जो क्षति पहुंची है। इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। फिर भी छाता क्षेत्र में ही लगभग सब नुकसान 10 करोड़ का हर साल होता है।

लालपुर बांध पर अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है जबकि बरसात के दो महीने रह गए हैं और जिला अधिकारी, मथुरा कानों में तेल डालकर कुंभकरण की नींद में सो रहे हैं। सैकड़ों प्रार्थना-पत्र इस बाढ़ की व्यवस्था सम्बन्धी सरकार तथा सिंचाई विभाग को भेजे गए। परन्तु नाला पखरपूर-लालपुर व नाला हुलवाना व नाला दहगांव व नाला नन्दगांव व नाला रौंचकट व नाला कोटबन व नाला जानू व नाला राकोली आदि पर खुदाई व चौड़ाई का कार्य सन्तोषजनक नहीं। अगर इन नालों को 15 जून तक नहीं बनाया गया तो वहां की जनता विवश होकर कोई सक्रिय कदम उठायेगी। उक्त नालों को बनवाने के लिए तत्कालीन मंत्री श्री बलबीर सिंह जी आश्वासन भी दे आए थे। परन्तु उक्त आश्वासन के बाद भी आज तक अधिकारी कोई कार्य नहीं करा रहे हैं जिससे जनता में घोर असंतोष व्याप्त हो गया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सिंचाई मंत्री जी का वक्तव्य दिलाने का कष्ट करें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देवरिया जिले के पडरौना तहसील में हो रही चकबन्दी में धांधली की शिकायत को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

महोदय, गत चार वर्षों से पडरौना तहसील में चकबन्दी का कार्य हो रहा है। इस तहसील में शिवमता चर : सीमा पर है। नब्बे प्रतिशत से ऊपर छोटी जोत के गरीब किसान हैं। बड़े काश्तकारों तथा असरदार लोगों ने उनकी जमीन हड़प रक्खी है। चकबन्दी के दौरान प्रायः सभी चकबन्दी अधिकारी भूतपूर्व जमींदारों तथा असरदार लोगों के चंगुल में हैं। उन भौमासुर शोषकों से मिलकर चकबन्दी विभाग ने 90 प्रतिशत गरीब किसानों को उड़ान चक देकर घूसी जमीन, चैवर या अन्य अनउपजाऊ जमीन दे दी है। पडरौना तहसील के पडरौना विकास खण्ड तथा विशुनपुरा विकास खंड में गरीब किसानों के केस वर्षों से पेंडिंग हैं। इस क्षेत्र में नियुक्त उप संचालक चकबन्दी अधिकारी श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव चकबन्दी नियमों से बिलकुल अनभिज्ञ हैं ये इसके पूर्व ए० आर० टी० ओ० रह चुके हैं। चकबन्दी विभाग ने क्षेत्र के लाखों किसानों को बर्बाद करा दिया है। ऐसी खुली लूट नादिरशाह और चंगेज ने भी नहीं की थी। अधिकांश अभिलेख फर्जी बनाये जा रहे हैं। समस्त चकबन्दी के आधारभूत नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है। किसानों के करुण क्रंदन से समस्त क्षेत्र एक कसाईखाने सा लग रहा है। चकबन्दी आयुक्त कार्यालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारी किसानों के उत्पीड़न के जघन्य एवं अमानवीय नरमेध षडयन्त्र में शामिल हैं। लगभग तीन लाख किसान उजाड़ दिये गये हैं।

जमीन तथा पेड़ों एवं बाग की मालियत मनमाने ढंग से लगाई जा रही है। महाभारत में जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, उसी प्रकार किसान रूपी अभिमन्यु चकबन्दी के चंगुल में फंस गये हैं। जिला स्तर से लेकर प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारियों तथा मन्त्रियों तक पहुंचाई गयी आवाज नक्कारखाने में तूती की आवाज बन गयी है। किसानों की चीख, कसक, कराह, आर्तपुकार सुनने वाला कोई भी नहीं है। तवारीख में ऐसे जुल्म, जोर, जबर्दस्ती की कोई मिसाल याद ही नहीं आ रही है। अस्तु इस लोकमहत्व के सुनिश्चित विषय को विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 301, के अन्तर्गत सद्यः प्रभावी कार्यवाही हेतु सदन के संज्ञान में ला रहा हूं।

बाराबंकी के ग्राम डूंडी में अग्निकांड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री अशर्फी लाल यादव (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान बाराबंकी जनपद के ग्राम डूंडी, तहसील रामसनेही घाट में दिनांक 6 मई, 1979 को हुये भीषण अग्निकांड की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जिसके परिणामस्वरूप 82 घर जलकर राख हो गये। जले मकानों में कच्चे-पक्के सभी तरह के हैं। आग पर काबू पाने के लिए दमकलों का प्रयोग करना पड़ा फिर भी कुछ न बच सका। इस अग्निकांड में एक हरिजन महिला जल कर मर गयी। दो जले लोग मरणासन्न हैं। चार बकरियां भी जल कर राख हो गयीं। खलिहान में लगी फसल भी जल गयी। इस प्रकार लोगों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अशर्फी लाल यादव—]

के पास घर-बाहर जो भी था, सब जल गया। इस समय ग्रामवासियों के सामने भोजन-वस्त्र मकान तथा जानवरों के चारे जैसी अनेक कठिन समस्यायें उत्पन्न हो गयीं हैं। आस-पास के गांवों से कुछ कपड़ा तथा खाद्य सामग्री पहुंचायी गयी है किन्तु इससे काम चलने वाला नहीं है। बताया जाता है कि इस प्रलयंकारी अग्निकांड से अनुमानतः एक करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। यदि सरकार की ओर के तत्काल आर्थिक सहायता न दी गयी तो लोगों के सामने फाकाकशी की स्थिति आ जायेगी।

मान्यवर, मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुये सरकार से तत्काल यथेष्ट आर्थिक सहायता देने की मांग करता हूं ताकि अग्निपीड़ित लोगों को राहत मिले।

शासन के आश्वासन के बावजूद हड़ताल से वापस हुए नगरपालिका कर्मचारियों के साथ प्रताड़ना की कार्यवाही किये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

महोदय, नगरपालिका कर्मचारियों की हड़ताल वापसी के लिए अपील करते समय शासन की ओर से माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री ने घोषणा की थी कि वापस आने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध प्रताड़ना की कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। परन्तु शासन इसके बिल्कुल विपरीत आचरण कर रहा है। मान्यवर, हड़ताल के समय शाहजहांपुर नगरपालिका के 30 स्थायी कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था। सरकार की घोषणा के अनुसार वह दिनांक 3-5-79 को नौकरी में वापस आ गये और अब दिनांक 8 मई, 1979 को प्रभारी अधिकारी द्वारा सभी को कारण बताओ नोटिस दिया गया है कि उनके विरुद्ध क्यों न एकतरफा कार्यवाही कर दी जाय। नोटिस में उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने हड़ताल में क्यों भाग लिया।

मान्यवर, इसी प्रकार 167 स्थायी कर्मचारी जो वापस आ गये थे उनको कल सेवा समाप्ति का नोटिस दे दिया गया है। इसमें अधिकांश सफाई मजदूर हैं।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो नोटिसें दी गयी हैं वह मेरे पास हैं।

शासन के वायदे के बाद भी प्रताड़ना की कार्यवाही जारी रखने से कर्मचारियों में पुनः असन्तोष एवं उत्तेजना फैल गयी है। शासन के वादों की साख समाप्त हो रही है। कर्मचारी पुनः आन्दोलन की राह पर जा सकते हैं।

अतएवं यह तथ्य शासन के संज्ञान में ला कर मैं माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री से आग्रह करूंगा कि वह प्रताड़ना की कार्यवाही अविलम्ब रोकने की व्यवस्था करें।

मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी यहां उपस्थित हैं इसलिए वह आज ही इस मामले में हस्तक्षेप करके इस बात को सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों वापस आने पर उनके खिलाफ प्रताड़ना की कार्यवाही न की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिल्ली की रैली में भाग लेने के लिए जाते हुए अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों पर दादरी स्टेशन पर हुए हमले के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री विजयराज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, कल दिनांक 9 मई को अलीगढ़-नई दिल्ली पैसेन्जर रेलगाड़ी से अलीगढ़ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय संशोधन के विरुद्ध रैली में हिस्सा लेने जा रहे थे। जैसे ही गाड़ी दादरी स्टेशन से कुछ ही आगे बढ़ी कि हमलावारों ने अपनी पूर्व योजनानुसार जंजीर खींच कर गाड़ी को रोक लिया और करीब 500 व्यक्तियों ने जो लाठी, डन्डे, लोहे की छड़ों और देशी कट्टों से लैस थे, मुस्लिम विद्यार्थियों पर हमला बोल दिया, 100 के ऊपर विद्यार्थियों को चोटें आई हैं। तीस विद्यार्थियों को लोकनायक जय प्रकाश नारायन अस्पताल में भर्ती किया गया है। दो की हालत चिन्ताजनक है।

मान्यवर, ये विद्यार्थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को कायम रखे जाने की मांग करने देहली जा रहे थे पूर्व नियोजित योजना के अनुसार यह हमला किया गया है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे।)
(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, 15 लड़के गायब हैं। यह घटना बड़ी महत्वपूर्ण है इसलिए इसको नियम 301 में न ले कर नियम 56 में लें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, आपने इस घटना को शून्य प्रहर में लिया है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस विषय को फिर शून्य प्रहर के बाद लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

श्री आरिफ मोहम्मद खां ने इस विषय पर मद 12 में कार्य स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत दे रखा है, तो जब वह मद आयेगी तब इसपर विचार करेंगे।

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

श्रीमन्, आप मेरी बात सुन लें। माननीय वित्त मन्त्री जी सामने बैठे हैं, वह मुझसे कह रहे हैं कि बहुत हो गया। यह अखबार में आ जायेगा। तो श्रीमन यदि यह आचरण संसदीय काय मन्त्री जी का है तो इसकी निन्दा की जानी चाहिये। इस प्रकार सदन नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

वित्त मन्त्री जी ने क्या कहा उसको मैंने नहीं सुना है। (वित्त मन्त्री से) आप उनको पढ़ने से क्यों रोक रहे हैं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

आप उनको कुछ न कहें तो मैं इस प्रकार सदन नहीं चलने दूंगा । वह कहते हैं कि स्मगलिंग करके बेईमानी की राजनीति करते हैं ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

कहिये क्या व्यवस्था है ?

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, एक प्रश्न आपके सामने 301 में आया, 51 में आया, 52 में आया, काम रोको में आया । तो जब एक ही प्रश्न 301 में, 52 में और 56 में आता है, जिसकी सूचना आपको है, तो क्या हर एक स्टेज पर उसको उठावेंगे या पहली ही स्टेज पर कुल मिला कर निश्चयात्मक ढंग से निर्णय देंगे कि किस समय प्रश्न लिया जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 301 पहले आता है, इसलिये इसको पहले देखने की जरूरत पड़ती है नियम 301 में अगर माननीय सदस्य ने सूचना दे दी है तो इसका मतलब यही नहीं होता कि उसके लिये चर्चा को स्वीकार करते हैं । उसके लिए उत्तेजना की आवश्यकता नहीं ।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

किस चीज पर ?

श्री देव बहादुर सिंह—

इसी पर ।

श्री उपाध्यक्ष—

उस पर निर्णय दे चुका हूं ।

श्री विजय राज सिंह—

मान्यवर, मैं अपनी बात को पूरा करता हूं । मान्यवर, चार व्यक्ति बुलन्द-शहर के इस घटना के बारे में गिरफ्तार किये गये हैं जिनका सम्बन्ध एक देश व्यापी साम्प्रदायिक संगठन से है । यह देश व्यापी संगठन हिन्दू-मुस्लिम के सद्भाव को समाप्त कर देश को जबरन गृहयुद्ध की तरफ ढकेलने में लगा हुआ है । दादरी की घटना आने वाले संकट का संकेत मात्र है । मेरा आपसे निवेदन है कि आप कृपया सरकार से इस घटना के बारे में शीघ्र ही एक वक्तव्य दिलवाय ।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, अभी 301 में बहुत ही गम्भीर घटना के बारे में ध्यान आकर्षित किया गया। मान्यवर, आपको नियम 51, 52 और 56 में भी सूचना मिल चुकी हैं। आपको मान्यवर, मालूम है कि यह एक महत्वपूर्ण घटना है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। या तो इसको इसी समय कर दें या शाम को दो घन्टे की चर्चा निश्चित कर दें। मैं समझता हूं, माननीय मुख्य मन्त्री जी भी, जो यहां बैठे हैं, इसकी गम्भीरता का अहसास करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, शासन का उस पर वक्तव्य आ जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, केवल वक्तव्य से काम नहीं चलेगा। मुख्य मन्त्री जी बैठे हुए हैं। उनको अच्छी तरह से मालूम है कि किस तरह से कुछ तत्व देश और प्रदेश में आग लगाना चाहते हैं। यह केवल दादरी का मामला नहीं, पूरे देश का मामला है। मुख्य मन्त्री जी कृपया सहमत हो जायं और इस पर दो घन्टे की चर्चा करवा दें।

*मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री विजय राज सिंह जी ने 301 में इस महत्वपूर्ण प्रश्न की सूचना दी है। इस पर काम रोको नियम 51, 52 में भी कुछ प्रस्ताव आये हैं। श्री नेगी जी ने जो प्रस्ताव किया है, मैं समझता हूं, इस विषय पर विचार करने के लिए यदि आप एक घन्टे का समय निश्चित कर दें तो उपयुक्त ही होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन, मैं यह समझता हू, कि यह विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है। श्रीमन, मेरी बात सुन लीजिये, सचिव की बात बाद में सुनियेगा। माननीय विजयराज जी की चिन्ता को मैं समझता हूं। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि यह विषय इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि....

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष—

कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हैं, मैंने श्री आरिफ को आज्ञा दी थी।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

आज यह चर्चा हो जाय तो सभी सदस्य सन्तुष्ट हो जायेंगे। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह बात मान ली है, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

नियम 56 के अन्तर्गत आप आम तौर पर ऐसे प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते, लेकिन यह नियम नहीं है यह केवल परम्परा है और यदि माननीय नेता विरोधी दल के भाषण के समय परम्परा होने के बावजूद माननीय मुख्य मन्त्री और वित्त मन्त्री सदन में उपस्थित नहीं रहते, परम्परा तोड़ते हैं, तो यहाँ भी परम्परा तोड़ी जा सकती है। यह असाधारण स्थिति है। इसको देखते हुये कार्य स्थगन प्रस्ताव स्वीकार होना चाहिए। कितनी महत्वपूर्ण घटना है। अलीगढ़ से लड़कर चलते हैं, दादरी स्टेशन से आगे चलकर....(शोर) मैंने आपको चित्र दिखायें हैं। इस पर अभी एक घन्टे की चर्चा होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जब एक घन्टे का टाइम स्वीकार कर लिया है तो जो भी सूचना होगी, सदन उठने के पहले साढ़े चार बजे वे अपना वक्तव्य दे देंगे और उसके बाद एक घन्टे की चर्चा हो जाएगी।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, अभी चर्चा करा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी के लिये मैं उनको बाध्य नहीं कर सकता।

श्री बनारसी दास—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अत्यन्त आश्चर्य है कि श्री आरिफ जब जानते हैं कि नियम 56 में भी यदि आप स्वीकार भी कर लें, तो भी नियम यह है कि जब सदन का कार्य समाप्त हो तो 4 बजे आप इसको ले सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एक घंटे की बहस हो सकती है और उसमें भी नियम 56 में यदि आप स्वीकार कर लें तो आप माननीय सदस्यों को उसके पक्ष में खड़ा होने के लिए कहेंगे, इजाजत देंगे। लेकिन इसके बिना ही मैंने तो स्वीकार कर लिया कि एक घंटे की चर्चा इस पर की जा सकती है और यदि आप अभी चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अभी आप इसको ले लीजिये।

श्री देव बहादुर सिंह—

अभी चला दीजिये मान्यवर।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके लिए हमें नियम निलम्बित करने पड़ेंगे।

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

मैं अपना प्रस्ताव पढ़ रहा हूं, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने स्वीकृति दे दी है, आप नियम निलम्बित कर दीजिये।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

इस महत्वपूर्ण विषय पर जो भी अल्प समय निश्चित करेंगे, इस पर चर्चा होगी लेकिन मैंने नियम 300 के अन्तर्गत एक औचित्य का प्रश्न आपको दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो 301 की सूचनायें चल रहीं हैं, खत्म नहीं हुई हैं। आज 4 बजे इस पर चर्चा हो गा। चार बजे में इस के लिए निश्चित करता हूं।

विधूना विधान सभाई क्षेत्र इटावा में ओलावृष्टि से क्षति तथा राहत कार्य की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री औसान सिंह (जिला इटावा)—

मैं आपके माध्यम से अति अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र के चकमठबधा, हरचन्द्रापुर, बहादुर पुर, गढ़िया गोसाई, फैजुलापुर, सराय कछवाह, नगला हरीराम, नानकपुर, [illegible]वा, करमापुर, समायन, बढ़िन, बीलपुर, सुरेन्द्रा, लुखरिया, बमुराहा, गुलालपुर चिकटा, सूरजपुर, नगला, कापूस्थान, जगतपुर, भटौरा, चकगदन पुर, पिलखाना, नगला तुष्ला, चन्दोली, सिंधिसोहीरो, रठगैरव, सहसपुर, भटौली आदि जहां ओला वृष्टि से 75 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक हानि हुई है। आज लगभग ढाई माह हो चुका है कोई राहत कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। इस ओर माननीय राजस्व मन्त्री जी का ध्यान मैं व्यक्तिगत रूप से मिल कर व प्रार्थना-पत्र दे कर भी आकृष्ट करा चुका हूं। परन्तु अभी तक प्रगति निल है। उक्त 30 ग्रामों के कृषक व कृषक मजदूर भूखों मर रहें हैं। चारे के अभाव में मवेशी भूखों मर रहें हैं। लोग घर द्वार छोड़ कर भाग रहे हैं। भीषण अकाल की स्थिति है।

मान्यवर, राहत के नाम पर कृषकों से भूमि विकास बैंक एवं सहकारी ऋण की वसूली युद्ध स्तर पर बल पूर्वक हो रही है। भूमि नीलाम हो रही है। मवेशी व अन्य सम्पत्ति कुर्क की जा रही है। जिलाधिकारी व अन्य जिलाधिकारियों को भी मने व्यक्तिगत रुप से मिल कर व प्रार्थना-पत्र दे कर स्थिति से अवगत कराया है परन्तु किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। कान में तेल डालकर, हाथ पर हाथ रख कर मूक दर्शक बने हैं।

अस्तु लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर माननीय राजस्व मन्त्री जी से आप के माध्यम से मांग करता हूं कि उपरोक्त गांवों में अविलम्ब राहत कार्य प्रारम्भ किया जाय, मवेशियों के लिये चारे का प्रबन्ध किया जावे, सस्ते गल्ले की दुकान खोली जावे। समस्त ऋण वसूलियां रोकी जावे तथा सिंचाई व लगान माफ किया जाय।

मान्यवर, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्षेत्र में अकाल की स्थिति है। इसलिए माननीय राजस्व मंत्री जी से इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिलवाने का कष्ट करें।

सीतापुर की मिश्रिख तहसील के कतिपय ग्रामों के किसानों से ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे के जुर्माने की अवैध वसूली के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राम रतन सिंह (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, आप के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग का ध्यान परगना चढरा, तहसील मिश्रिख, जिला सीतापुर के निम्न व्यक्तियों की राजस्व विभाग द्वारा उत्पन्न एक विकट समस्या की ओर आकृष्ट कर निवेदन करना चाहता हूं । हम से सर्वश्री पाल गजोधर, छोटे परसराम, हिम्मत गजोधर, श्री पाल खाजुरना, जाहिद खां, महबुल्ला भाट, कढिले तेली, सैजखुर्द, दीनदयाल दुबावां, पन्ना चमार, औलियापुर, मातादीन, सैजकला, ईश्वरी प्रसाद, बिन्द्रा प्रसाद, राम औतार, रामपाल, इन्द्रपाल, चन्द्रमौल, सालिक, राममूढाखुर्द, टीकाराम तालगांव ने मिल कर शिकायत की है कि इन लोगों पर तहसील मिश्रिख द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाकर वर्ष 1975 में भारी-भारी जुर्माने अनुचित एवं अवैधानिक ढंग से लेखपालों द्वारा षडयंत्र रच कर करा दिये गये हैं । जहां तक हमारी जानकारी है हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उपरोक्त व्यक्तियों ने ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा नहीं किया था ।

जब हम लोगों को तहसीलदार द्वारा नोटिस दी गयी तो इन सभी लोगों ने स्पष्ट रूप से तहसीलदार को अपने लिखित बयान दे दिये थे । ग्राम समाज की भूमि पर इनका कोई अवैध कब्जा नहीं है । शासनादेश के अनुसार तत्कालीन जिलाधिकारी एवं परगना अधिकारी ने सम्बन्धित व्यक्तियों को उक्त विकास खन्ड पिसावां पर हमारी मौजूदगी में आश्वस्त कर दिया था कि लेखपालों द्वारा झूठे-आरोपों के कारण किसी प्रकार की कोई उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं की जावेगी । उपरोक्त आश्वासन के बाद चार वर्ष तक किसी अधिकारी ने इस सम्बन्ध में कोई पूछताछ नहीं की बल्कि एकायक जुर्माने की भारी-भारी रकमों की वसूली कड़ाई के साथ अचानक अब शुरू हो गयी इतना ही नहीं कुछ व्यक्तियों के जानवर को भी कुर्क कर लिया गया और सख्ती से पैसे भी वसूल लिये गये ।

हमारी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है कि सम्बन्धित व्यक्तियों से जुर्माने के धन की वसूली तत्काल रोक दी जाय तथा शासन द्वारा सम्पूर्ण मामले की छान-बीन किसी उच्चाधिकारी से अविलम्ब करायी जाय जिससे इस समस्या से पीड़ित व्यक्तियों को राहत मिल सके और समय-समय पर किये गये शासनादेशों के अनुसार जुर्माने के धन को माफ किया जाय ।

जिला लखीमपुर के ग्राम जैती व फिरोजपुर में बसे कृषकों की भूमि को उनके नाम एलाट किये जाने की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मन्नूराम (जिला बलिया)--

मान्यवर, ग्राम जैती व फिरोजपुर तहसील मुहम्मदी, जिला लखीमपुर-खीरी में दोनों गांव को मिला कर लगभग 350 घर हरिजन चमार जाति के लोग लगभग 20 वर्षों से निवास कर रहे हैं । इन लोगों ने कच्ची दीवार, मकान और झोपड़ी डाल कर अपना जीवन बसर शुरू किया है । यह लोग बहुत ही गरीब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं। भूमिहीन कृषक मजदूर हैं। यह लोग पूर्वांचल के जिला बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर से आ कर यहां बसे हैं। इन लोगों ने मौजा फिरोजपुर जैती में लगभग 835 एकड़ भूमि में अपनी खेती प्रारम्भ से ही शुरू की है और हर काश्तकार के पास 3 एकड़ से 5 एकड़ तक की भूमि पर कब्जा लगा कर खेती का काम कर रहे हैं जिसकी मैंने, रबी की फसल खड़ी थी, तो मौके पर जा कर स्वयं देखा था। मेरे साथ जंगल विभाग के कंजरवेटर श्री श्रीवास्तव भी मौके पर जा कर फसल को देखे थे। माननीय वन मंत्री श्री श्रीचन्द्र ने मुझे मौके पर कन्जरवेटर के साथ मौका देखने के लिये भेजा था और रिपोर्ट मांगी थी जिसकी रिपोर्ट मैंने तुरन्त आकर दिया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जंगल विभाग में दर्ज 835 एकड़ भूमि को केबिनेट की बैठक में निर्णय के बाद खारिज करा कर वहां के भूमिहीन कृषक मजदूरों, जिनकी लिस्ट उस दरखास्त के साथ संलग्न है, मुझे तथा काश्तकारों को दिला दूंगा।

मान्यवर, मुझे आज ही रिपोर्ट मिली है कि फिरोजपुर व जैती गांव के भूमिहीन कृषक मजदूरों, हरिजनों, असहायों, निर्बलों, किसानों, दलित वर्ग के लोगों को जंगल विभाग की पुलिस तथा वहां के स्थानीय कर्मचारी डंडे से मार कर भगा रहे हैं और उनके घर व झोपड़ियों को उजाड़ रहे हैं। खेद है कि आज तक जंगल विभाग का नाम उक्त फिरोजपुर जैती के नाम से पड़ी हुई है तथा उसे उस भूमि को खारिज नहीं किया गया है जबकि हमारी सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि भूमिहीन कृषकों को दलितों एवं हरिजनों को निवास, आवास तथा कृषि की भूमि दे कर बसाया जायेगा।

अतः आपके माध्यम से अनुरोध है कि अधिकारीगण उक्त फिरोजपुर जैती की भूमि पर जा कर स्वयं भूमि का निरीक्षण करें। साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी भी मौके पर निरीक्षण कर लेवें और स्थानीय जंगल विभाग के कर्मचारियों के द्वारा अनैतिक कार्यों को तथा पैसे वसूली से इन गरीबों की रक्षा करें तथा उस भूमि का आवंटन उन गरीब मजदूरों, हरिजनों को कराने का कष्ट करें।

बांदा जनपद की नरैनी तहसील के अन्तर्गत भूमि संरक्षण विभाग द्वारा लाखों रुपये के घपले तथा अन्य अनियमितताओं के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*डा0 सुरेन्द्रपाल वर्मा (जिला बांदा)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान बांदा जनपद की तहसील नरैनी के अन्तर्गत हो रही भूमि संरक्षण विभाग द्वारा लाखों रुपये के घपले एवं किसानों के साथ किये गये खिलवाड़ की ओर आकर्षित कर रहा हूं। मान्यवर, भूमि संरक्षण विभाग की लापरवाही एवं भ्रष्टाचार से ग्राम बहादुरपुर गड्डिहा के श्री रसूल खां आदि की बन्धी, जो श्री रसूल खां ने स्वयं बंधवाई थी, टूट कर बह गयी तथा बरुआ (कालींजर) में नाले दो, भूमि संरक्षण विभाग द्वारा तथा एक गुढा क्षेत्र में, जो बंधवाये गये थे, टूट कर बह गये। जिससे सरकार के लाखों रुपये का नुकसान हुआ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डा० सुरेन्द्र पाल वर्मा]

भूमि संरक्षण अधिकारियों ने कुछ फर्जी बिल बना कर लाखों रुपये का गबन भी किया। ग्राम बहादुरपुर गड्डहा में श्री रसूल खां आदि ने कई हजार रुपये की लागत से बंधी बंधवाई थी जिसके एक कोने में भूमि संरक्षण विभाग ने थोड़ी मिट्टी डलवा कर किसान द्वारा बंधवाई गयी पूरी बंधी का पैसा ठेकेदार से साँठ-गांठ करके फर्जी बिल बना कर निकाल लिया। इसके अतिरिक्त बंधी का नाबदान जो लोहा, सीमेंट, गिट्टी से बनना चाहिये उसमें एक इंच मोटी गिटिया से बंधवाया गया जो मिट्टी का वजन न सह पाने से टूट गयी और जिसके कारण बंधी टूट गयी और किसानों द्वारा डलवाई हुई हजारों रुपये की मिट्टी बह गयी और अधिक रुपयों का फर्जी बिल बनवाया गया जिससे अच्छी प्रकार नाले न बंधने से टूट गये और लाखों रुपये का सरकार का नुकसान हुआ तथा हजारों रुपये भूमि संरक्षण अधिकारी खा गये और बहाना किया गया कि बाढ़ में डूब गये। इसके अतिरिक्त जहां क्षेत्र में पहले से बंधी बनी थी वहां उन बन्धियों के दोनों तरफ तथा ऊपर थोड़ी-थोड़ी मिट्टी बिखेर दी गई और दूसरी बन्धी बनने का फर्जी बिल बनाकर रुपये निकाले गये तथा पत्थर एवं गिट्टी कालींजरे पहाड़ तथा पास की जगहों से लिया गया परन्तु रुपया गबन करने की दृष्टि से नरैनी के पहाड़ से लिया दिखाया गया और ढुलवाने वाले ट्रैक्टर्स तथा ट्रकों फर्जी या भाड़ा दिखाकर रुपये निकाले गये इसी तरह पक्के कार्यों में सही अनुपात में सीमेन्ट न लगाकर सीमेंट बचा करके सीमेंट बेच ली गई।

इन उपरोक्त भ्रष्टाचार के कार्य में जनपद के भूमि संरक्षण अधिकारियों तथा भूमि संरक्षण विभाग के डिप्टी डायरेक्टर का भी हाथ है।

अतः जनपद भूमि संरक्षण अधिकारियों का स्थानांतरण अविलम्ब करके उपरोक्त जांच अच्छे कुशल इंजीनियर द्वारा करायी जाय और इन भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

वित्त मन्त्री के बजट भाषण में रोमन लिपि का प्रयोग तथा अन्य कार्यों में अंग्रेजी के प्रयोग के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक औचित्य का प्रश्न आपके समक्ष रखना चाहता हूं जिसको कि मैं आपके संज्ञान में भी ला चुका हूं। मान्यवर, मैं कापका ध्यान नियमावली के नियम 282 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें स्पष्ट लिखा है कि "संविधान के उपबन्धों के अधीन सभा का कार्य हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि में होगा"। यह स्पष्ट नियम है। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने 4 मई, 1979 को जो बजट भाषण सदन के सामने पढ़ा है जिसमें पृष्ठ 1, 4 और उसके आगे भी कई बार उसमें रोमन लिपि का इस्तेमाल किया है। मान्यवर, जब आज के मुख्य मंत्री इस विधान सभा के अध्यक्ष थे तो उन्होंने व्यवस्था दी थी कि देवनागरी लिपि को छोड़ कर किसी अन्य भाषा में किसी भी प्रकार का वक्तव्य नहीं पढ़ा जायेगा और अगर कोई उद्धरण रोमन लिपि का देना भी होगा तो उसका अनुवाद करके उसे देवनागरी लिपि में ही दिया जायेगा। मान्यवर, मैं आपके मार्फत शासन से और खास तौर से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारा अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन के प्रति कोई विरोध नहीं है लेकिन सरकारी कामकाज में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वैसे शेक्सपियर का साहित्य आप पढ़ें, हमें कोई हर्ज नहीं लेकिन यहां पर उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। यह तो मैंने नियमावली की बात कही है।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, हमारे नये मंत्रियों को जो मोटरें मिली हैं उनमें अंग्रेजी में नम्बर लिखे हैं जब कि पहले हिन्दी में उनके नम्बर होते थे। इसके अलावा और कामकाज में भी अंग्रेजी का इस्तेमाल शुरू हो गया है। तो मान्यवर, नियमावली के तहत इस बात पर कार्यवाही होनी चाहिए। वित्त मंत्री का बजट भाषण सदन की सम्पत्ति हो गया है और वह सदन की कार्यवाही में आ गया है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से जोकि स्वयं सिद्धान्ततः मेरी बात से सहमत होंगे कि कोई भी सरकारी कामकाज हिन्दी में ही होना चाहिए, उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में एक अच्छे नेता के नाते खेद प्रकट करें। अथवा मान्यवर उनका बजट भाषण, जो सदन की सम्पत्ति हो गया है, जहां उन्होंने रोमन लिपि का प्रयोग किया है, उन शब्दों को आप उससे हटाने का आदेश दें।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने एक औचित्य का प्रश्न उठाया है....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

उसी में मैं एक नई सूचना देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें माननीय अध्यक्ष का पहले से ही निर्देश है कि हिन्दी में ही होना चाहिये। इसमें जो प्रश्न आया है उसमें दो तीन बातें हैं आई हैं एक तो ब्रेकेट में हैं जैसे मास्टर प्लान है, लेबर बैंक, आदि जो हैं वह अंग्रेजी में लिखे हुए हैं और ब्रेकेट में हैं। तीसरी बात अंकों की है। 18 मार्च, 1978 को श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा इसी प्रकार का प्रश्न उठाये जाने पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा था कि "कार्य सूची में अंग्रेजी के शब्द कोष्ठक में स्पष्टीकरण के लिए लिखे गये हैं। उन्हें क्षेपक के रूप में समझना चाहिए। जहां तक अंकों का प्रश्न है वह अन्तर्राष्ट्रीय अंक मान लिए गये हैं। भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि यदि अंग्रेजी शब्द लिखना हो तो वह देवनगरी लिपि में लिखे जायें।" तो अंकों के बारे में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब रहा ब्रेकेट की बात वह केवल स्पष्ट करने के लिए लिखे गये हैं। श्री शतरुद्र प्रकाश जी, ब्रेकेट की आप उपेक्षा कर दीजिये। अगर कोई पढ़ना चाहे तो कोई आपत्ति नहीं। उसको एक क्षेपक की तरह देखें। लेकिन कुछ शब्द जो ब्रेकेट में नहीं है 'पार्टिसिपेटरी डिमोक्रेसी मास्टर प्लान' आदि यह वास्तव में उचित नहीं है। भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाय। अगर यह शब्द लिखने हैं तो देवनागरी लिपि में लिखे जायं ब्रेकेट में भी देवनागरी लिपि में लिखे जायं। यह व्यवस्था माननीय अध्यक्ष द्वारा दी जा चुकी है। अतः पहले से ही शासन को इनका पालन करना चाहिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने भी नाम दिया था।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

जितनी सूचनायें हैं उन सब को पढ़वायेंगे क्या ?

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय शत्रुघ्न प्रकाश जी ने जो कहा है उससे भिन्न बात कहूंगा। आपके द्वारा समय-समय पर निर्देश देने के बाद भी शासन की ओर से उसकी बराबर उपेक्षा हो रही है, आज ही एक प्रमाण है अल्पसूचित प्रश्न संख्या 3 में जो माननीय बाबू लाल जी ने दिया है उसके उत्तर में आया है इसमें भी "डीन स्टूडेंट वेलफेयर" कोष्टक में रोमन में लिखा गया है। मैं एक नई बात और कहना चाहता हूं कि यह कोष्टक निकाल देने से नहीं होगा। माननीय वित्त मंत्री ने अपना बजट भाषण प्रस्तुत कर दिया अगर उसमें से कुछ अंश निकाल देंगे तो उससे भी वैधानिक स्थिति उत्पन्न हो जायेगी उसके बाद उसका स्वरूप क्या रह जायेगा यह बात भी देखने की है। इसलिए आप स्पष्ट व्यवस्था और निर्देश देने की कृपा करें। इससे निश्चित रूप से नियम 282 पर कुठाराघात होता है। उसका पालन किया जाना चाहिये और बजट भाषण से उन शब्दों को निकाल देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

जो भाषण हो चुका है और जो साहित्य यहां आ चुका है उसमें से निकालना संभव नहीं है लेकिन भविष्य के लिए इस बात का ध्यान रखा जायेगा।

श्री देवबहादुर सिंह—

ब्रेकेट में रहने दें यह ठीक है निकालने से उसका रूप ही खराब हो जायेगा।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, आप बजट भाषण का पहला पृष्ठ देखें उसमें पार्टिसिपेटरी डिमोक्रेसी लिखा है यह न तो ब्रेकेट में है और न देवनागरी लिपि में है। इसलिए जो निर्णय दिया गया है यह उसके विपरीत आता है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो पहले पन्ने का जिक्र किया है 'पार्टिसिपेटिरी डिमोक्रेसी' का इसका अर्थ 'प्रजातांत्रिक भागीदारी' उन्होंने हिन्दी में लिखा है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

वह देवनागरी लिपि में लिखा जा सकता था।

श्री उपाध्यक्ष—

उसके लिए कह दिया है कि भविष्य में ध्यान रखा जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, बजट भाषण मंत्री जी का वह है जो उन्होंने यहां पर पढ़ा, जो हाउस की प्रोसीडिंग में है, जिसे यहां रिकार्ड किया है। यह किताब जो दी है वह सदन का रिकार्ड नहीं है। सदन का रिकार्ड हिन्दी में है। उनकी भावनाओं की मैं कद्र करता हूं, मैं भी हिन्दी का प्रगाढ़ प्रेमी हूं लेकिन इतना भी नहीं होना

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहिये । माननीय मंत्री जी ने भाषण हिन्दी में पढ़ा जो सदन की प्रोसीडिंग में लिखा गया । उस प्रोसीडिंग में अंग्रेजी के कहीं शब्द नहीं होंगे । यह तो माननीय सदस्यों की सहायता के लिए केवल बढ़वा दिया जाता है । लिहाजा किसी चीज को निकलवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे का तैसा रहने दिया जाय ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

ब्रेकेट से तो सहायता मिलती है ।

श्री उपाध्यक्ष--

हमने तो यही व्यवस्था दी है कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जाय । अब यह विषय समाप्त हुआ ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मैंने जो कहा, उसमें किसी को निकालवाने या रखने की जरूरत नहीं है मैंने एक संवैधानिक बात उठाई है और आपको आपके चैम्बर में भी बताई है । यह जितना संवैधानिक प्रश्न है, उतना ही सैद्धान्तिक भी है । इस विवाद को इस तरह से समाप्त कर देने से समस्या हल नहीं होगी । इस मामले में यदि नियमावली का पालन नहीं किया गया तो यह दबने वाला नहीं है । वित्त मंत्री जी या तो यहां पर खेद प्रकट करें और यदि वह इसमें संकोच करते हैं तो मुख्य मंत्री जी में इतना बड़प्पन होना चाहिए, उन्होंने अध्यक्ष होने के नाते जो व्यवस्था दी है, उस पर कायम रहकर सफाई दें और मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य की कोई गलती हो तो उन्हें सदन में खेद प्रकट करना चाहिए । मैं चाहूंगा कि वह इस पर अपना वक्तव्य दें ।

*श्री बनारसी दास--

उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि नियम 282 में लिखा है । "संविधान के उपबन्धों के अधीन सभा का कार्य हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि में होगा ।" यह जो बजट भाषण है, सारा देवनागरी में ही है, केवल कुछ कोष्ठकों में रोमन लिपि में उसका प्रयोग किया गया है । मैं शतरुद्र प्रकाश जी से आशा करता हूं--क्योंकि गान्धारी तो आंख वाली थी, लेकिन वह पतिव्रता थी, इसलिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध लिया करती थी । इसलिए ज्यादा अच्छा होता, वह भी गान्धारी के समान उस कोष्ठक पर, उस पर अपने आप पट्टी लगा देते । इसमें नियमों का कोई उल्लंघन नहीं है । मैं तो चाहता हूं कि कोष्ठक हर पुस्तक में सहायता के लिए होने चाहिए । प्रत्येक हिन्दी किताब में ग्लोसरी बर्ड्स की होती है । इसलिए इसमें संविधान का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है और न ऐसी मंशा है । मैं माननीय सदस्यों से यही कहूंगा कि जिसको इस तरह की आपत्ति है, वह थोड़ा-थोड़ा कोष्ठक की तरफ ध्यान ही न दें । लेकिन आपका आदेश है, तो उसका पालन किया जाएगा ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां की सूचना स्वीकार न किये जाने पर उनके द्वारा रोष प्रकट किये जाने पर आपत्ति

*श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

मैं कई बार खड़ा हुआ, लेकिन मुझे इजाजत नहीं मिली । आप प्रतिपक्ष की ज्यादा सुनते हैं । मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहा था, लेकिन आपने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नेम सिंह चौहान—]
ध्यान ही नहीं दिया....।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरी नजर आप पर नहीं पड़ी ।

श्री नेम सिंह चौहान—

जब विजय राज जी नियम 301 में वक्तव्य पढ़ रहे थे, आरिफ साहब बड़े जोश में खड़े हो गये । वित्त मंत्री ने उस पर कुछ कहा होगा उस पर और वह उस पर यहां तक बढ़ गये और भाषा का ऐसा उग्र प्रदर्शन किया कि वह सीमा लांघ गये । आपने व्यवस्था दी है कि माननीय सदस्य का व्यवहार संयत होना चाहिए । आप इस प्रकार की व्यवस्था यदि नहीं करेंगे तो यहां पर उत्तेजना बढ़ती है । तो मैं व्यवस्था चाहूंगा कि आरिफ साहब अपने व्यवहार को संयत करें और जो दूसरे पर आरोप करते हैं, वह किसी प्रकार उचित नहीं है । वित्तमंत्री ने कोई बात कही होती, तो आपने स्वतः उस पर चेतावनी दी होती । उनका यहां तक बढ़ आना कहां तक उचित है ? यह आप व्यवस्था दें ।

*श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

वह आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं, इसलिए मुझे भी आप सुन लें । किसी संसदीय परम्परा में एसा नहीं है कि संसदीय कार्य मंत्री बैठकर इस माननीय सदन के भीतर ऐसी बात कहें जिससे उसके ऊपर आक्षेप हो, उसकी नीयत के बारे में शुबहा हो । हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में यहां बैठे हुए हैं । जितनी समस्याओं को उठाते हैं, मंत्री और मंत्रियों में संसदीय कार्य मंत्री अपनी सीट पर बैठकर टिप्पणी करते हैं, आप बैठ जाइये, अखबारों में छप जायगा, यह आक्षेप नहीं है, अगर बदनियती का आरोप नहीं है तो क्या है ? यह मामला ऐसा है, विशेषाधिकार समिति को करना चाहिए, माननीय संसदीय कार्य मंत्री को बरखास्त किया जाना चाहिए ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

अखबारों में छपता भी नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

तमाम ऐसी बातें हैं जो माननीय सदस्य आपस में किया करते हैं, लेकिन कार्यवाही में वह नहीं आती ।

एक सदस्य—

अगर उनकी बात सुनी जायगी....।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने नहीं सुना । यह बातें तो आपस में होती रहती हैं । अगर उनके ऊपर जायगें तो दिन भर बैठ कर....।

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूं । यूनियन का सेक्रेटरी और प्रेसीडेंट रहा हूं । सीधे दिल्ली से लौट कर आया हूं । अलीगढ़ यूनिवर्सिटी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यूनियन के प्रेसीडेंट और सेक्रेटरी ने यह कहा कि हमारे 15 लड़के गायब हैं। अलीगढ़ जाकर क्या जवाब दूंगा ? वहां से उनसे मिलकर चला हूं। आपको पूरी बात समझायी है। उसके बावजूद इस अहम मसले को, मेरा दोष है, मैं नहीं समझा सका, 311 में नहीं, 56 में नहीं 301 में स्वीकार किया। अगर मैंने कोई ऐसी बात कही है, माननीय सदस्य कहते हैं, मैं अपनी गलती तसलीम करता हूं। मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 52 या 56 का जिक्र जब वक्तव्य होगा तब आयेगा। 301 की सूचना पहले आ जाती है, मंजूर करें या रिजेक्ट करें यह सवाल था।

श्री देवबहादुर सिंह--

आप अनुमति दें....

एक सदस्य--

माननीय देवबहादुर, व्यवस्था देने दें।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपा करके बैठिए। मैं इस पर इजाजत नहीं देता।

वित्त मन्त्री के बजट भाषण में रोमन लिपि का प्रयोग तथा अन्य कार्यों में अंग्रेजी के प्रयोग के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

इसके अलावा क्या दूसरा व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री शतरुद्र प्रकाश--

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मैंने जो औचित्य का प्रश्न रखा था आपने व्यवस्था दे दी। मुझे कुछ नहीं कहना है। आपने व्यवस्था दी कि सदन के अन्दर और पुराने अध्यक्ष जी की व्यवस्था को पढ़ कर सुना दिया, कि इस सदन में देवनागरी लिपि में, अगर अंग्रेजी के शब्द लिखे जायंगे तो देवनागरी लिपि में, होंगे। मैं सदैव विधायिका की इज्जत करता रहा हूं। मैंने सरकार से विधान सभा को ज्यादा ही सम्मान दिया है। स्वयं पहले जब एक व्यवस्था हो चुकी है आपकी इस व्यवस्था के बाद भी माननीय मुख्य मंत्री ने कहा, कोष्ठकों में रोमन लिपि में रखा जायगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं जो उन्होंने सदन में बयान दिया, इस सदन के अन्दर कोष्ठकों में रोमन लिपि में लिखा जायगा, क्या इस बात की आप इजाजत देंगे कि सदन के अन्दर देवनागरी लिपि के अलावा कोष्ठकों में रोमन लिपि में लिखे हुए शब्द पढ़े जायं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि यह आज्ञा आपको शिरोधार्य है। जैसा पहले निर्देश म है, अध्यक्ष पद पर बैठे हुए व्यवस्था दी है, उसका पालन किया जायगा। लेकिन साहित्य में जो चीजें आ गयी हैं उनको निकाला नहीं जा सकता।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

यह गलती हो गयी शासन की तरफ से इसको भविष्य में देखेंगे । अब आगे चलें ।

श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है । आप मौका नहीं दे रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह इनक्वायरी के लिए भेज देंगे सरकार के पास ।

श्री ओंकार नाथ—

लेकिन स्वीकार नहीं किया । निर्देश कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह मैंने कहा कि सरकार के पास तुरन्त कार्यवाही के लिए, जांच के लिये भेज देंगे । उसको मैंने स्वीकृत नहीं किया । आप बैठिए ।

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (प्रथम संशोधन) नियमावली 1976†

श्रम मन्त्री (श्री क्रान्ति कुमार)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रम अनुभाग—3 की अधिसूचना संख्या 4257 (वि)/36-3-728 (एस)-76, दिनांक 3 नवम्बर, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976 जो विधान सभा के 30 मार्च, 1977 के उपवेशन में सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि पूरी नहीं हो सकी थी, को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उप-धारा (1) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

यू० पी० स्टेट हैण्डलूम एण्ड पावरलूम फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०, कानपुर की तृतीय वार्षिक रिपोर्ट 1975-1976†

उद्योग मंत्री (श्री रामनरेश यादव)—

मान्यवर, मैं यू० पी० स्टेट हैंडलूम एन्ड पावरलूम फाइनेन्स एन्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, कानपुर की तृतीय वार्षिक रिपोर्ट 1975-76 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर का सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन 1975-76 एवं अष्टम वार्षिक प्रतिवेदन 1976-77††

उद्योग मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर का सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन, 1975-76 एवं अष्टम वार्षिक प्रतिवेदन, 1976-77 को कम्पनीज एक्ट, 1957 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापी नहीं गयी ।
††छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 1971–72, 1972–73 1973–74, 1974–75 और 1975–76 का छठवां, सातवां, आठवां, नवां एवं दसवां वार्षिक प्रतिवेदन और कार्य विवरण

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेट कानपुर का वर्ष 1971–72, 1972–73, 1973–74, 1974–75 और 1975–76 का छठवां, सातवां आठवां, नवां एवं दसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं कार्य–विवरण†

उद्योग मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)––

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड कानपुर का वर्ष 1971–72, 1972–73, 1973–74, 1974–75 और 1975–76 का छठवां, सातवां, आठवां, नवां एवं दसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं कार्य विवरण को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619–ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)––

मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूं और वह इसी जगह इसी समय उठाना चाहता हूं । माननीय उद्योग मन्त्री जी इतने वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदन एक साथ सदन के पटल पर रख रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि एक वर्ष में ही यह सब प्रतिवेदन तैयार किए गये हैं या वह तैयार हो गये थे और वह एक ही बार रखे जा रहे हैं । निगम कामर्शियल ढंग से काम करता है । उनके हर वर्ष एकाउन्ट बनते हैं । अगर हर वर्ष एकाउन्ट नहीं बने तो क्यों नहीं बने ? मैं पूरी स्थिति जानना चाहता हूं ।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास) ––

यह तो पिछली सरकार का जमा किया हुआ काम है और अब मैं रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तो आपको क्या आपत्ति हो सकती है ।

श्री श्यामधर मिश्र––

बात तो यह है कि कम से कम 2 वर्ष पुराना प्रतिवेदन जिसको हमें जानने का हक है, वह अब रखा जा रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इतना विलम्ब क्यों हुआ है । इससे हमारा हक मारा जाता है और निगम अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता है ।

श्री बनारसी दास––

इस सरकार को बने हुए 2 साल हुए हैं । उसका प्रतिवेदन एक साल बाद ही तो आयेगा । इसका श्रेय तो आपको वर्तमान सरकार को देना चाहिए । उनका संकलन करके आपकी जानकारी के लिए रखा है तो इसमें आपको क्या आपत्ति है ।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, कानपुर का 15 वां वार्षिक प्रतिवेदन 1975–76††

उद्योग मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)––

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, कानपुर का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन, 1975–76 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619–ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापे नहीं गए ।

††छापा नहीं गया ।

स्वायत्त शासन अनुभाग–2 की अधिसूचनाएं

स्वास्थ एवं आबकारी मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)––

मान्यवर, मैं स्वायत्त शासन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 1147/9–2–142–77, दिनांक 26 मार्च, 1979 को उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा 96 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

कार्य–मन्त्रणा समिति द्वारा सदन के पुनरीक्षित कार्यक्रम का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष––

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 9 मई, 1979 की बैठक में सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित संस्तुतियां की हैं :––

(1) 14, 15 और 16 मई, 1979 को सदन का उपवेशन न हो और 17 मई, 1979 को वित्तीय वर्ष 1979–80 के आय व्ययक पर सामान्य चर्चा रखी जाय ।

(2) 9 जून, 1979 को जो जून मास का द्वितीय शनिवार है सदन का उपवेशन हो और उस दिन वित्तीय वर्ष 1979–80 के आय व्ययक के अनुदानों पर मतदान रखा जाय ।

(3) शेष कार्यक्रम यथावत् रहें ।

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)––

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों जिनकी सूचना श्री उपाध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, से सहमत है ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों जिनकी सूचना श्री उपाध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, से सहमत हैं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

विधान सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन 31 मई, 1979 तक कराने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन 26 मार्च, 1979 को पारित प्रस्ताव के क्रम में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 8 के उप–नियम (1) के परन्तुक के खंड (ख) के उपबन्धों को पुनः निलम्बित करते हुए एतद्द्वारा यह निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन 31 मई, 1979 तक ऐसी तिथि को जो श्री राज्यपाल इस सम्बन्ध में नियत करें, हो ।

श्रीमन्, मैं नहीं चाहता था कि 14, 15 और 16 को छुट्टी हो । चूंकि विरोधी दल का आग्रह था और 17 अंतिम तारीख है, इसलिए इसको मैंने रखा है । आप इसे स्वीकार करें ।

---

†छापी नहीं गयी ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी ने रखा है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मैंने निवेदन किया था कि 31 मई के लिए जो अध्यक्ष के चुनाव स्थगित करने की बात हुई है उसके बारे में सरकार यह व्यवस्था करे कि उसके पहले ही निश्चित रूप से अध्यक्ष का चुनाव करा दिया जायेगा ।

श्री बनारसीदास—

यह तो मैंने कहा कि 31 मई तक, जो तारीख राज्यपाल इस सम्बन्ध में नियत करें, निश्चित समय से करा दिया जायेगा ।

श्री गोबिन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

यह लोग सौदेबाजी कर रहे हैं । ठीक है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन 26 मार्च, 1979 को पारित प्रस्ताव के क्रम में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 8 के उप नियम (1) के परन्तुक के खंड (ख) के उप बन्धों को पुनः निलम्बित करते हुए एतद्द्वारा यह निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन 31 मई, 1979 तक ऐसी तिथि को, जो श्री राज्यपाल इस सम्बन्ध में नियत करें, हो ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

16 तारीख को होने वाली रैली पर रोक लगाने के सम्बन्ध में पूछताछ

श्री मोहम्मद आरिफ खां (जिला बुलन्दशहर)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि 16 तारीख को जो रैली है जिसके कारण सदन की छुट्टी की गयी है, उसमें किसी को गैर कानूनी ढंग से रोकने की कोशिश तो नहीं की जायेगी और जो बस के परमिट हैं उनको कैंसिल तो नहीं किया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आप अलग से बात उनसे कर लें ।

श्री बनारसीदास—

यह सरकार लोकतन्त्र में यकीन करती है । हमने न तो 7 तारीख की रैली में किसी को रोका न हम आगे रोकना चाहते हैं । एक रहस्योद्घाटन मैं यह करना चाहता हूं कि श्री आरिफ ने स्वयं यह कहा था कि रैली शान्तिमय होगी और मैंने कहा था कि आप और आपके नेता मुझको लिखकर अगर दे देंगे कि कोई हिंसा नहीं होगी, रैली शान्तिमय होगी तो हम मीटिंग और रली पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लायेंगे । सरकार का कोई इरादा 16 तारीख के प्रदर्शन को रोकने का नहीं है । लेकिन अगर आप बेटिकट चलेंगे तो नियमों का पालन होगा ।

दिनांक 25 अप्रैल, 1978 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 22 का उत्तर गलत दिये जाने के सम्बन्ध में थानाध्यक्ष, महुली, (बस्ती) के विरुद्ध की गई कार्यवाही की सूचना

स्वास्थ्य एवं अधिकारी मन्त्री (श्री रमाशंकर कौशिक)—

मान्यवर, मैं सदन को 25 अप्रैल, 1978 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 22 के उत्तर के सम्बन्ध में विधान सभा अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी करण (चतुर्थ संस्करण) के पैर 213 के अनुसार कृत कार्यवाही की सूचना देता हूं ।

विधान सभा के प्रथम सत्र (1978) में श्री विद्याशंकर पांडेय तथा श्री कमला प्रसाद वर्मा द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, जो दिनांक 25-4-78 को विधान सभा में उत्तरित हुआ था प्रश्न तथा उत्तर इस प्रकार था :

प्रश्न—

22—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दुबौली, थाना महुली जिला बस्ती के निवासी सर्वश्री राम गोविन्द, राम विलास पांडेय, श्री रामसन्त तथा गोविन्द आदि के विरुद्ध 11 अगस्त, 1977 को श्री सभाकर दुबे आदि ने थाना महुली, जिला बस्ती में इस आशय की रिपोर्ट लिखायी थी कि उपर्युक्त व्यक्ति श्री सभाकर तथा उसके भाई गुलाब दत्त के परिवार के सदस्यों की जानमाल का नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं ? क्या इस सम्बन्ध में 20 जुलाई, 1977 व 15 सितम्बर, 1977 को श्री गुलाब दत्त का प्रार्थना-पत्र तथा 7 अक्तूबर, 1977 का प्रश्नकर्त्ता का पत्र मुख्य मंत्री को मिला ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सभाकर दुबे पुत्र श्री अछेबर दुबे ने दिनांक 21-8-77 को थाना महुली में सर्वश्री राम गोविन्द, राम सन्त तथा गोविन्द के विरुद्ध धारा 506/352 भा० द० वि० के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज करायी थी जो कि अहस्तक्षेपीय अपराध के अन्तर्गत आता है । मामला दीवानी से संबन्धित है और दीवानी न्यायालय में विचाराधीन भी है । अतः पुलिस द्वारा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना सम्भव नहीं है । फिर भी शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु पुलिस द्वारा 107/116 जा० फौ० की कार्यवाही की जा चुकी है । प्रश्नगत पत्रों का प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता है ।

उत्तर दिये जाने के बाद प्रश्नकर्त्ता श्री कमला प्रसाद वर्मा ने माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को सूचित किया कि उनके प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है वह तथ्य से परे है क्योंकि—(1) मामले में धारा 506/352 भा० द० वि० के अन्तर्गत लिखायी गयी रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी । (2) मामला दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है । (3) श्री गुलाबदत्त के दिनांक 20-7-77 व 15-9-77 के पत्र माननीय मुख्य मंत्री के कार्यालय में 7-10-77 को प्राप्त हुये थे ।

माननीय सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना पर तथ्यों की पुनः छानबीन करायी गयी जिससे ज्ञात हुआ कि उनके प्रश्न का जो उत्तर दिया गया था उसका केवल यह अंश छोड़कर कि मामला दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है शेष पूरा

उत्तर सही था । मामला दीवानी न्यायालय में विचाराधीन होने की बात जो पहले कही गयी थी वह विपक्ष के तहरीरी बयान के आधार पर थानाध्यक्ष महुली द्वारा प्रेषित सूचना पर आधारित थी । विपक्ष के उक्त तहरीरी बयान की छानबीन किये बिना सूचना देने के लिये जो गलत उत्तर देने का कारण बना थानाध्यक्ष महुली श्री बन्स बहादुर सिंह ने यह बताते हुये कि उन्होंने उक्त सूचना जानबूझ कर नहीं दी थी बल्कि ऐसा उनसे सहवन हो गया है क्षमा याचना की है । ऐसी स्थिति में थानाध्यक्ष महुली श्री बंस बहादुर सिंह को उनको व्यक्तिगत पंजिका पर भर्त्सना करते हुये भविष्य में सचेत रहने हेतु कठोर चेतावनी दे दी गयी है ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

सर्वश्री आरिफ, ऊदल और छेदीलाल जी की एक सूचना है । अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक के प्रश्न पर प्रदर्शन में भाग लेने के लिये दिल्ली जाने वाले छात्रों पर हमला किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५६ के अन्तर्गत सूचना प्राप्त हुई थी । अब यह निश्चित हो चुका है कि माननीय मुख्य मंत्री के वक्तव्य के बाद इसके ऊपर एक घंटे की चर्चा होगी । इसलिए इसको मैं अस्वीकार करता हूं । वक्तव्य तो इसके ऊपर होगा ही चर्चा भी होगी ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

किस नियम के अन्तर्गत चर्चा होगी श्रीमन् ?

श्री उपाध्यक्ष--

वह मान लिया गया । मुख्य मंत्री जी ने उसको मान लिया ।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)--

यह ११३ के नियम को निलम्बित करके जो आप का ५६ में था, उसमें आपत्ति नहीं. . . . (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

मान्यवर, किस नियम में चर्चा होगी ?

श्री बनारसी दास--

मैं वही कह रहा हूं । मैंने उसकी सूचना दी थी कि नियम को निलम्बित करके ५२ में १ घंटे की चर्चा होगी ।

१९७९-८० के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)†

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने ४ मई को जो इस सदन में बजट प्रस्तुत किया, इससे बड़ा निराशाजनक, जनविरोधी और प्रदेश के विकास में बाधा डालने वाला बजट इस सदन में कभी पहले नहीं प्रस्तुत किया गया और एक नई बात यह हुई कि इस बजट में, जो कमजोर वर्ग हैं हमारे प्रदेश के, उनके विकास के लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया और जनता पार्टी के शासन में आने के बाद गरीब और अमीर के बीच में जो खाईं बढ़ी है, उसको पाटने के लिए कोई प्राविधान माननीय वित्त मंत्री ने इस बजट में नहीं किया । उन्होंने क्या किया कि

† ९ मई, १९७९ की कार्यवाही से ।

[श्री देव बहादुर सिंह--]

कुछ उन्होंने कर लगा कर, जो चौधरी चरण सिंह जी, नये वित्त मंत्री बने हुए हैं, उनके चरण चिन्हों पर चलने के लिए कुछ कर प्रदेश में भी लगा दिया है, जिसकी कि कोई जरूरत नहीं थी। मान्यवर, इन्होंने अल्कोहल पर कर लागा दिया है जसा बताया गया है कि होम्योपैथिक की सारी दवाइयां अल्कोहल से बनती हैं, उसी तरह से मनोरंजन कर बढ़ा दिया है, गरीबों का एक मनोरंजन का साधन यह है। उसमें भी कर बढ़ा दिया है। विद्युत् शुल्क में वृद्धि कर दिया है। ये तो पहले हमेशा इस बात के हामी रहे हैं कि किसानों के विद्युत शुल्क में हम कमी करेंगे। वास्तविकता यह है कि विद्युत् शुल्क बढ़ा कर किसान विरोधी कार्य जो है, उसको इस सरकार ने इस विद्युत शुल्क लगा कर किया है।

हथकरघा से बने हुए जो रेशमी वस्त्र हैं, आज तक वह शुल्क से मुक्त थे, उस पर कर लगाया है और बनारस में जितने साड़ी बनाने वाले हैं, उन्होंने एक दिन का हड़ताल भी किया था कि जिससे यह शुल्क माफ किया जाय। मैं तो सरकार से माँग करूंगा कि इस पर पुनः विचार किया जाय। जो हथकरघा पर टक्स लगाया गया है, उसको खत्म किया जाय।

एक नया ईजाद शिक्षा उपकर लगा कर इस सरकार ने किया है। हालत यह है कि मान्यवर, जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूशन्स हैं, वहां पढ़ने वाले और जो पढ़ने वालों के अभिभावक हैं, कोई खुश नहीं हैं। यहां तो शिक्षा का बंटवारा, पब्लिक स्कूल्स और सरकारी स्कूल, और जो आदमी के, व्यक्ति के विकास में शिक्षा की आवश्यकता होती है, वह तो पब्लिक स्कूल के जो छात्र पढ़ते हैं, फायदा उठाते हैं। आपके स्कूल में कोई उन्नति नहीं हो रही है। वहां पर नकल हो रही है। इसलिए मैं सरकार से चाहूंगा कि उस कर को खत्म कर दें। स्टाम्प ड्यूटी साढ़े ७ से लेकर साढ़े ८ तक कर दिया है। जमीन की रजिस्ट्री कितने रुपये में होगी, उसके अनुसार उतना रुपया उसे अनिवार्य रूप से स्टाम्प ड्यूटी जमा करना पड़ेगा। साढ़े सात से साढ़े आठ रुपया बढ़ा कर जो किसान ड्यूटी से दबा था उस पर सरकार ने और बोझ बढ़ा दिया। इस सरकार ने टैक्स लगाकर महंगाई वृद्धि की है। ५० करोड़ २० लाख रुपया इनको उपलब्ध 'कर' से होगा और इससे ज्यादा इनको उपलब्ध होने वाला नहीं। मान्यवर, पिछले साल माननीय राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ था उसमें मिल द्वारा जो गन्ने का मूल्य और सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य में अन्तर था उसको सरकार देगी, दिया हुआ था। लेकिन मुझे लगता है सरकार इसे नहीं देगी। अगर आप देना चाहते हैं तो बजट में इसका प्राविधान क्यों नहीं दिया गया।

जो ५५ कारपोरेशन हैं उनमें १६ सौ करोड़ रुपया लगा है और उसमें से १७ कारपोरेशन हैं उन पर कुल घाटा १७९·४९ करोड़ हो चुका है। टैक्स लगाकर आप घाटे को पूरा करते हैं। सबसे ज्यादा घाटा विद्युत् परिषद् में है। शुगर कारपोरेशन में १७.६९ करोड़ का है। अगर इनको पूरा कर दिया जाये तो मैं समझता हूं कि यह आवश्यकता होगी ही नहीं कि टैक्स लगाये जायें।

बिक्री कर ३१-८-७८ तक ८५·६३ करोड़ रुपया बकाया था जिसमें ९९२ व्यापारी ऐसे हैं जिन पर ५० हजार से ज्यादा बकाया है। इस सब को देखें, लगभग दो-सवा-दो सौ करोड़ रुपया होता है। तो मान्यवर, मेरा निवेदन है सरकार को आप चाहे जितना पैसा दे दें उसे पैसे का क्या करना चाहिए, तमीज ही नहीं। १६ आइटम ऐसे हैं, जिनमें सदन द्वारा स्वीकृत धनराशि को भी खर्च नहीं किया गया था।

माननीय वित्त मंत्री जी मितव्ययिता की बात करते हैं। जब यह जनता पार्टी का शासन आया तो लगा बड़े–बड़े भवन छोड़कर झोपड़ी में रहना शुरू कर देंगे, कार में नहीं चलेंगे। उसमें वे नहीं बैठेंगे पद यात्रा करेंगे लेकिन जब वे महल में पहुंचे तो सारे के सारे....

एक सदस्य—

बैलगाड़ी में भी बैठे हैं।

श्री देव बहादुर सिंह—

बैलगाड़ी पर भी आपकी पार्टी के लोग बैठे हैं। मान्यवर, अटल जी बैलगाड़ी पर बैठे हैं लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन मैं कहता हूं कि आप धोखाधड़ी की बात क्यों करते हैं। मैं बताऊं मान्यवर, कितनी मितव्ययिता आपने की है। मेरे प्रश्न के उत्तर में इस सदन में एक जवाब आया कि २३–६–७७ से ३१–७८ तक भूतपूर्व मुख्य मंत्री राम नरेश यादव जी के ऊपर मान्यवर, १,०१,६४८ रुपये २६ पैसा यात्रा भत्ता के रूप में खर्च हुआ। यह ११ हजार रुपये बैठता है, मान्यवर, प्रति माह। शाही जी, जो उस समय विद्युत् मंत्री थे के ऊपर ५७,६७१ रुपये 03 पैसे खर्च हुआ। हरिश्चन्द्र जी के ऊपर ५९,८५२ रुपये ८९ पैसा खर्च हुआ। श्री केशरी नाथ त्रिपाठी जी पर शासन का ४७,८६१ रुपये २३ पैसा खर्च हुआ। श्री लक्ष्मण सिंह जी जो राज्य मंत्री थे उस समय उनके ऊपर मान्यवर, ३८,०१५ रुपये ३० पैसा खर्च हुआ। यह किस प्रकार की मितव्ययिता कर रहे हैं। टेलीविजन, बड़े–बड़े कालीन, टेलीफोन और उनके कई एक्सटेन्सन और नाना प्रकार की सुविधायें चाहिये इनको। एक नया आदेश हुआ है मान्यवर, जितने मंत्री और राज्य मंत्री थे पहले और शासन में अभी तक नहीं आये हैं, मुख्य मंत्री जी अभी नहीं बैठे हैं, मान्यवर, उन्होंने उन सभी भूतपूर्व मंत्रियों को भी वही सुविधायें देने की व्यवस्था की है। मान्यवर, यह किस प्रकार मितव्ययिता की बात करते हैं। इन्हें जो पैसा दिया गया है उसका ही यह उपयोग नहीं करते हैं, अपने ऊपर ही खर्च करते हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं उस धन का। इनको और पैसा देने की क्या आवश्यकता है, मान्यवर, जो भी पैसा दिया जायेगा, यह उसका दुरुपयोग ही करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री देव बहादुर सिंह—

५ मिनट में समाप्त कर दूंगा। अभी तो मैंने केवल प्रस्तावना ही बताई है। अभी मैंने कुछ कहा ही कहां है। बिजली की दर कांग्रेस हुकूमत में ३० पैसे प्रति यूनिट थी। ४७ पैसा प्रति यूनिट कर दिया, एक पैसा प्रति यूनिट अभी और बढ़ा दिया। यह अपने को किसानों का शुभ चिन्तक कहते हैं। मान्यवर, टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। विद्युत परिषद को फिर भी घाटा हो रहा है। १५३ करोड़ का घाटा पूरा करते तो किसानों पर टैक्स बढ़ाने की आवश्यकता न होती।

मान्यवर अपराध स्थिति के बारे में बात करते हैं। ५५ विधायक हैं जिन्होंने आपसे यह निवेदन किया है कि हमारे प्राणों की रक्षा की जाये। माननीय शिवराज सिंह जी बदायूं के विधायक थे कल उनके भाई को गोली मार दी गयी। अगस्त से लेकर दिसम्बर, १९७८ तक सिर्फ गोरखपुर में १७० हत्यायें हो चुकी हैं, ४ डाके पड़े, ८ राहजनी हुई। जब माननीय मुख्य मंत्री जी बने २८ फरवरी को जब उन्होंने शपथ

[श्री देव बहादुर सिंह--]

ली, बस्ती में अभूतपूर्व घटना घट रही थी। मान्यवर शुरुआत ही गहन अपराध के साथ हुई। लोगों की स्थिति यह हो गयी है कि अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं।

यह कहते हैं कि हम जनतंत्र की स्थापना कर रहे हैं। मुझे तो डर है मान्यवर कि जनतंत्र पूर्णरूप से कहीं नष्ट ही न हो जाये। इनके कृत्यों की वजह से अपराधों की स्थिति यह हो गयी है। एक बात और कहूंगा पुलिस के बारे में सतर्कता विभाग में ५०० केश पड़े हुये हैं जांच कराने के लिये उन्हें अनुमति नहीं दी जाती है, उनको सतर्कता द्वारा जांच कराने की अनुमति देनी चाहिये। पुलिस के बारे में आपने बजट में प्राविधान किया है कि उसे और धन देना चाहिये। जिससे उसके कार्य में कुशलता बढ़े। कानिस्ट्रिबिल की भरती की जाती है, डी० एस० पी० की भी सीधी भर्ती की जाती है। जिस दिन से उनकी भर्ती की जाती है उसी दिन से उनको वेतन दिया जाता है। सब-इन्सपेक्टर्स की भर्ती की जाती है। उन्हें मुरादाबाद में प्रशिक्षण दिया जाता है। उस अवधि में केवल १४५ रुपया वेतन दिया जाता है उन्हें। क्यों नहीं पूरा वेतन दिया जाता है उन्हें जितना और सारे कर्मचारियों को दिया जाता है। मैं मुरादाबाद गया था। मैंने वहां देखा १४५ रुपये में उनका काम नहीं चल पाता, उनकी हालत बहुत ही गम्भीर है।

मान्यवर, अब मैं पेयजल के बारे में कहना चाहूंगा। सरकार चाहती है कि हर जगह पेय जल उपलब्ध हो इस समय प्रदेश में १५ हजार सरकारी ट्यूबवेल हैं और यदि डंकी बनाकर यदि एक ट्यूबवेल से तीन गांवों को जोड़ दिया जाय तो ४५ हजार गांवों को पेयजल की सुविधा हो जायगी। इसके अलावा जब तक विभागों में आपस में समन्वय नहीं होगा तब तक मितव्ययिता नहीं होगी, कार्य कुशलता नहीं होगी। आवश्यकता इस बात की है कि जहां पर जो चीज उपलब्ध है उसका उपयोग वहां हो। जो नलकूप उपलब्ध हैं उनका उपयोग जल निगम द्वारा अच्छी तरह से किया जाय तब काम अच्छी तरह चल सकता है।

उद्योगों के बारे में उद्योग मंत्री जी ने कहा है कि नये-नये उद्योग लगाये जायेंगे। जबसे सत्ता में यह पार्टी आयी है तब से लघु उद्योगों की बात होती है। लेकिन यह सभी जानते हैं कि उद्योग लग नहीं रहे हैं। हमें बताया जाय कि कहां उद्योग लगे हैं। हमारे जिले नैनीताल में ११ लीसा की फैक्टरियां हैं लेकिन लीसे की कमी के कारण वह नहीं चल पा रही हैं। कच्चे माल के अभाव में वह नहीं चल रही हैं, इसी तरह से जो उद्योग कच्चे माल के अभाव में नहीं चल रहे हैं उनको चलाने की व्यवस्था की जाय। हमारे यहां लाल कुवां में सन् ६७ से कागज का कारखाना बिड़ला जी लगाने वाले थे। लेकिन मैं सुन रहा हूं कि वह दूसरे जिले में लगेगा। नैनीताल में यूकिलिप्टस हजारों हजार एकड़ में खड़ा है, कागज के कच्चे माल के लिये यूकिलिप्टस लगाया गया है। इसलिये कागज का कारखाना वहां ज्यादा लाभकारी होगा। मैं निवेदन करूंगा कि यह जो बात हो रही है, कागज का कारखान वहां से न हटाया जाय, उसको रुकवाने की व्यवस्था की जाय।

अब मैं बाढ़ के बारे में थोड़ा सा कह दूं। पिछले साल मुख्य मंत्री राम नरेश यादव जी थे। उन्होंने कहा था कि १०० साल का रिकार्ड है ऐसी बाढ़ नहीं आयी। हर साल बाढ़ से अरबों रुपयों का नुकसान होता है। तो बाढ़ के सम्बन्ध में एक मास्टर प्लान बनाना चाहिए ताकि बाढ़ पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके और प्रतिवर्ष जो नुकसान होता है तो हमेशा-हमेशा के लिये इस समस्या

से छुटकारा मिले । अरबों रुपयों की इससे बचत होगी और प्रति [illegible] व्यक्ति की बढ़ जायगी । इसलिये मैं चाहूंगा कि [illegible] के लिये कोई [illegible] प्लान बनाय ।

बेरोजगारी को दूर करने के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है । अन्त्योदय की योजना सरकार चला रही है लेकिन इसमें जिसको पैसा दिया जा रहा है उसका आधा पैसा कर्मचारी खा रहे हैं । जो पैसा ऋण के रूप में उन पर रहा जायगा और जब वसूल होगा तो जो कुछ उनके पास है वह भी सरकार नीलाम करा लेगी तो मैं समझता हूं कि जो पैसा व्यय किया जा रहा है उससे छोटे-छोटे उद्योग बनायें और सोसाइटियां बनाकर उसमें इंपलायमेन्ट दें ताकि उस पैसे का लाभ हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप समाप्त करें ।

श्री देव बहादुर सिंह--

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि शायद हम लोगों के सुझाव से सरकार को कुछ होश आवे ।

श्री गिरधारी लाल (जिला बस्ती)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मैंने इस बजट भाषण को पढ़ा है मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो गांवों की उन्नति के लिये रुपया खर्च हो रहा है उस रुपया का दुरुपयोग किया जा रहा है । मान्यवर, अभी-अभी मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र से एक पर्चा प्राप्त हुआ है, जिसमें कहा गया है कि पी० डब्लू० डी० के डी० सी० यू० ने जो हमारे क्षेत्र में माग स्वीकार हुआ उसकी इस प्रकार की अनसुनी कर रहा है कि अब मैं क्या बताऊं यह पर्चा जब से प्राप्त हुआ है तब से मुझे बड़ी बेचैनी है । मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र ५ नदियों से घिरा हुआ है और वह नदियां हैं घाघरा, कुआनो, रवई अनवर और मजोरा हैं । इससे बरसात में हमारा निर्वाचन क्षेत्र जापान बन जाता है । यदि हमारे यहां मूढ़घाट का पुल और सड़क बन जाय तो जनता को आने जाने में कठिनाई न हो । इस सम्बन्ध में मैंने कई बार लिखकर भी दिया है लेकिन पुल का तो नहीं किन्तु सड़क का काम शुरू हो गया है और मिट्टी पड़ गयी है लेकिन सीलिंग अभी तक नहीं लगायी गयी है क्योंकि इंजीनियरों को जो परसेन्टेज मिलता था वह उनको नहीं मिल रहा है इस लिये कार्य में अनसुनी कर रहे हैं । इंजीनियर से कहा तो उन्होंने कहा कि ईंटा सुलभ नहीं हो रहा है । मैंने उनसे कहा कि नदी के उस पार भट्टे हैं उनसे आप बात करें और ईंटा मंगा ले लेकिन इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया है । इसलिये वित्त मंत्री जी ने बजट में कोई ऐसा प्राविधान नहीं किया है कि जो अधिकारी ठीक से काम नहीं करेंगे उनके ऊपर क्या कार्यवाही करेंगे, इसके लिये मुझे बड़ा दुख है ।

इसलिये पुल सड़कों और बन्धों पर ध्यान न देने से हमारे यहां हजारों गांव टापू बने हुये हैं । लोग ६-७ फीट पानी में घुस-घुस कर गांवों में जाते हैं । मूढ़घाट से गणेशपुर तक टापू बना हुआ है जहां जून से अक्तूबर तक पानी भरा रहता है जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त रहता है । पिछली बार इस दरिया में एक किस्ती डूब गयी थी, जिससे २ व्यक्ति की मृत्यु भी हो गयी थी । लेकिन

[श्री गिरधारी लाल--]

फिर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, इसी तरह ग्राम्य विकास मंत्री जी हमारे निर्वाचन क्षेत्र में गये थे और उस समय घोलहाघाट से पीपरागौतम तक सड़क बनवाने की घोषणा किया था और मैंने लिखकर भी दिया था लेकिन वहाँ के बी० डी० ओ० और अधिकारी किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं जबकि सरकार की योजना है कि गांवों की उन्नति के लिये सारे सम्पर्क मार्ग बनवायें जायें। इसी तरह मान्यवर, बाढ़ के समय जो टेस्ट वर्क से दरिया के किनारे बन्ध बने थे वह कट गये हैं, जिससे गांव डूब जाते हैं लेकिन फिर भी उन बन्धों की मरम्मत के लिये कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार की योजना है कि गांवों की तरक्की हो लेकिन शहरों में देखें जैसे गोमती नदी पर हर जगह पुल बने हुये हैं, शहरों में सुविधायें दी जा रही हैं, किन्तु गांवों के लोगों की तरफ यदि आप ध्यान नहीं देते हैं तो अधिकारी, कर्मचारी लोग लापरवाही करते हैं। इसलिये कैसे गाड़ी चलेगी। उनपर कार्यवाही करने के लिये आपका ध्यान नहीं गया है। आज ८० प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। बरसात का महीना आने वाला है। लोग कुर्ता बंडी शरीर से उतार कर सर पर रख कर पानी में घुसकर अपने गांव में पहुंचते हैं। जब उनको जीवन की आवश्यक सामग्री लेने बाजार जाना पड़ता है तो उनको बाजार जाने के लिये बड़ी कठिनाई हो जाती है क्योंकि आने जाने के कोई साधन नहीं हैं। तो, मान्यवर, हमारी जनता सरकार की प्रथम योजना है गांव के लोगों को सुविधा देना। लेकिन इसके लिये तीन चीजें जरूरी हैं। पहली चीज है यातायात। जब तक यातायात की सुविधा कड़ाई के साथ नहीं दी जाती, गांव के लोगों का सुधार नहीं हो सकती। यही नहीं, वे जो माल पैदा करते हैं, यातायात की सुविधा न होने के कारण समय पर बाजार में नहीं पहुंचा पाते हैं इसलिये बिचौलिये उनकी गाढ़ी कमाई का लाभ उठाते हैं और हालांकि गांव के लोग सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक काम करते हैं लेकिन गांव के लोगों की हालत खराब है। वे भूखे हैं, नंगे हैं। न पहनने के लिये वस्त्र, न पेट भरने के लिये भोजन और न रहने के लिये घर। कोई बीमारी हो गई, तो अस्पताल भी पहुंचाने का कोई साधन नहीं है। बगैर उपचार के मौत के घाट उतर जाते हैं। कितनी गाथा गाऊं गांव के लिये, हृदय के उद्गारों को कैसे व्यक्त करूं। गांव के लोग, मान्यवर, बहुत ही दुखी हैं; यह बात मान्यवर, आपके माध्यम से बड़े दुख के साथ कहनी पड़ रही है। जब तक उनके साथ लापरवाही की जायेगी, ध्यान नहीं दिया जायेगा तब तक चाहे अरबों रुपये का बजट पास कर दिया जाय, जनता जनार्दन को लाभ नहीं होने वाला है।

*श्री नेम सिंह चौहान—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका स्वागत करता हूं। मैंने समाचार-पत्रों में नेता विरोधी दल की आलोचना पढ़ी। कल माननीय ऊदल और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी आलोचनायें कीं। मान्यवर, उनको कृपा करके इसे ध्यान से अध्ययन करना चाहिये था। अगर वे पिछली कांग्रेस सरकार के जमाने में जो बजट रखे गये उसका और इसका तुलनात्मक अध्ययन करते तो निश्चित रूप से उन्हें ज्ञात होता कि यह बजट, जो जनता पार्टी की नीति है, उसके अनुरूप है। उसके बाद विकास की ओर देखें। पिछले दिनों जो विकास की दर रही, उत्तर प्रदेश घरेलू उद्योगों की, वह निश्चित रूप से 1976-77 और 1977-78 में तिगुनी वृद्धि हुयी है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां तक अन्य उत्पादन की बात है, एक साल में बहुत अच्छा सुधार हुआ है। माननीय देव बहादुर सिंह जो कह रहे ह, कोई उन्नति नहीं हुयी। मैं पुनर्विचार के लिये चाहूंगा कि वित्त मन्त्री जी इन सारी चीजों को देखें। अभी एक बात कही गयी कि मुख्य मन्त्री जी के दौरों पर कितना व्यय हुआ ? मैं देव बहादुर जी को बताना चाहूंगा कि वह तुलना करें 1975-76 और 1976-77 से और देखें कि तब मुख्य मन्त्री जी के दौरों पर क्या व्यय होता था। यह मैं मानता हूं कि व्यय भार बढ़ा है। इसमें करोड़ों का प्राविधान किया गया है। जहां तक मैं समझता हूं कि सब सौ का घाटा है, उसमें वित्त मन्त्री जी ने कहा कि 50 करोड़ का जो कर लगाये हैं, उससे वह घटेगा। लेकिन अगर इस कर की व्यवस्था इस तरह से की होती कि कुछ मितव्ययिता करते तो ज्यादा ठीक होता। जैसे कि तत्कालीन मन्त्री जी ने किया है कि प्रशासनिक व्यय में इस तरह की कटौती की कि 14 करोड़ बचेंगे। मैं समझता हूं कि यह बचत अधिक हो सकती है।

मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं महात्मा गांधी के बारे में जब 42 में विदेशी माल की होली उन्होंने जलाई थी। आज हमारा देश और गरीब उत्तर प्रदेश आज भी वैभव का प्रतीक हो रहा है और हम विलासिता की ओर बढ़ रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम भी अपने आचरण को देखें। जहां तक स्वास्थ्य सेवाओं की बात आती हैं, उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ रुपये का व्यय होता है और मान्यवर, एक करोड़ रुपया विधायकों के माध्यम से दवाइयों पर अपव्यय हो जाता है। मैं नहीं समझता कि इस एक करोड़ रुपये में से विधायक कितना व्यय करते होंगे। अगर ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि विधायकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के निमित्त 100 रु० का और एलाउंस कर दिया जाये तो मेरे हिसाब से दोनों हाउसेज के सब सदस्यों पर मिलाकर 6 लाख रुपये में पूरा हो जायेगा। अगर एक करोड़ रुपया फिक्स डिपाजिट में डाल दिया जाय तो उसका 9 लाख रुपये ब्याज आ जायगा। इस प्रकार से यह अपव्यय घट सकते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया था कि उत्तर प्रदेश में दवाइयों की जो व्यवस्था है, सामान्य कर्मचारी को या गांव के आदमी को क्या मिल पाता है, यह आप भलीभांति जानते हैं, इसका अधिकांश उच्चाधिकारियों पर ही जाता है।

माननीय वित्त मन्त्री जी ने एक पैसे की दर से उद्योग और कृषि पर टैक्स बढ़ाने की बात कही, मैं चूंकि विद्युत् गृह पर 16 वर्ष से रह रहा हूं और वहां की कार्यप्रणाली को मैंने स्वयं देखा है, अगर इस विद्युत् वेस्टेज को, लाइन लासेज के नाम पर जो चोरी होती है, अगर वही रोक दी जाए और कुछ अंकुश निर्माण कार्य में होने वाले अपव्यय और जो रिश्वत ली जाती है, उस पर लगा दिया जाये, तो स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। मेरी सुनिश्चित जानकारी है, आजादी से पहले और उसके बाद कुछ अधिकारी मुझको बताते रहे कि रेलवे में 5 परसेंट तक कमीशन जाता था। बाद में यह बढ़ता रहा और आज मुझे बताया गया कि रेलवे में 30 परसेंट कमीशन लिया जाता है। अभी कासिमपुर के एक ठेकेदार व्यक्ति मुझको मिले और उन्होंने बताया कि 30 परसेंट तक कमीशन देना तो मामूली बात है। आप देखें कि जितना काम बनता है उसमें से अधिकांश पैसा कमीशनों में चला जाता है।

मैंने आकलन किया है कि हर 100 रुपये में से इस गरीब प्रदेश और देश का 62 रुपया बरबाद हो जाता है। छोटे-छोटे नियन्त्रण कर लिये जायें, लाइन लासेज को रोका जाये। किसी भी कारखाने में मालिक अपना माल बनवाता है और फैक्ट्री के डायरेक्टर्स के माध्यम से उसकी बिक्री करता है, तो मैं

[श्री नेम सिंह चौहान—]

चाहूंगा कि विद्युत् मन्त्री ऐसी व्यवस्था करें कि जितना विद्युत् का उत्पादन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सर्किल्स के एस० ईज० या नीचे के कर्मचारियों को यह उत्तरदायित्व सौंपे कि जो बिजली जा रही है, उसका इतना मूल्य हमको मिलना चाहिये। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। अलीगढ़ में एक होटल है, उसमें डायरेक्ट कनेक्शन हैं। मालिक कहता है कि लाइनमैन को हम इतना दे देते हैं और हमें फायदा हो जाता है। 5 रु० में से सरकार को एक रुपया मिलता है, एक रिश्वत में जाता है और तीन रुपये का उसको फायदा हो जाता है। इस तरह से इस सारी व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है।

दूसरे, अभी कल शुक्ला जी कानपुर के कह रहे थ कि हमारे अन्दर आत्मीयता की भावनी नहीं रह गई है, अपनापन नहीं रह गया है। चूंकि सुन रहा था कि 200 बोरी बाथरूम में लग गया, 400 बोरी छतों में लग गया और बाकी सब बराबर। इसको चेक किया जाए। अन्त्योदय की अच्छी व्यवस्था की गई है लेकिन जितनी लीकेजेज हैं, उसको रोकने के लिए इसमें व्यवस्था की जानी चाहिये थी। अगर यह करते तो यह कराधान इस प्रकार लगाने की आवश्यकता न पड़ती। बिक्रीकर कानूनों के सरलीकरण पर अध्ययन किया जा रहा है, माननीय विरोधी दल के लोगों को इस सम्बन्ध में शिकायत है। मैं समझता हूं कि इसका शीघ्र ही नया फार्मूला लाया जा सकता था।

शिक्षा में देखें, पिछले दिनों बहुत आलोचना की जाती रही है, आज 20.8 प्रतिशत खर्च किया जा रहा है। पिछले दिनों आप कितना खर्च करते रहे, कांग्रेस की सरकार के लोग, जो उस तरफ बैठे हैं, मैं जानना चाहता हूं। (लाल बत्ती होने पर) मुझे कुछ समय और दें ताकि थोड़ी सी कुछ सार की बातें हो सकती हैं।

तो मैं कह रहा था कि शिक्षा में विकास होना चाहिये। शिक्षा सुउद्देश्य होनी चाहिये। यह प्रतिशत बढ़कर शीघ्र से शीघ्र 27 कर दी जाय। हमारे राजस्व का 50 प्रतिशत भाग कृषि से आता है। हम चाहते हैं कि उसमें और अधिक व्यय किया जाय। पिछले दिनों आपकी सरकार ने उस को घटाते-घटाते 27 तक ला दिया। आप ने बिड़ला को बिजली में 2 प्रतिशत से 10 प्रतिशत बढ़ा दिया। आप को भी असुविधा नहीं होनी चाहिये।

इसी तरह से पुलिस की बात है। गत वर्ष हमने इस विभाग की सुधार की बात की थी। सारी सुविधाओं में कुछ वृद्धि हुई है यह सन्तोष की बात है लेकिन हम इससे सन्तोष नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पुलिस का जिस तरह से हमारे यहां निर्माण निगम है अपना निर्माण निगम हो जो पुलिस विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की आवासीय सुविधा की व्यवस्था करे और जो सरकार पैसे का इन्तजाम कर रही है 6-7 करोड़ रुपये को वह अपनी तरीके से उसे खर्च करे।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं पिछली बार कह रहा था, हमारे जो लोग हमारे प्रशासन में बैठे हैं उन के बारे में। माननीय नेता विरोधी दल ने इस बात की ओर इंगित किया कि एक बहुत बड़ा हिस्सा लैप्स हो जाता है और इस गरीब प्रदेश की जो योजनायें हैं उन पर निर्धारित पैसा व्यय नहीं हो पाता जिसके फलस्वरूप हमारा गरीब प्रदेश और ज्यादा गरीब की ओर अग्रसर होता है। लेकिन जो जटिल प्रक्रिया पिछले दिनों में बनाई गई है जब तक उसमें संशोधन नहीं कर लिया जाता तब तक यह बात बनी रहेगी फिर भी बहुत कुछ सुधार हो रहा है।

आपको एक और स्मरण दिलाना चाहूंगा। देव बहादुर जी ने कहा कि हमारे यहां की कानून और व्यवस्था बिगड़ी है। लेकिन आपका योगदान क्या रहा है? मान्यवर, आपका भी योगदान होना चाहिये। इमरजेन्सी के दिनों में सड़कों पर जो सफेद लाइन खींची होती थी लोग उसे हाट लाइन समझते थे, उससे करेंट लगता था, लेकिन आज हालत क्या है। पुलिस फोर्स वही लेकिन पुलिस को आज आप उल्टा पीटते ह। इसी के कारण सारी अराजकता बढ़ रही है। इसमें पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को बैठकर विचार करना चाहिये तभी अच्छी बात हो सकती है। हत्यायें होती हैं, किसी भूतपूर्व सदस्य की हत्या, उनके भाई की हत्या, अलीगढ़ में यह तांता लगा हुआ है, इन सब चीजों को रोकने के लिए आपका योगदान भी कुछ होना चाहिये। आज पुलिस अधिकारी यह कहते हैं कि हमारे अधिकार छीन लिये गये हैं। भिन्डर का उदाहरण दे देते हैं कि हम भिन्डर नहीं बनना चाहते, सुन्दर सिंह का उदाहरण दे देते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि कानून बदला नहीं है। हमारे मुख्य मन्त्री जी ने इस सदन में घोषणा की थी कि सिपाही की वर्दी राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है, अगर उसका अपमान होता है तो राष्ट्र का अपमान होता है। पुलिस के कुछ लोगों का बदमाशों के साथ बैठे रहने के कारण न्याय देने में आनाकानी हो जाया करती है। इसमें सुधार होना चाहिये खास तौर से मुख्य मन्त्री जी इस विभाग को लिये हैं उन्हें स्वयं इसे देखना चाहिये।

शिक्षा के बारे में एक बहुत बड़ा अंश केन्द्र से मिलता है लेकिन उसमें बहुत से प्रतिबन्ध हैं। मैं शिक्षा जगत से पिछले 27 सालों से सम्बद्ध रहा हूं, 16 साल से प्रधानाचार्य हूं। लाखों की संख्या में अध्यापक हैं। एक लाख अध्यापक अगर इसके लिए निकल आयें एक लाख में से एक अध्यापक तथा 100 विद्यार्थी कक्षा 10 या डिग्री क्लासेज के लेकर एक गांव को चुन लें और इनको विकास केन्द्र की इकाई बना दिया जाय तो बहुत अधिक लाभ होगा। मई जून के महीने में यह कार्य किया जाय तथा अध्यापकों को कुछ इंसेंटिव दे दिया जाय। मैंने स्वयं यह तजुर्बा किया है। इन शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं।

डाक्टर भगवत दयाल (जिला झांसी)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब से जनता पार्टी आई है जिसे जनता ने भेजा है उसकी वे आशायें धूमिल हो गईं जिस आशा से उसने भेजा था। ऐसा नहीं है कि जनता पार्टी की नीति अच्छी नहीं है। गांवों के लिए नीति बनी। सिंचाई के साधनों के लिये, सड़कों तथा प्रदेश की उन्नति के लिये हर प्रकार की योजना बनी लेकिन 5 पांडव द्रोपदी रूपी कुर्सी के लिये लड़ रहे हैं जिस लड़ाई में उन्हें कौरवों की जरूरत ही नहीं पड़ी, यह प्रदेश के लिये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसका परिणाम तब निकलेगा जब चुनाव आयेंगे, जिस प्रकार कि कांग्रेस को परिणाम मिला। जनता बड़ी शान्त रहती है और समय पर बदला लेती है। अब भी वक्त है। कुर्सियों के पीछे लड़ाई खत्म कर दी जाय और जनता पार्टी की नीति पर विधायकगण चलें तो प्रदेश का काफी भला होगा। हमारे कई विधायकों ने अधिकारीगण पर आक्षेप किया है। मेरा अनुभव तो यह है कि 18, 19 महीने सरकारी अधिकारीगण अगर जनता पार्टी के शासन की मदद न करते तो शायद ही इनके वजूद यहां दिखाई देते। विधायकगण जब आपस की लड़ाई में फंसे हुए हैं तो अधिकारीगण ही हैं जो जिले में बैठकर शासन चला रहे हैं।

[डाक्टर भगवत दयाल--]

दूसरे ईश्वर के भरोसे शासन का काम चल रहा है। अधिकारियों को दोष देना ठीक नहीं है। मुख्य मन्त्री जी ललितपुर तथा झांसी के दौरे पर गये थे। मैंने पाया कि हम विधायक भी उतने ही दोषी हैं जितने कि अधिकारीगण। हमारे क्षेत्र में दो विधायक हैं। मैं और सुदामा प्रसाद गोस्वामी। दोनों तालबेहट के रहने वाले हैं। वहां साप्ताहिक 'ललित आवाज' में यह छपा 'गोरे सुदामा का काला काम' मुख्य मन्त्री के योग के लिये 50 हजार रुपये का चन्दा एकत्रित। मुख्य मन्त्री मेरे निवास पर भी आये। मेरी उनसे यह चर्चा हुई कि विधायक लोग ऐसा करेंगे तो सार्वजनिक जीवन स्वच्छ कैसे बनेगा? सुदामा जी लंगोट घुमा रहे हैं। पहले गुप्ता जी का अनन्य भक्त अपने को कहते थे और अब कहते हैं कि बनारसी दास से 25 साल से उनका साथ है। सारे अधिकारियों को हड़काते हैं। जैसे पहलवान अखाड़े के चारों ओर लंगोट घुमाता है वैसे ही सुदामा जी लंगोट घुमा रहे हैं। लिहाजा विधायकगण पर भी उसी तरह से एक्शन लेना चाहिये जैसे कि अधिकारियों के खिलाफ लिया जाता है तभी इस प्रदेश का भला होगा।

उद्योग सेमीनार झांसी में हुआ। उसमें केवल बातें ही हुई, कोई रचनात्मक कार्य नहीं हुआ। वहां बुन्देलखंड में हरिजनों में कोरी जाति के बुनकर हैं जो बुनाई का काम करते हैं।

(इस समय 2 बजकर 3 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राधे श्याम शर्मा पीठासीन हुए।)

मऊरानीपुर में कलेन्डर मशीन लगाने के सम्बन्ध मे एक जोरदार मांग पिछले 10 साल से चली आ रही है। माननीय उद्योग मन्त्री जी ने भी इस सम्बन्ध में कुछ कहा था और वह शुरू भी हो गया था किन्तु बीच में वह ठप हो गया, न मालूम वह कैसे ठप हो गया। वे लोग मेहनत करते हैं लेकिन पूरा पैसा उनको उनकी मेहनत का नहीं मिलता है। उनको जो धागा मिलता है, वह अच्छी किस्म का नहीं मिलता है। इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूपरेखा होनी चाहिये कि उनके द्वारा बनाया गया कपड़ा सरकार खरीदे। दलाल और बाहर के लोग उनका सारा कपड़ा खरीद ले जाते हैं जिससे इन मेहनतकश लोगों को फायदा नहीं हो पाता है।

बुन्देलखंड में सिंचाई की कितनी आवश्यकता है, इसे हर मन्त्री जानता है। लिफ्ट इर्रीगेशन की मशीनें वहां पर तेदोल और कोलवा में पड़ी हुई हैं, उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। हमारे शिक्षा मन्त्री बबीना गये थे। 30 साल के कांग्रेसी शासन में वहां पर एक स्कूल नहीं खुलवा सके जब कि हमारी इस सरकार ने बबीना के बच्चियों के लिये हाई स्कूल और लड़कों के लिए इन्टर तक की कक्षायें खोली हैं। इसके लिए बबीना की जनता इस सरकार की आभारी रहेगी। मन्त्री लोग दौरे पर जाते हैं, शिक्षा मन्त्री जाते हैं, स्वास्थ्य मन्त्री जाते हैं, कृषि मन्त्री जाते हैं और जो क्षेत्रीय विधायक समस्या रखते हैं उन्हें वे सुलझायें और उनकी बात को कार्यरूप में परिणत करें। बरुआ सागर एक जगह ऐसी है जहां पर 40/50 गांव ऐसे हैं जहां एक भी जच्चा बच्च केन्द्र नहीं है। वहां मां बहिनों को झांसी जाना पड़ता है। अतः वहां पर इस तरह का एक अस्पताल बनाने की व्यवस्था की जाय। बरुआ सागर स्वर्गाश्रम में एक चिकित्सा केन्द्र खोलने के लिए वहां की जनता ने प्रार्थना की थी। इसके अलावा बुन्देलखंड में आयुर्वेदिक कालेज के लिए 16 लाख रुपये की व्यवस्था ही की जाय, तो काफी

समस्या हल हो सकती है । म बुन्देलखंड मेडिकल कालेज का स्नातक हूं । इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये । मैं इस बजट का पूर्ण समर्थन कर रहा हूं । अगर इसको कार्यरूप दे दिया जाय तो बहुत अच्छा रहेगा ।

श्री हामिद रजा खां (जिला बरेली)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बजट का समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

भाषण की स्वतन्त्रता है, उन्हें बोलने दिया जाय ।

श्री हामिद रजा खां—

इनको मेरे समर्थन करने से तकलीफ हो रही है, मैं ऐसा समझता हूं । जो बात सही है, वह सही है । मान्यवर, मैं समझता हूं कि इन सीमित साधनों में जिस तरह से रुपये का खर्च दिखाया गया है वह मुनासिब है । आज की परिस्थितियों में जो आवश्यकतायें हैं, जनता की जो आकांक्षायें हैं उनको पूरा करने के लिए डबल बजट की आवश्यकता है और तब भी वह पूरा नहीं हो पायेगा । जहां तक जनता की जरूरतों का सवाल है, उनकी जरूरतें ऐसी हैं जो तरक्की चाहते हैं और परिवर्तन भी अभी जिसको मेरे मित्र ने हंसी उड़ाई उसको उन्होंने महसूस नहीं किया और उसका नतीजा आज वह भुगत रहे हैं । अब इस साइड में भी नहीं समझा तो इनको भी भुगतना पड़ेगा । जहां तक किसी बजट के मुताबिक सरकार को कार्य–करने का सवाल है उसके लिए प्रशासन को चुस्त होना चाहिए । मैं तजुर्बा बताता हूं कि बूरोक्रेसी है वह अड़ियल घोड़े की तरह है और इस वक्त भी उसका ऐसा ही काम है जिसकी तारीफ की जाय या जिससे तसल्ली हो जाय ।

शिक्षा के क्षेत्र में इसमें काफी प्राइमरी स्कूल खोलने की बात की है । मगर मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं । अभी बहुत से मेरे क्षेत्र म ऐसे गांव हैं जिनमें बावजूद कोशिश करने के दो–तीन वर्षों से स्कूल नहीं खोले गये । स्कूलों में बच्चों के भोजन के लिए बालाहार योजना चल रही है जिसके लिए इस बजट में प्रोवीजन है । उसमें इतना भ्रष्टाचार है कि एक–एक थैला 10–10 रु० में जानवरों के खाने के लिए भालदार लोग ले लेते हैं और उसे तक्सीम करने वाले लोग वे हैं जो पहले ही मास्टर साहब से इसका सौदा कर लेते हैं । बहुत सी ऐसी चीजें सामने आई हैं, उनको देखने की बात है ।

इस बजट में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनका हम स्वागत करते हैं । विशेष–तौर पर नशाबन्दी का प्रश्न है । यह काबिले तारीफ है उसके लिए मैं आबकारी मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं । एक बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया है हालांकि वह पूरे प्रदेश में लागू नहीं हुआ है, उससे अपराधों में कमी हो रही है और आबकारी की वजह से जो रुपये में कमी आई है उसके लिए सरकार ने 50 करोड़ के टैक्स लगाने की तजवीज की है । टैक्स लगाना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन टैक्स उसी पर लगाये जायं जो उसको बरदाश्त कर सकता है उन लोगों पर टैक्स नहीं लगना चाहिए जो भार महसूस करें ।

[श्री हामिद रजा खां--]

एक और बात की तजबीज सरकार ने की है कि हाट बाजार में वह अपना इजारादारी कर लेगी और प्राइवेट लोगों का उसमें हक नहीं होगा। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि कानूनन लोगों को इस बात का हक है यह जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट में भी है और इससे पहले जो कानून थे उसमें भी था कि लोग अपने बाजार लगा सकते हैं। परम्परागत बाजार लगते चले आ रहे हैं। पिछले दिनों भी और आज भी एक शब्द का मजाक उड़ाया गया वह है समाजवाद। उसके नाम पर यह सब काम किए गए हैं। दूसरा शब्द धर्मनिरपेक्षता का है। जो बात आज इस सम्बन्ध में देखने को मिल रहीं हैं या कानों में आ रही हैं उनसे तकलीफ हो रही है। जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि आफिसरान हमारे साथ नहीं रहे हैं जिससे उन लाइंस में काम नहीं हो रहा है।

आप ने अन्त्योदय की जो योजना चलाई है वह अच्छी है, आकार उसका सही है लेकिन मेरे पास कई लोग ऐसे आये जिन्होंने कहा कि हमारे नाम अन्त्योदय में रुपया मंजूर हुआ है लेकिन हमारा नाम उससे कटवा दीजिये क्योंकि उससे कुछ लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं।

पिछड़ी जाति के लोगों को वजीफा देने की बात भी पिछले कुछ दिनों यहां आती रही है वह जायज हों या नाजायज लेकिन उसमें ऐसा हुआ है कि समाज-कल्याण विभाग के सुपरवाइजर और दूसरे लोगों ने गड़बड़ियां की हैं। दो-दो सौ रुपये लेकर बच्चों को फार्म दिये और वजीफा मंजूर करवाये। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार प्रदेश में फैला है, इसको खतम नहीं किया जा सका है। उसको कम करके कोई नहीं दिखाना चाहेगा, इसमें किसी की कोई बेइज्जती नहीं है। यह पूरे प्रदेश का मसला है।

मैं उद्योग के सिलसिले में इतना कहना चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर के जो उद्योग हैं, उनका इंतजाम बड़ा खराब है और उनमें बड़ा भ्रष्टाचार और घाटा है। हमारे बरेली में एक टरपेन्टाईन फैक्टरी है, उसमें परम्परागत रूप से फारेस्ट विभाग का ऊंचा अफसर उसका इंचार्ज होता रहा है। उसके शानेशौकत पर मुझे कोई एतराज नहीं है, पर उस फैक्ट्री को जितनी बड़ी हानि पहुंच रही है, उसका अन्दाज इसी से लग सकता है कि वहां जो कैम्फर फैक्टरी है, उसका जो वहां से टरपेन्टाईन दिया गया, वह पांच साल के लिए दिया गया है और उसका रेट पहले साल 2.10, दूसरे साल 2.15 और तीसरे साल 2.20 रुपये का है, जबकि उस समय बाजार में ढाई रुपये से ज्यादा उसका रेट था। वह जिस लीसा से बनता है वह जंगलात से आता है। वह कितना आयेगा उसका कोई अन्दाजा नहीं लग सकता है क्योंकि वहां पर चिपको आन्दोलन आदि चल रहा है। लेकिन उन्होंने 5 साल का उनसे एग्रीमेंट कर लिया। इस तरह से पब्लिक सेक्टर फेल होता दिखाई देता है। अतः मेरा सुझाव है कि अनुशासन से, ला एण्ड आर्डर के साथ काम होना चाहिए और भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा दिया जाना चाहिए। इसको नहीं किया गया तो देश का बहुत बड़ा नुकसान है।

इन्टर और हाई स्कूल बोर्ड की जो परीक्षायें हुईं, उनके बारे में शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 5 मील से दूर किसी लड़के का सेन्टर नहीं पड़ेगा, किन्तु काम उसके खिलाफ हुए। मेरी बच्ची भी इम्तहान में बैठी थी, मुझे उसका जाती तजुर्बा है। 8-9 मील के फासले पर उनके सेन्टर्स रखे गये और जूनियर हाई स्कूल में तो और भी बरेली जिले में ज्यादा हुआ, वहां सेन्टर पर पहुंचने के लिए सड़क से जाने से 40-40 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था। यह भी महसूस

हुआ कि नकल बड़े पैमाने पर खुलकर हुई । बरेली में भी एक बुकसेलर के यहां ऐसी कुछ सामग्री पकड़ी गई । नये हिन्दुस्तान में इस बुराई को समाप्त करना होगा । इस बेईमानी से कोई ग्रेजुएट भले ही हो जाए, लेकिन अच्छा शहरी और इंसान नहीं बन सकता है । इसलिए महसूस करता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे, ताकि प्रदेश की तरक्की हो सके ।

श्री मुफ्ती जलील अहमद (जिला बिजनौर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बजट के सिलसिले में इतना अर्ज करना चाहता हूं कि यह बजट काफी लम्बा-चौड़ा आया है । उर्दू की बात भी खासकर इसमें कही गयी है, लेकिन उर्दू जो इस मुल्क की सबसे उम्दा जुबान है, उसके बारे में हमेशा यही कहा गया है कि उसकी तरक्की की जा रही है । उर्दू एकेडमी कायम की गई और उसका बजट भी रखा गया है । लेकिन भाषण में इतना यही कहने से बात समाप्त नहीं हो जाती कि एकेडमी के जरिये उर्दू की नुमाइश की गई, उर्दू किताबों पर इनामात दिए गए और सरकारी कर्मचारियों को उर्दू पढ़ने के लिए हौसला आफजाई करने के लिए कुछ इनामात दिए जा रहे हैं । मैं समझता हूं, अगर उर्दू को सरकार इस मुल्क और इस सूबे के अन्दर जिन्दा रखना चाहती है तो इस तरह से काम चलने वाला नहीं है । अगर उर्दू ऐसी जुबान है जो इस मुल्क के अन्दर पैदा हुई और इस मुल्क के अन्दर बढ़ी और इस उर्दू जुबान के इन्कलाब के नारे ने इस मुल्क को आजाद कराया है तो क्या वजह है कि उर्दू जबान को दूसरी सरकारी जबान की हैसियत नहीं दी जाती है ?

उर्दू की तालीम के लिए लाजमी प्रोग्राम क्यों नहीं बनाया जाता है ? मुझे अफसोस है कि बहुगुणा जी ने अपने समय में यह बात कही थी कि चार हजार उर्दू टीचर स्कूलों के अन्दर रखे जा रहे हैं जो उर्दू की तालीम देंगे और जहां 15 फीसदी लोग उर्दू की ख्वाहिश करें वहां उर्दू टीचरों का इंतजाम कर दिया जायगा । मेरे इल्म में है कि कई स्कूल इस तरह के हैं जहां बड़ी तादाद लड़कों की मौजूद हैं जो अपनी मादरी जबान उर्दू हासिल करना चाहते हैं । लेकिन अफसोस यह है कि वहां पर यह कह कर उनको उर्दू पढ़ाने से इनकार किया जा रहा है कि किसी उर्दू टीचर का इन्तजाम नहीं है । अगर सरकार उर्दू टीचरों का इंतजाम नहीं कर सकती तो यह उसका कहना कहां तक सही है कि उर्दू को हम जिन्दा रखना चाहते हैं । मेरी मांग है कि जिन जगहों पर 15 फीसदी लोग अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाना चाहते हैं और जिनकी मादरी जबान उर्दू है तो वहां पर उर्दू टीचरों का बन्दोबस्त किया जाय । कई जगहें ऐसी हैं जहां पर उर्दू पढ़ाने वाले स्कूलों का इन्तजाम ही नहीं है । उर्दू एकेडमी जिसका बजट खासा है अगर उसकी बजट बढ़ा दिया जाय, ज्यादा पैसा हो, तो सिर्फ उर्दू पढ़ाने के लिए एकेडमी के जरिये इन्तजाम हो सकता है । उसकी तरफ से उर्दू के स्कूल कायम किए जा सकते हैं । हर जिले-जिले खालिस उर्दू पढ़ाने के लिए स्कूल का बन्दोबस्त हो जाय तो उर्दू अकेडमी की मंशा पूरा हो सकती है । महज नुमायश से काम चलने वाला नहीं है । प्रदेश के अन्दर कुछ ऐसे भी मदरसे हैं जो अरबी, फारसी जुबानों को पढ़ाते हैं । उसका बजट भी रखा गया है । लेकिन वह मदारिस जिनको सरकार से मान्यता प्राप्त है उनको सरकारी सुविधायें नहीं दी जा रही हैं । मिसाल के तौर पर बरेली में एक मदरसा इसातुल उलूम है जिसको सरकारी मंजूरी हासिल है । इसके बावजूद हर किस्म की सुविधायें जो सरकार से लाजमी तौर पर मिलती हैं उनसे उसको महरूम कर दिया गया है । कितने दीनी मदारिस हैं जो इन जुबानों को पढ़ा रहे हैं । लेकिन उनके वास्ते कुछ नहीं किया गया ।

[श्री मुफ्ती जलील अहमद—]

अब मैं बुनकरों की बाबत कहना चाहता हूं। उनके सिलसिले में बड़ा जोरशोर है कि सरकार बुनकरों को बहुत कुछ देना चाहती है। लेकिन अफसोस है कि बुनकरों से जनता धोती जोड़ा बनवाने की जो पालिसी सरकार ने बनायी थी और जिसके लिए कि इसके जरिये गरीब बुनकरों को रोजगार मुहइया हो। लेकिन फैसला इसके बरअक्स हुआ। अब वह कपड़ा करघों से न बनवा कर मिलों के जरिये तैयार करवाने का आदेश हो गया। तो फिर बुनकरों को किस तरह से राहत मिल सकती है। इसलिए मिलों से जनता धोती जोड़ा बनवाने का जो फैसला किया गया है हाथ करघों के जरिये उन कपड़ों को बनवाया जाय जिससे बुनकरों की गरीबी दूर की जा सकती है।

मैं बिजनौर जिले की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिला बिजनौर में 40 हजार हाथ करघा मौजूद हैं। बिजनौर में कपड़े की मण्डियां हैं। उद्योग मंत्री यहां मौजूद नहीं हैं, यह बात उन तक पहुंचना चाहिये कि वहां तीन बाजार बुनकरों के हैं। वह अपनी मेहनत से कपड़ा बना कर बेचने आते हैं तो इतनी बुरी हालत देखने को मिलती है जिसकी मिसाल नहीं। अफसोस है कि उन मण्डियों के अन्दर कोई इन्तजाम नहीं हैं। वह अपना सिर छिपा नहीं सकते हैं। सड़कों पर अपने थानों को रखते हैं। सरकार को इन चीजों का वहां पर प्रबन्ध करना चाहिए। मैंने कहा था कि सूत की कीमत बहुत बढ़ गयी है जिससे बुनकरों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए जो कीमतें बढ़ी हैं और जो टैक्स लगाया है उसको समाप्त करना चाहिए। हमारे यहां पर 40 हजार हथकरघे हैं। वहां पर कोई परचेजिंग सिस्टम नहीं है। वहां पर डाई हाउस नहीं हैं। जिले के अन्दर द्वारा होना चाहिए वह भी नहीं बुनकरों के लिए तरनियती है। वहां के बुनकरों की मांग है कि आल इण्डिया हैंडलूम कारपोरेशन का एक सेंटर वहां पर खोला जाना चाहिए, जिस प्रकार से वाराणसी में हैं। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वे इस ओर तवज्जह दें।

मैं अपने क्षेत्र अफजलगढ़ क्षेत्र की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह क्षेत्र बहुत ही बैकवर्ड है। खो और राम गंगा नदियों के बाद जो हिस्सा है, वहां के किसान बहुत ही परेशान हैं। वहां पर नहरों और नलकूपों का इन्तजाम नहीं है। मैंने वहां के इन्जीनियरों से नलकूपों के बनाये जाने के बारे में बातचीत की तो मुझे मालूम हुआ कि वहां पर पानी की गहराई अधिक है जिसके कारण छोटी मशीनों से काम नहीं हो सकता है। गहराई तक नलकूप बनाने के लिए बड़ी-बड़ी मशीनों की आवश्यकता है और बड़ी मशीनें वहां पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए उस क्षेत्र में नलकूप नहीं बन पा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैंने कई बार माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाया परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। यह बात कहते हुए मुझे दो साल मुसलसल हो गये हैं परन्तु कोई कार्यवाही उस पर नहीं की गयी है। मेरा निवेदन है कि यहां पर नलकूप अधिक बनाये जायें और इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी के स्पष्ट आदेश होने चाहिये। अब मैं उस क्षेत्र की सड़कों के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया, आप बैठिए।

श्री मुफ्ती जलील अहमद---

मैं इन शब्दों के साथ माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट की ताईद करता हूं ।

*श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । बजट के समर्थन में कुछ बोलने के पहले मैं एक बात की ओर माननीय सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप सचिवालय में जायें तो आप देखेंगे कि 2-2 साल की फाइलें पेन्डिंग पड़ी हुई हैं । जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि डिप्टी सेक्रेटरी कम है या स्टाफ कम है । इसलिए वह काम नहीं हो पाता है और पेन्डिंग में पड़ा हुआ है । इस कारण पूरे उत्तर प्रदेश की जनता सफर कर रही है । वित्त विभाग में तमाम मामले पेंशन और वेतन निर्धारण के पड़े हुए हैं । मान्यवर, इस सचिवालय का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, जिससे इस तरह के मामले जल्दी ही निबट जाये और जनता सफर करे ।

अब मैं पर्वतीय क्षेत्र की ओर कहना चाहता हूं । वित्त विभाग ने 77 करोड़ रुपये का प्राविधान पर्वतीय क्षेत्र के लिए किया है । मैं जानता हूं वहां के विकास के लिए पर्वतीय विकास विभाग, गढ़वाल विकास निगम और कुमायूं विकास निगम की स्थापना की गयी है । पर्वतीय विकास का यह झुंझना हमारे हाथ में पकड़ा दिया गया है पर अधिकार हमें एक चपरासी तक रखने का नहीं है । जहां आपने 77 करोड़ रुपया पर्वतीय विकास के लिए रखा है, वहीं पर्वतीय विकास को एक स्वतंत्र विभाग बनाने की आवश्यकता है । वहां की आर्थिक दयनीय स्थिति देखते हुए, वहां की गरीबी देखते हुए, वहां के पिछड़ेपन को देखते हुए आज यह आवश्यक हो गया है कि वहां के विकास के लिए स्वतंत्र विभाग हो । अगर ठीक तरह से पर्वतों का विकास किया जाये तो सचमुच में यह क्षेत्र दुनिया का स्विटजर-लैंड हो सकता है । पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बाबा काली कमली वाले ने चारों धाम की स्थापना की थी और वहां पर्यटकों के लिए सारी सुविधायें प्रदान करने की व्यवस्था की थी । जब तक आप पर्यटन विकास को अपने आप में एक स्वतंत्र उद्योग समझ कर उसका विकास नहीं करेंगे तब तक पर्यटक आकर्षित नहीं होंगे। बजट का 75 फीसदी भाग पर्यटन विकास की योजनाओं पर खर्च करना चाहिये। हमारे यहां जो बड़ी-बड़ी नदियां हैं उनमें नौका विहार की व्यवस्था करायी जाय । अन्य रमणीय स्थानों पर घुड़दौड़ आदि की भी व्यवस्था की जाये । यह सब करके आप पर्वतीय स्थानों को पर्यटन का एक सुन्दर केन्द्र बना सकते हैं ।

एक बात मुझे शिक्षा के सम्बन्ध में कहनी है । इसके लिए बजट में आपने 15 करोड़ रुपया रखा है। यह दाल में नमक के बराबर है। यदि हमारे वित्त मंत्री जी और हमारी सरकार जनता पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र के अनुसार वास्तव में क्रान्तिकारी परिवर्तन करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले इन पब्लिक स्कूलों को समाप्त करना होगा । इन पब्लिक स्कूलों में बड़े-बड़े लोगों के लड़के पढ़ते हैं जिन पर कई सौ रुपये माहवार खर्च आता है, जब कि हमारे स्कूलों में जो बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं स्कूलों में बैठने के लिए टाट-पट्टी तक नहीं है, वे जमीन में बैठते हैं स्कूलों की इमारत टूटी-फूटी है । कमरों में छत गायब हैं । बच्चों को पीने का पानी तक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री--]

हम उपलब्ध नहीं करा पाते । जितने भी बड़े-बड़े आई० ए० एस० तथा अन्य अधिकारी बनते हैं वे अधिकतर इन्हीं पब्लिक स्कूलों के पढ़े हुए होते हैं । इन स्कूलों से पढ़े हुये बच्चे जब बड़े-बड़े अफसर बनते हैं तो यह इन्सान से नफरत करने लगते हैं । इसलिए आज शिक्षा के क्षेत्र में जो यह विषमता है इसे समाप्त किया जाये, पब्लिक स्कूलों को बन्द करके ।

मान्यवर, जिला परिषदों से चलने वाले स्कूलों में आज पौष्टिक आहार के लिए जो चीजें मिलती हैं, उन पौष्टिक आहारों में इतने बड़े-बड़े कीड़े निकलते हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता । जो पौष्टिक आहार मिलता है, वह गाय और भैंसों के लिए जाते हैं । प्रौढ़ शिक्षा की स्थिति को जाकर देखा जाय, आज प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ाया जा रहा है । मेरा निवेदन है कि आज उस पर ध्यान दिया जाय । आप बजट की सारी किताबें देखें, आपको 99 प्रतिशत कोई ऐसी चीजें नहीं मिलेगी, जैसा कि पिछले साल थीं, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दिया गया है । जैसी हमारे प्रदेश की परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार यह बजट नहीं है । (लाल बत्ती होने पर) 2 मिनट और दे दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

दो मिनट है आपका ।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री--

मैं यह समझता हूं हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है । यदि कुछ साल बाद मद्रास, पंजाब 3 हिस्सों में बट सकता था, गुजरात बट सकता था, तो हमारा जो इतना बड़ा प्रदेश है, मैं अपने माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि जनता के अन्दर जो ज्वाला धधक रही है कि 10 करोड़ जनता के साथ एक मुख्य मंत्री बनने के लिए जो राजनैतिक लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, यदि आंध्र, मद्रास, केरल, हरियाणा, पंजाब, हिमांचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र कई भाग में बंट सकता है, आपको याद होगा जिस दिन हमारे मोरार जी भाई महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री थे, उन्होंने इस काम को किया और उस प्रदेश का विकास हुआ । यह जो हमारे प्रदेश की 10 करोड़ की जनसंख्या है यह जो मुख्य मंत्री कुर्सी को बनाए रखने के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं, इस खिलवाड़ को खत्म करना होगा, चाहे जनता शासन हो या कोई भी आने वाला शासन हो, इसे जनता बर्दास्त नहीं करेगी । जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट रखा है, उसका दुःख के साथ और इन सुझावों के साथ समर्थन करता हूं ।

(श्री रेवती रमण रस्तोगी का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य--

मान्यवर, हमारा छठा नम्बर था ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें । मुझे क्यों गाइड करते हैं ?

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)--

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं साथ ही गुण दोष का विवेचन कर रहा हूं । विद्युत् हमारी प्रगति का मूल आधार है एवं

जीवन शक्ति है। सिंचाई के छोटे-बड़े साधन का विकास कृषि विकास का मूल जीवन है। सड़कों के जाल का फैलाव ग्राम्य विकास का मूल साधन है। इन्हीं तीनों कार्यक्रमों की प्रमुखता के आधार पर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। इस स्तुत्य प्रयास का मैं समर्थन करता हूं। अब मैं कुछ दोषों की विवेचना करता हूं। है।

कानपुर कारपोरेशन करप्शन का अड्डा यहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यह अनेकों बार व्यक्त किया जा चुका है। 8-10-77 को सदन में 60 पेज का भष्टाचार के नमूने का दस्तावेज मैंने पेश किया था जिसकी जांच के लिए श्री रुद्र शेखर मिश्र, डिप्टी डायरेक्टर की नियुक्ति हुई। 30-9-78 को उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की। 62 दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी थे। 7 निलम्बित हुए हैं। 55 आज भी भ्रष्टाचार का उपभोग कर रहे हैं। उस समय से जांच तक एक करोड़ की आमदनी बढ़ी थी, जबकि 1 करोड़ 84 लाख की आमदनी और बढ़नी चाहिए। 1976-77 के शेड्यूल के हिसाब से 5 करोड़ 84 लाख 60 हजार 563 रु० 81 पैसे होने चाहिए, मगर आज तक यह भ्रष्टाचार वहां पनप रहा है और यह हमारी सरकार टैक्स लगाना चाहती है। जो पैसा वहां पर पड़ा हुआ है, भष्टाचार के कारण उसे अविलम्ब निकालना चाहिए। इन भ्रष्टाचारियों को दन्ड देना चाहिए। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

थोड़ा धीरे बोलें।

श्री रेवती रमण रस्तोगी—

विकास प्राधिकरण, क्षेत्र के विकास के लिए होता है मगर कानपुर के विकास प्राधिकरण वाले भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बाबा की कुटी, बगाही, महा, किदवईनगर में सैकड़ों बीघे भूमि का नाजायज अधिग्रहण किया गया। लगभग एक करोड़ का घोटाला हुआ। कानपुर की यह बात स्वायत्त शासन मंत्री तक पहुंचाई जाए। कानपुर की आबादी 20 लाख है आज भी पानी का संकट है। कानपुर प्यास हो रहा है। 10 वर्ष के बाद आबादी 30 लाख की हो जायेगी। यह योजना बनी थी कि कानपुर में गंगा बैराज बनाया जाए और पानी के कमी की समस्या को हल किया जाये। उस समय योजना 6-7 करोड़ की बनी थी और आज बढ़कर 62 करोड़ रुपए की हो गई है और इस पर गम्भीरता से चिन्तन नहीं किया गया तो यह योजना 262 करोड़ की हो जायेगी। पुराने नए तीनों पुल खतरे में है। पिछली वर्षा में गंगा का पानी आखरी खम्बे तक आ गया था। यह सरकार की जानकारी में है उन्नाव की हजारों एकड़ भूमि का कटाव हो रहा है। इसलिए मैं सरकार को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कानपुर, भारत वर्ष के 5 महानगरों में से एक है, उसकी उपेक्षा न की जाए वरना कानपुर पानी के लिए तड़प उठेगा। हाहाकार कर उठेगा। भविष्य में पानी से तड़पते हुए लोगों की रक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार से प्रबल आग्रह कर गंगा बैराज की योजना पूर्ण कराई जायी।

इन योजनाओं को चालू करने वाला कौन है। मानव और व्यक्ति। अगर व्यक्ति राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत देशभक्त, त्यागी, नैतिकता से पूर्ण आदर्शवादी एवं समाजसेवी हो तो आपकी सारी योजनाएं पूरी होंगी। अनैतिक भ्रष्टाचारी, स्वार्थी या लोभी व्यक्ति समाज को खा लेंगे। अगर सिक्का खोटा हो तो विकास खोटा होगा और अगर सिक्का सच्चा हो तो विकास सच्चा होगा। इसलिए जितने शिक्षालय हैं, वहां पर नैतिकता की शिक्षा दी जाए। नैतिक मानव बनाने का जो प्रयास हो रहा है, बन भी रहे हैं, उसके लिए हमारी सरकार खुले मस्तिष्क से काम करें, चिन्तन करें। राष्ट्रीय स्वयं

[श्री रेवतीरमण रस्तोगी—]

सेवक संघ के कार्यकर्त्ताओं का भी सहयोग उक्त योजना में लिया जा सकता है, देश के विकास के लिए, नैतिकता के लिए और उन योजनाओं को पूरा करने के लिए।

अब मैं एक शब्द और कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार। यह जो भ्रष्टाचार है, इसे कैसे समाप्त किया जायेगा। 7 लाख कर्मचारी, उत्तर प्रदेश में हैं। इनके जो प्रमुख हैं; जिस दिन से नौकरी प्रारम्भ करते हैं जब से आज तक जो भी उनकी आय का साधन हुआ है उसकी जांच की जाए तथा उन सब को जोड़ करके जो भी इस समय उनके परिवार की सम्पत्ति है उस आधार पर उनके खर्च का अंश काटकर जिसके पास अधिक हो, उसे दंडित किया जाये। इस प्रकार भ्रष्टाचार रोका जा सकता है।

यह योजनायें जो हम बड़ी-बड़ी चालू करते चले जा रहे हैं, उसमें 33 परसेन्ट सफल होती हैं, 67 प्रतिशत इनका पैसा लोगों की जेबों में आता है। मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप व्यापारियों से उत्पादन कर लें, बिक्री कर के अलावा किसी भी प्रकार का कर लें, वह टैक्स देने से नहीं घबड़ाते। सब धन तो जनता से ही वसूल होता है। उनके ऊपर नौकरशाही का कड़ा नियंत्रण है। यही कष्ट का कारण है जो यह अफसर लोग चोरी कर लेते हैं धन को उसे समाप्त किया जाय। उनके यहां छापे मारे जाए। माननीय मंत्री जो आकस्मिक छापे मारने में आपको मिलेगा कि इनकी हैसियत कुछ की कुछ होती है इससे प्रशासन ठीक हो सकता है। अगर प्रशासन ठीक हो जाये, हमारी नीतियां अच्छे ढंग से लागू हो जायें तो जनता जनार्दन के बीच में जो हम वादा करके आए हैं वह पूरा कर सकेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आपको पुलिस का एक सेल बनाना चाहिए जो माननीय गृह मंत्री से सम्बन्धित हो। आई० जी० का वफादार न हो। हर शहर में 2-2, 3-3, व्यक्तियों की नियुक्तियों हो जो दरोगा से लेकर और सभी उच्च अधिकारियों का निरीक्षण करें। इस प्रकार जो जांच होगी, वह अन्ततः दो माध्यम से जांच होकर आयेगी, जिससे यथार्थ का पता चलेगा। इस प्रकार यह पुलिस के अधिकारियों के लिए लटकती हुई तलवार होगी जिससे प्रशासन शुद्ध होगा और इसमें चुस्ती आ सकेगी। आय का स्रोत भ्रष्टाचार में दबा है, यदि इसे निकाल लिया जाए तो नए टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। नारायण, नारायण।

*श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा अनुग्रहीत हूं कि आपने बजट की सामान्य चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री अधिष्ठाता—

इस वाक्य की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता।

श्री देव कुमार—

हम अपना कर्त्तव्य समझते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

नहीं यह कर्त्तव्य भी नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री देव कुमार—

जनता पार्टी ने 1977 में चुनाव के पहले अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम आजादी और रोटी दोनों देंगे। कुछ वरिष्ठ नेताओं ने यह भी घोषणा की थी कि हम सभी को रोजगार देंगे या बेरोजगारी का भत्ता देंगे। लेकिन मान्यवर, यह जनता पार्टी का तीसरा बजट है और बड़ी तकलीफ के साथ यह कहना पड़ता है कि यह बात भुला दी गयी है। इस देश के अन्दर पश्चिमी बंगाल सरकार ने केरल की सरकार ने एक नया प्रस्ताव दिया है कि उन्होंने बरोजगारी भत्ता देने की शुरुआत की है। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी जो समाजवादी खेमे से आते हैं, उन्होंने अपने बजट भाषण में मान्यवर, कहीं भी समाजवाद का नाम भूल कर भी नहीं लिया है।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

समाजवाद का नाम लेने से क्या होता है ?

श्री देव कुमार—

अभी निवेदन करूंगा कि कितने समाजवादी हैं। मेरा मत था कि कुछ ऐसे प्राविधान करें, कुछ ऐसी घोषणायें करें जिससे इस प्रदेश के लोगों को, बेरोजगार नौजवानों का भविष्य उज्जवल हो सके उन्हें कुछ आशा बंध सके। मान्यवर, इस बजट भाषण जिसकी प्रतियां माननीय सदस्यों को दी गयी है उसके पहले पेज में माननीय मंत्री जी ने प्रजातांत्रिक भागीदारी की बात कही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह प्रजातांत्रिक भागीदारी की बात आप करते हैं लेकिन लोकतंत्र की जो बुनियादी इकाइयां हैं –जिला परिषदें, स्थानीय संस्थायें उनको आपने भंग कर रखा है। वह आज निष्प्राण हैं। आप अपने बजट भाषण में ऐसा ऐलान करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहते हैं। मैं शासन से मांग करता हूं कि अगर वाकई में प्रजातांत्रिक भागीदारी की बात आप करते हैं, जो अभी ऊपरी सदन के सामने एक सवाल आया जिस पर आपने कहा है कि स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचन जल्दी करायेंगे। लेकिन पूरी आशंका जाहिर की जा रही है कि उसको टालने जा रहे हैं। तो अगर आपका रवैया यही रहा तो आप भी इतिहास की चीज हो जायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले कांग्रेसी शासन ने 30 साल तक उसी नौकरशाही पर देश को चलाया जो अंग्रेजों से विरासत में मिली थी।

दुनिया के क्रांतिकारी देश क्यूबा के प्रधानमंत्री फीटरक्रस्टा ने एक सार्वजनिक भाषण में कहा कि हमने स्वराज्य की विजय हासिल कर ली है लेकिन हम अपने अन्दर नौकरशाही से संघर्ष कर रहे हैं। हमारे देश में आवश्यकता इस बात की है कि इस पर गम्भीरता से चिंतन किया जाय। आपकी जितनी योजनाएं हैं, जितनी घोषणायें हैं उन पर अमल कौन करता है। जब तक आपकी सरकारी मशीनरी आपका साथ नहीं देती तब तक मैं अनुभव करता हूं कि कोई भी सरकार इस देश की गरीबी को और इस देश की योजना को पूरी नहीं कर सकती और न देश को आगे ले जा सकती है। मान्यवर, अन्त्योदय की इसमें चर्चा है। हम लोग इसके हिमायती हैं। जिस रूप में आपने इसकी घोषणा की है अगर इस लक्ष्य को आप पूरा कर लें तो गरीबों का बहुत कुछ भला हो सकता है। लेकिन अन्त्योदय योजना को लागू करने में कितने घपले हैं, कितनी धांधलियां हैं इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। सारा का सारा रुपया जो गरीबों के नाम पर आवंटित करते हैं दूसरे लोगों की जेब में जा रहा है।

[श्री देव कुमार--]

उत्तर प्रदेश, देश में बिहार के बाद सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है। यहां बेरोजगारी, औद्योगिक पिछड़ापन, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट और हर चीज में जो जिंदगी को तबाह करने वाली स्थितियां हैं उनका सरकार को गम्भीरतापूर्वक चिंतन करना चाहिए। जब तक आप इस ओर गम्भीरता से चिंतन नहीं करेंगे तब तक चाहे जितना बड़ा बजट ले आयें, जो ढांचा है वह बदलने वाला नहीं है। मेरा सुझाव है कि प्रदेश के अन्दर आपने योजना कमीशन बना रखा है। हर जिले में नियोजन अधिकारी और विकास अधिकारी हैं लेकिन आज तक जहां तक मेरा अपना तजुर्बा है किसी भी जिले का कोई मास्टर प्लान सांगोपांग सर्वेक्षण आपके पास नहीं है जिसके आधार पर आप कह सकें कि फलां क्षेत्र में फलां समस्या है। जब तक आपके पास कोई खाका नहीं होगा तब तक आप कहां से रंग भरेंगे। इस संबंध में जिले में जो आपके विकास अधिकारी हैं, प्लानिंग अफसर हैं उनके जरिये आप सर्वेक्षण करायें। आप कहते हैं कि हमारी योजना ग्रामोन्मुख है। लेकिन कहां पर सड़क नहीं है, कहां पर अस्पताल नहीं है, कहां पर स्कूल नहीं है और कहां पर तमाम जीवन की आवश्यकतायें नहीं हैं और उनको आप वहां तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसका एक सर्वेक्षण कराना अत्यन्त आवश्यक है।

मान्यवर, जब से मैं चुनकर आया हूं तब से बुन्देलखंड के सम्बन्ध में लगातार इस हाउस में मांग करता रहा हूं कि बुन्देलखंड, उत्तराखंड में जिस प्रकार पूर्वांचल के जिलों के विकास के लिए एक पटेल कमीशन की स्थापना की थी लेकिन उसकी रिपोर्ट को शायद आज तक पूरी तरह लागू नहीं किया गया, तो उसी तरह बुन्देलखंड के विकास के लिए मांग रखी है कि एक बुन्देलखंड विकास कमीशन बनाया जाय जो सिंचाई तथा अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट दे जिसके अनुसार कोई जागरूक तरीके से विकास के कदम उठायें जायं लेकिन इस ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है। मुख्य मंत्री जो अभी बुन्देलखंड गए थे तो उनसे वहां के जनप्रतिनिधियों ने मांग किया था लेकिन उसकी ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यदि बुन्देलखंड के जिलों को पानी की ठीक व्यवस्था करा दें तो वह आधे उत्तर प्रदेश को खिला सकता है। बुन्देलखंड में पाठा एक क्षेत्र है जहां 240 गावों में पानी नहीं मिलता है। इसलिए वहां एक लोक गीत गाया जाता है कि जो महिलाएं घड़ा पानी का लेकर चलती हैं तो वह गाती हैं--गागर न फूटे भर्तार मर जाय। मतलब मेरे सर का घड़ा न टूटे चाहे पति मर जाय। तो वहां इस प्रकार की स्थिति है।

मान्यवर, अब मैं बांधों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। बांदा में एक स्थान बरियारपुर व रनगवां है जो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पड़ता है तो स्थिति यह है कि वहां की सरकार पानी के बंटवारे में अड़चनें पैदा कर रही है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इन बुनियादी समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

मान्यवर, सुरक्षा के सम्बन्ध में जो विषम स्थिति है उसके सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि बांदा जिले में एक घटना हुई जिसमें पुलिस ने हिस्सा लिया 29-30 मार्च की रात में राजापुर शहर जहां तुलसीदास जी की रामायण खो है, शहर के अन्दर 6 लाख रुपए की डकैती पड़ी है। उसमें वहां का थानाध्यक्ष पी० ए० सी० की टुकड़ियां मिली थीं। जहां डकैती पड़ी उससे एक फर्लांग दूर थाना है। लोग जबरदस्ती थानाध्यक्ष को बुला लाए लेकिन उसने एक भी फायर नहीं किया और डकैतों ने ऊपर से कहा कि 20 मिनट का हमको और मौका चाहिए।

मान्यवर, दूसरी घटना आज के स्वतंत्र भारत में छपी है जिसको मैं पढ़ना चाहता हूं "झांसी, पुलिस कप्तान ने धनीराम नामक एक पुलिस सिपाही को लड़कियां छेड़ने के आरोप में निलम्बित कर दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस कप्तान से लोगों ने अभियुक्त के विरुद्ध शिकायत की थी। इसकी हेडिंग है--सिपाही लड़कियां छेड़ने के आरोप में गिरफ्तार।" तो यह दो घटनायें हैं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इन दो घटनाओं के सम्बन्ध में सी० आई० डी० से जांच करवायें क्योंकि डकैती की रिपोर्ट तक नहीं दर्ज की गयी है और न कोई कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में एक महिला मुख्य मंत्री जी से मिलने के लिए बाहर बैठी हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सुरक्षा की कोई गारन्टी नहीं दे सकते हैं क्योंकि पुलिस के लोग जब इस प्रकार के काम कर रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह कोई प्रभावशाली कदम उठाए।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, कोरम नहीं है।

(कोरम की घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुयी।)

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, कितनी दयनीय स्थिति है कि बजट पर चर्चा हो रही है, फिर भी कोरम नहीं है।

*श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, मैं वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और साथ साथ कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं।

मान्यवर, हमारे बजट में गत वर्ष और उसके पहले गांव की ओर चलो की बड़ी भारी घोषणा हुई थी और दूसरे साल और तीसरे साल चलने के बाद मालूम होता है कि फिर हम गांव से लौटना चाहते हैं। मान्यवर, हमारे गावों में किसानों की जो दशा और व्यवस्था है, उसको देखना बहुत जरूरी है। हमारे किसान हर प्रकार से पीड़ित हैं और बाढ़ तथा दैवी आपदायें तथा विभागों की कार्य संचालन पद्धति इसका बहुत बड़ा कारण है। आज जो आपका सहकारिता विभाग है, इसका जो लक्ष्य है कि हमारे किसानों को खाद और अनेक प्रकार की सुविधायें प्रदान करे, उस सहकारिता विभाग में इतनी गड़बड़ियां हैं, इतना भ्रष्टाचार है कि अगर किसान 100 रु० की खाद लेता है तो एक सिफड़ और बढ़ाकर एक हजार कर दिया जाता है। अब उनके सचिव का ट्रान्सफर हो गया तो कौन देखेगा? इलाहाबाद जिले में ऐसी 10/15 सोसाइटीज हैं, जिनमें लाखों का घोटाला है। किसानों ने पैसा अदा कर दिया, लेकिन फिर भी कुर्की और वारन्ट इशू हैं और उसको बन्द किया जाता है। जब वहां असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास हम किसानों को लेकर गये तो वह कहते हैं कि पहले रुपया अदा करो, हिसाब होगा। इस प्रकार किसानों को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में ऐसा कोई प्राविधान नहीं किया गया कि उनका कार्य सुचारुरूप से संचालित हो सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गुरु प्रसाद--]

इससे बाद, मान्यवर, हमारी सरकार ने सबसे अच्छा काम गरीबी हटाओ की योजना में अन्त्योदय कार्यक्रम को लाकर किया। हम लोग बहुत प्रभावित हुए और प्रचार भी किया कि अन्त्योदय कार्यक्रम ऐसा है, जिससे छोटे-छोटे गरीबों का भला होगा। लेकिन यह अन्त्योदय कार्यक्रम हुआ तो अच्छाई के लिए, किन्तु इसमें देखा यह जा रहा है कि उसमें इतना घोटाला पैदा हो गया है भैंस के खरीदने में, बकरी के खरीदने में, ऊंट के खरीदने में कि अगर तीन हजार की कीमत लगाई गई है तो 1,500 उसको मिलता है। इस प्रकार यह अन्त्योदय कार्यक्रम अच्छा होते हुए भी उसके कार्यान्वियन में गड़बड़ी होने के कारण, इसकी सफलता में हमें विश्वास नहीं है, न इसको सफलता मिलेगी।

इसी प्रकार से हमारी सिंचाई और विद्युत् योजना है। सिंचाई के विषय में मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को नहर और नलकूप से लाभ अवश्य है, किन्तु नहरों में जिस कार की गड़बड़ियां पैदा हो रही हैं, उसको देखने से पता चलता है कि नहर के अधिकारी सक्षम होते हुए भी अक्षम हैं। इसलिए कि जब बरसात में पानी ऊपर से बरसता है तो वे भी नहर को खोल देते हैं और जब पानी की आवश्यकता होती है, नई बैरायटी के गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए नियम है कि 25वें दिन उसको पानी मिलना चाहिये, लेकिन सिंचाई विभाग कभी 40वें दिन पर और कभी 50वें दिन पर पानी देता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि इस वर्ष 22 जून से लेकर 8 सितम्बर तक लगातार वर्षा हुई है। लेकिन फिर भी जिन खेतों में पानी नहीं दिया गया, किसान ने जिन खेतों को नहीं सींचा, उन पर भी पनकर लगाकर उसकी वसूली भी नहर वाले कर रहे हैं। हमारे यहां करछना और शंकरगढ़ क्षेत्र में, जो बुन्देलखंड का पूरा इलाका है, शंकरगढ़ और कुरांव ब्लाक मिला हुआ है, वहां हर वर्ष गर्मी के दिनों में पानी की समस्या हो जाती है। हमारे शंकरगढ़ ब्लाक में 100 ग्राम सभायें हैं और उसमें से 50 ग्राम सभाओं में पानी का अभाव हो गया है। शंकरगढ़, लोहगवां, कोरवां में पानी का बिलकुल अभाव हो गया है। सारी मशीनें खराब पड़ी हैं। सरकार का यह कर्तव्य है कि तुरन्त इन मशीनों को ठीक कराय और जब तक मशीनें ठीक न हों तब तक यमुना का जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।

विद्युत् के विषय में मैं कहना चाहता हूं कि बिजली आज किसानों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि थ्रेशर के काम और सिंचाई के काम में भी बिजली का बहुत उपयोग है। हमारे विद्युत् मन्त्री जी ने पिछले वर्ष 15 रु० हार्स पावर से कम करके 12 रु० हार्सपावर कर दिया, 3 रुपया घटा तो दिया, लेकिन इस बजट में एक पैसा प्रति यूनिट की दर से बढ़ा दिया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि वह एक पैसा प्रति यूनिट किसानों के ऊपर लागू न किया जाए, क्योंकि किसानों के ऊपर जितना आप लागू करेंगे उतना ही कर वृद्धि उनके ऊपर बढ़ती जाएगी।

इसके अतिरिक्त मैं उद्योग विभाग की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अगर लघु उद्योग का प्रचार हमारे देहात में, ग्रामीणों में, किसानों में, मजदूरों में किया जाए तो उससे हमारी बेकारी की समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन यह उद्योग विभाग ऐसा विभाग है कि केवल शहरों में इसका दफ्तर है और शहरों में लोग बैठे हुये हैं कार्यालय खोलकर। देहात में लघु उद्योगों का कहीं नाम निशान नहीं है। गत वर्ष भी मैंने लघु उद्योग मन्त्री से कहा था और आज भी लघु उद्योग मन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि

गांव-गांव में अगर गृह उद्योग, छोटे उद्योग चालू किए जायं तो हमारे किसानों की और लेबरों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। किन्तु और विभाग तो गांवों में छाये हुए हैं, उद्योग विभाग वहां नहीं के बराबर है। इसलिए मैं उद्योग विभाग की ओर से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

इसके अलावा मान्यवर, मद्य निषेध का विषय आजकल केन्द्र सरकार की ओर से और हमारी सरकार की ओर से बड़े जोर से लागू किया जा रहा है। मद्य निषेध लागू होना बहुत अच्छी बात है, किन्तु हमारा अन्दाज है कि कानून के द्वारा आप इसे कितना लागू करेंगे, क्योंकि मद्य पीने वाले अपनी आदत से बाज नहीं आयेंगे। यदि सरकार की इस प्रकार की योजना है तो मद्य निषेध को कड़ाई से लागू करना चाहिये ताकि इसमें सफलता मिले ऐसा न हो कि यह कानून के अन्दर ही पड़ा रहे।

मान्यवर, इसके अलावा कई माननीय मित्रों ने अपराध की संख्याओं का जिक्र किया। हमारे इलाहाबाद जिले में अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी 22 और 23 तारीख की रात्रि को हमारे करछना तहसील में एक घंटे में एक साथ चार गांवों में डकैतियां पड़ी और हजारों लाखों की लूट हुई। इसके साथ ही हमारे 6 आदमी मारे गए। इस प्रकार प्रदेश में डकैतियों की और कत्लों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे हमारा मानव और किसान क्षुब्ध होता है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

मान्यवर, अन्तिम विषय हमारा है शिक्षा। शिक्षा जगत ऐसा जगत है, एक ऐसा प्रतिष्ठान है, जहां पर हमारे देश का नौजवान एक अच्छा नागरिक बनता है। हमारी शिक्षा जगत को एक रोग लगा हुआ है। वह रोग है सामूहिक नकल। सामूहिक नकल का क्या कारण है। मैं तीस साल से अध्यापक जीवन में हूं और मैं देखता हूं कि परीक्षाओं के समय में नकल करने में जो तादाद मिलता है, वह कभी कम नहीं हो रहा है बढ़ता ही जा रहा है। एक माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, मैं उसका समर्थन करता हूं कि हर विद्यालय और विश्वविद्यालय में मैं एक ऐसी शिक्षा योजना लागू की जाय जो एक नैतिक शिक्षा हो और हमारे देश के नौजवान उससे उत्कृष्ट नागरिक बनें और देश का कल्याण हो।

मान्यवर, बजट में एक बात की ओर और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और वह है बेकारी। बेकारी की समस्या को हल करने के लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं हुआ है। हमारे इलाहाबाद जिले में सेवा योजन कार्यालय में एक लाख नवयुवकों का नाम रजिस्टर्ड है। जब तक सरकार हमारे बेकार लड़कों के लिए कोई प्राविधान नहीं करेगी, बेकारी भत्ता या उनके लिए स्थान सुरक्षित नहीं करेगी तब तक हमारे नौजवान निराश रहेंगे और देश प्रदेश की सरकार पर वह असन्तोष व्यक्त करते रहेंगे।

इन शब्दों के साथ में आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

*श्री हरि चरन यादव (जिला सुलतानपुर)—

मान्यवर, माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है, इसके समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरि चरन यादव--]

मान्यवर, जनता पार्टी की हुकूमत ने पिछले साल गांवों की ओर चलो का नारा दिया था। लेकिन समझ में नहीं आता कि यह चलो गांव की ओर का नारा केवल 28 फीसदी सम्पन्न किसानों के लिये है या 72 फीसदी गरीब किसानों के लिये भी है। 72 फीसदी किसान ऐसा है, जिसके पास 5 एकड़ से कम जमीन है और 28 फीसदी ऐसे हैं, जिसके पास 5 एकड़ से ज्यादा है। कांग्रेस की सरकार से जनता पार्टी की सरकार बनने तक जमीन का कोई विकेन्द्रीयकरण नहीं किया गया। सीलिंग नाम मात्र के लिए लागू की गई। जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट में इस तरह का प्राविधान कर दिया गया कि लड़का बालिग होगा तो परिवार अलग कर दिया जायेगा। जो बड़े काश्तकार थे और जिनके चार-चार लड़के थे, उन्होंने जमीन अपने लड़कों तथा पतोहू के नाम ट्रान्सफर कर दी। सीलिंग ऐक्ट उस समय लाया गया जब कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रियों के पास हजारों एकड़ जमीन थी। 5 साल कानून लाने के पहले ढिंढोरा पीटा गया कि सीलिंग ऐक्ट आ रहा है और रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से उसे लागू नहीं किया गया। जिसका परिणाम यह हुआ कि जमीन गरीबों को नहीं मिली और कुछ ही लोगों के हाथों में रह गई।

जहां तक गरीब किसानों को कर्जा देने की बात है, वह बहुत मंहगा पड़ता है। 7 फीसदी ब्याज पर रिजर्व बैंक लोन देता है, बैंक को और बैंक किसान को 13.75 फीसदी पर कर्जा देते हैं। इसी तरह सहकारी समितियों को कर्जा देने का सवाल है रिजर्व बैंक उनको 8.5 फीसदी पर कर्जा देता है, लेकिन किसानों को उनसे 13.75 फीसदी पर कर्जा मिलता है। इस प्रकार किसान का बराबर शोषण होता है। फिर कोई भी उद्योग होगा तो पूंजी पर आय तथा व्यय लगाकर कीमत आंकी जाती है, लेकिन किसानों की कृषि जन्य जितनी वस्तुयें हैं, उन पर सरकार यह ध्यान नहीं देती है कि किसान की लागत कितनी आती है, कितना व्यय पड़ता है। उसका मूल्य निर्धारित करने के समय इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है जब कि उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर बराबर इस बात का ध्यान दिया जाता है। बड़े-बड़े उद्योग किसानों के नहीं हैं, वे बड़े पूंजीपतियों तथा सरमायादारों के हैं, जिनकी मदद यह सरकार कर रही है। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो अथवा जनता पार्टी की सरकार, कोई फर्क नहीं आया है और अगर आया है तो नाम मात्र को आया है। यह नारा दिया गया था, भाषण दिए जाते थे कि मन्त्री बड़े-बड़े बंगले मे रहते हैं, कारों का प्रयोग करते हैं, लेकिन आज भी जनता पार्टी की सरकार में मन्त्रियों में होड़ लगी हुई है कि किसको बड़े से बड़ा तथा अच्छा बंगला मिले। कथनी तथा करनी में बड़ा अन्तर है।

सत्ता में आने के बाद मन्त्री अपने को भूल जाते हैं। हम विधायक जाते हैं अपने क्षेत्र की बात कहते हैं तो कहा जाता है लिखकर दो। हमारी बात का कोई अर्थ नहीं होता। कहते हैं कि जब आप लिखकर देने में डरते हैं तो हम कैसे कर सकेंगे बिना लिखे और जब वह विधायक होते हैं तो उस समय वही बात कहते हैं जो हम कहते हैं। तब आपका कर्तव्य हो जाता है मन्त्री पद में रहने के नाते कि आप विधायक की बात का ध्यान रखें। जब चौधरी चरण सिंह इस सदन में मुख्य मन्त्री थे तो उस समय प्रदेश में भ्रष्टाचार काफी कम हो गया था। लोग उनके नाम से डरते थे। उनके प्रोग्राम देखने से ही लोग सहम जाते थे। आज हम देखते हैं, गांवों में किसानों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। जब हम मंत्रियों से कहते हैं कि वहां की समस्याओं को देख लीजिए, वहां चलकर देख लीजिए, लेकिन कहा जाता है कि फुरसत कहां है। इस तरह से कैसे भ्रष्टाचार मिटेगा। सरकारी

कर्मचारी जो कहेंगे, वही वे कर देंगे । वे आज मन्त्रियों के हजीज बने हुये हैं । जैसा वे फाइल में लिख देते हैं, उसी तरह से वे भी लिख देते हैं ।]

मान्यवर, मैं अपने जनपद के बारे में कहना चाहता हूं कि एक विधायक ने शिकायत की और कहा कि फलां कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की रिपोर्ट है । मंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी ने कमिश्नर को, कमिश्नर ने कलेक्टर को, और कलेक्टर ने एस० डी० एम० को लिख दिया कि वे इस पर कार्यवाही करें । एस० डी० एम० ने नोटिस जारी किया कि विधायक को फलां तारीख को बयान देने के लिये बुलाया जाय । मैं यह कहना चाहता हूं कि इन लोगों पर हमारी बात का कोई यकीन नहीं है । क्या हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं है ? हम तहसीलदार के सामने अपना बयान देने के लिये जायं ? आप क्रान्ति की बात कहते हैं देश में सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति लानी होगी ।

मैं सुल्तानपुर जनपद के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं । यह ऐसा जनपद है, जिसके सम्बन्ध में चौधरी साहब ने बहस की थी और एक रिकैन्दी कान्ड हुआ था । अमेठी संसदीय चुनाव क्षेत्र था, संजय गांधी का चुनाव क्षेत्र था, जो योजनायें वहां के लिये बनाई गई थी, वह अब सारी ठप कर दी गई हैं । मन्त्री जी कह रहे थे कि 99 लाख रुपये वहां प्लानिंग पर खर्च हो गये, किन्तु 2 साल हम कहते आ रहे हैं जो वहां पर लड़कियों का जूनियर हाई स्कूल है, उसे इन्टर तक कर दिया जाय, किन्तु अभी तक वह नहीं किया गया है । इसलिये वहां पर लड़कियों की शिक्षा में अवरोध पैदा हो रहा है । मन्त्री जी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं । जो एम० एल० ए०, जिस क्षेत्र का होता है, वह अपने क्षेत्र तक ही सीमित हो जाता है । इसी तरह से मन्त्रियों ने भी अपना दायरा सीमित कर दिया है । इस तरह से सरकार चलाना बड़ा असम्भव हो जायेगा । मान्यवर, सुल्तानपुर में मन्डी समिति बनाने के लिये सन् 75-76 में 3 लाख रुपया दिया गया, किन्तु अभी तक जमीन का भी अधिग्रहण नहीं किया गया है । उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है । सब काम वहां पर ठप पड़े हुये हैं । इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को जो उन्होंने बजट सदन में प्रस्तुत किया है, उस सम्बन्ध में उन्हें बधाई देने की स्थिति में नहीं हूं और न ही धन्यवाद दे सकता हूं, लेकिन उसमें कुछ अच्छी दिशायें हैं, जिन पर केवल अमल नहीं किया गया है, सिर्फ कही गई हैं, उनके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि बजट भाषण के पेज 34 और 36 पर प्रशासनिक सुधार और मितव्ययिता की बात कही गई है । यह माननीय मन्त्री जी का बजट भाषण है ।

मान्यवर, भ्रष्टाचार की चर्चा दोनों ओर से खूब होती है और समाज में सर्वत्र होती है, लेकिन भ्रष्टाचार केवल चर्चा करने से समाप्त होने वाला नहीं है और न लोकपाल ऐक्ट लागू कर देने मात्र से भ्रष्टाचार का उन्मूलन होने वाला है जब तक हम इस नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे कि इसकी शुरुआत कहां से होती है तब तक हम इसका निदान नहीं कर पायेंगे । मान्यवर, सीधी सी बात है कि पूंजीगत वैभव और सत्तागत ऐश्वर्य चकाचौंध । जिस देश में 60 परसेन्ट लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, वहां इस प्रकार की चकाचौंध जन साधारण के मन में भी लालसा जगाती है । यह जो आज आप देखते हैं कि लाटरी के टिकट जिनके लिए मैं समझता हूं कि सौ दो सौ लाऊडस्पीकर, लखनऊ में ही लगे हुए हैं, यह स्थिति सभी शहरों में है, जिसमें रातों रात लखपति बनने की आवाजें आपको

[श्री राम दत्त जोशी--]

सुनाई देती हैं । इसी से शुरुआत होती है आम आदमी सोचता है कि येनकेन-प्रकारेण उसे वह इस ऐश्वर्य और वैभव को प्राप्त हो जाय, वह सोचता है कि येनकेन-प्रकारेण यह वैभव उसको भी प्राप्त होना चाहिए । इसी भावना से मनुष्य भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, इसी से वह प्रेरणा पाता है । मान्यवर, इस दिशा में हमारी ओर से क्या किया गया है ?

राजघाट में मार्च 9 को क्रान्ति के बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हमने सपथ ली थी कि हम मितव्ययिता और सादगी से सरकार चलायेंगे और देश की सेवा करेंगे । हमारे देश के राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी ने इसका शुभारम्भ किया और अपने वेतन से 70 प्रतिशत कटौती करने की घोषणा की थी तथा छोटे मकान में जाने की इच्छा जाहिर की थी । लेकिन उसके बाद सारे देश में किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता ने जो इस समय सत्ता में पहुंचे हुए हैं, उनका अनुपालन, उनका अनुकरण नहीं किया । हम लोग गांधी जी का नाम लेते हैं, गांधी जी के नाम पर सड़कें बनाते हैं, भवन बनाते हैं, लेकिन गांधी जी के सिद्धान्तों का पालन करने की दिशा में हमने कोई कार्य नहीं किया । (व्यवधान) मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं । मैं सिद्धांत की बात कह रहा हूं । भ्रष्टाचार और अपराध यहां चलते रहेंगे । उसको समाप्त करना है तो मेरा सुझाव है कि प्रशासन में सादगी आनी चाहिये, वह तभी आयेगी जब ऊपर के लोग उसका पालन करेंगे । भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे को पानी की तरह बहता है । चाहे गंगा का पानी हो या गंदे पतनाले का पानी वह ऊपर से नीचे को ही बहता है । यही नेतागण जब देश की आजादी के समय कुर्बानी के रास्ते पर थे तब सारा देश उनका अनुसरण कर रहा था और आज जब सत्ता में पहुंच गये हैं और ऐश्वर्य में लिप्त हैं तो सारा जनमानस उनका अनुकरण करता हुआ येनकेन प्रकारेण सम्पन्नता की ओर बढ़ना चाहता है । यही भ्रष्टाचार का मूल कारण है ।

मान्यवर, फिजूल खर्ची कम करने की बात कही गई थी, मितव्ययिता की कसम खाई गई थी हमारे देश के केवल चार प्रदेशों में विधान परिषद चलती हैं । विधान परिषदें क्या हैं सत्ता में प्रवेश करने के चोर दरवाजे हैं, यह राजनीतिक रिश्वत का सफेद हाथी खाना है । क्यों इनको नहीं तोड़ते हैं । जनता सरकार का उद्देश्य है कि वह नया काम करेगी लेकिन हमारे जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय चन्द्रशेखर ने यह बात सही कही है कि जनता सरकार यथास्थितिवादी हो गई है उसे नया कदम उठाने में संकोच होता है । जो ढांचा बना हुआ था उसे ही बनाये रखा है और उसी पर यह सरकार चलना चाहती है । तो मेरा सुझाव है कि विधान परिषद को समाप्त करें क्योंकि केवल 4 राज्यों में यह चलती हैं । इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं है । दूसरा मेरा सुझाव यह है कि यह जो लौटरी चलाई है जो एक प्रकार का जुवा है उसको बंद करना चाहिये । महात्मा गांधी और जितने भी समाज के प्रवर्तक हैं उन्होंने कहा है कि जुवा इंसान को गलत रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है ।

तीसरी चीज है सैक्स और क्राईम जिसके लिए तमाम लोग शिकायत करते हैं । दो कारण भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार हैं जो मैं पहले बता चुका हूं । तीसरा कारण हमारी यह फिल्म इंडस्ट्री है । चौथा कारण यह है कि इमरजेंसी काल में विचार स्वतन्त्रता और लिखने-पढ़ने की सारी स्वतन्त्रतायें छिन गई थी रे रास्ते बन्द हो गये, तो पत्र पत्रिकाओं को कुछ लिखने को नहीं मिला और ी परिस्थिति में उन्होंने धंआधार सेक्स बेचा । उस समय सेक्स कथाओं और

अपराध कथाओं की बाढ़ आ गई। इमरजेंसी में हुआ किन्तु यह बढ़ाव अभी रुका नहीं है। तो इनसे भी अपराध का बढ़ावा मिलता है, प्रेरणा मिलती है।

फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मेरा सुझाव यह है कि इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस उद्योग में लगे लोग, एक्स्ट्रा को छोड़कर, फाइनेन्सर, प्रोड्यूसर डायरेक्टर और ऐक्टर्स आदि सारे के सारे लोग समाज का शोषण करने वाले लोग हैं। इसके राष्ट्रीयकरण करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से केन्द्र को संस्तुति की जानी चाहिए। और इस संबंध में देश के प्रसिद्ध कवियों, साहित्यकारों और विद्वानों की एक कमेटी बना दी जानी चाहिए, जो फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट को एप्रूव किया करे, जिस पर सरकार स्वयं फिल्म बनाकर जनता के टेस्ट को ठीक करे, जो बिलकुल विकृत हो चुका है।

कांग्रेस सरकार ने इमरजेंसी के नशे में विधायकों को पेंशन देने का एक कानून पास किया। यह कानूनी डकैती है। हम किस बात की पेंशन चाहते हैं। पेंशन तो लूले लंगड़े, असहाय बेसहारा और अत्यधिक वृद्ध लोगों के लिए है। सरकारी कर्मचारी जब अपने जीवन काल में 30–35 वर्ष तक अपने मालिक की सेवा करता है, अपनी ईमानदारी और सच्चाई से उसे सन्तुष्ट रखता है तब जाकर उसे पेंशन मिलती है। किन्तु यदि रिटायर होने के एक वर्ष पूर्व ही किसी कारण से डिसमिस हो जाता है तो वह पेंशन का हकदार नहीं रह जाता है। तब यह कहां का न्याय और औचित्य है कि 5 साल तक जो जनता के पैसे से जनता की सेवा करे, उसको उसके बाद इतनी भारी पेंशन मिले। 5 साल के बाद जिसको मासेस ने रिजेक्ट कर दिया, उसको पेंशन किस बात के लिए ?

एक एम० एल० ए० को कितना मिलता है, इसका विवरण 10 फरवरी, 1978 के असाधारण गजट में विस्तार से दिया गया है। सरकार ने एक नियम बनाया कि हर विधायक को अपनी सम्पत्ति का विवरण देना होगा, उसके अनुसार 423 में से कुल 43 ने अपनी सम्पत्ति का विवरण दिया और 380 ने कोई विवरण नहीं दिया। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम सब चोर हैं ? और यदि चोर नहीं हैं, तो इसे न देने का कारण क्या है ? एक विधायक पर 40 हजार रुपया वार्षिक व्यय होता है। किन्तु चन्द विधायकों को छोड़कर हममें से कितने ऐसे हैं जो एम० एल० ए० बनने के पहले अपने ऊपर 40 हजार रुपया वार्षिक व्यय करते थे और एम० एल० ए० न रहने पर खर्च करेंगे ? मैं नारायण दत्त तिवारी जी को इस संबंध में बधाई देता हूं, उन्होंने भी अपनी सम्पत्ति का विवरण दिया है। उसके अनुसार पौन लाख रुपया नकद उनका विभिन्न बैंकों में जमा है, आधा लाख की सम्पत्ति है और 5,000 का बीमा है। साथ ही उनकी पत्नी के पास 93 हजार रुपये कैश है और 6 हजार के जेवरात हैं। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने यह भ्रष्टाचार से कमाया है, क्योंकि मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं। वह सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और उस समय जब मैं उनके साथ था कभी-कभी बस और रेल से जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो वह हमसे लेकर जाते थे। वह बीड़ी नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, नशा नहीं करते, अतएव इतना पैसा जमा हो गया, तो आप एम० एल० ए० को जितना पैसा देते हैं उसी में से इतना बचत है। ऐसी स्थिति में पेंशन का कोई औचित्य नहीं है। भ्रष्टाचार के बारे में पहले सफाई अपने घर से शुरू होनी चाहिये चैरिटी बिगिंस फ्राम होम। पहले हम अपने घर की सफाई करें फिर दूसरों को कहें।

[श्री राम दत्त जोशी--]

मैं जनता पार्टी को बधाई देना चाहता हूं उसने जो नई और स्वस्थ्य परम्परा 30 साल बाद शुरू की है कि अपने लोगों का भी पर्दाफाश हो । उसी परम्परा के अन्दर मोरार जी देसाई के पुत्र और चौधरी चरण सिंह के रिश्तेदारों के बारे में इंक्वायरी प्रारम्भ की गई है । जितने लोग यहां बैठे हैं, वह इत्मिनान रखें कि अब किसी को बख्शा नहीं जायेगा सफाई अपने घर से ही शुरू होनी चाहिए, बस मुझे इतना ही कहना था ।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय,....

(श्री शिव लाल मित्तल के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय शिवलाल जी बैठ जायं, तीन इधर के, एक उधर का । अब की पाली में आप लोग आयेंगे ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जो बजट पेश किया गया है मैं उसका विरोध करती हूं और यह कहना चाहती हूं कि जनता पार्टी ने हुकूमत सम्हालने के बाद ही गांव चलो का नारा बुलन्द किया । कहावत है जहां-जहां पड़े चरण संतन के, गांव चलो का नारा ऐसा बुलन्द हुआ कि किसान की नय्या ही डूब गयी । पूरे प्रान्त को बाढ़ ने ऐसा घेरा शायद कोई जिला बचा हो जो बाढ़ में न डूब गया हो । कोई भी ऐसा किसान नहीं है जो गन्ने की खेती को अपना भाग्य न समझता हो और जिसके ऊपर उसका जीवन निर्भर न हो । गांव की खेती इतनी सुन्दर हुई कि आग लगा दी गयी खेतों में । तो यह जो नारा बुलन्द किया गया गांव चलो, गांव की तरफ हम जो चले तो गांव में आग लग गई । इससे अच्छा है कि किसान को जैसे जिन्दा रहता है वैसे ही रहने दिया जाय । आलू पैदा हुआ तो आठ सेर का आलू बिक गया । यह गांव का कल्याण किया । उसके ऊपर सोने में सोहागा । अब जो टैक्सेज लगाये गये हैं उनसे कितना कल्याण होगा गांव वालों का ? किसानों के बिजली के दाम बढ़ गये, मिट्टी के तेल के दाम बढ़ गये, स्टाम्प साढ़े सात रुपये से साढ़े आठ रुपया कर दिया ।

मेल और हाट के स्थानों पर टैक्स लगा दिया । मनोरंजन करों को भी बढ़ा दिया गया । यानी आप चाहते हैं कि जो श्रमिक है वह मनोरंजन के लिए सिनेमा न जाय, तो कहां जाय ? शराब खाने में जाय, वेश्याओं के घरों में जाय, या जहर खा कर मर जाय ? किसानों के साथ ज्यादती कर रहे हैं । गन्ना जो खरीदा गया वह सस्ते दाम पर खरीदा गया लेकिन चीनी जो निकली चीनी का दाम बढ़ गया । यह इस लिए कि चीनी के मिल मालिकों की जेब में पैसा जाय। अगर उनकी कमाई न हो तो जनता पार्टी को अपने चुनाव के लिए अपनी पार्टी के लिए पैसा कहां से मिले । वह मार्जिन रखना ही है । इसमें यह लिखा है चीनी मिलों के बारे में कि नयी चीनी मिलों की स्थापना के साथ इस प्रदेश की पुरानी चीनी मिलों जो काफी मात्रा में क्षीण या रोगग्रस्त हैं हो रही हैं उनका आधुनीकरण, विस्तार और पुनर्वासन किया जाय । दूसरा साल बीत गया, तीन साल और बीत जायेंगे, फिर क्या शुरुआत होगी ? तीन साल तक जनता पार्टी जिन्दी भी रहेगी, यह ताज्जुब है । चीनी मिलों का भगवान ही मालिक है । यह भी लिखा है, पैसा कहां से आयेगा ? इसका मतलब यह है कि जो भाषा इसने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लिखी है उससे जाहिर होता है कि चीनी मिलों का भविष्य और गन्ना उत्पादकों का भविष्य अंधकार में है। मान्यवर, समाजवाद का नामोनिशान इसमें कहीं देखने को नहीं मिलता, उसकी हम इनसे उम्मीद भी नहीं करते। मैं यह कहना चाहती हूं कि जब तक चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा तब तक गन्ना किसानों का भला नहीं होगा और न ही इस प्रदेश का विकास हो सकेगा।

शिक्षा पर इस वर्ष 284.10 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय बताया गया है। इस रकम से तो कुछ भी होने वाला नहीं है। अपने प्रदेश की गरीब जनता को इतना निचोड़ा है कि आज किसान किसान नहीं रह गया, गरीबी ही रह गयी है। जितना पैसा टैक्सों का आपने लिया है उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। जनता के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। आज शिक्षा के नाम पर भारपोट, दंगा, गुरुओं का अपमान और जाली डिग्रियां तथा जाली मार्कसशीट मिलता रह गया है। पिछले दो वर्षों में शिक्षा का जितना स्तर गिरा है उससे प्रदेश का भविष्य अन्धकारमय हो गया है। आज मई का महीना आ गया मगर अभी तक एम० ए० के एडमीशन्स हो रहे हैं। अगर परीक्षा नहीं करते हैं तो जीरो सेशन हो जाता है, अगर परीक्षा लें तो वह बिना पढ़ाई के कैसे हो। इस विडम्बना ने शिक्षा में एक कैंग्रास ला दिया है।

प्रदेश के विकास के लिए हर गांव में एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिये। आज स्कूल कहीं है तो बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं तो स्कूल नहीं है, कहीं टीचर्स नहीं हैं तो कहीं सामान नहीं है। बिना प्राइमरी एजूकेशन के आप देश का भविष्य उज्जवल नहीं कर सकते।

महिलाओं की परेशानियों का कहां तक जिक्र करूं। चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के हों, आप लोगों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। महिलाओं को आज पूछने वाला कोई नहीं है। उनकी आज हालत देखकर शर्म आती है। आज मुहल्लों में ओपन तरीके से वेश्याओं का प्रदर्शन हो रहा है। आज अच्छे घर की लड़कियां, अच्छे घर की लड़कियां बहकाई जाती हैं और अपने बिजनेश और अपने काम में तरक्की करने के लिए लड़कियां जिस प्रकार से प्रयोग की जा रही हैं, और जितना क्राइम हो रहा है, इन सब बातों की वजह से कितनी आये दिन लड़कियां घरों से गायब हो रही हैं। अभी एक लड़की का नाम अखबार में आपने पढ़ा होगा। लखनऊ में आये दिन एकाध लड़की गायब होती है। बस्ती में क्या हुआ? नर्सेज के साथ बलात्कार खुलेआम किया गया और यह कैसे हिम्मत पड़ी? यह ऐसा घोर अन्याय काम करने का मतलब है कि हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन बिलकुल ब्रेक डाउन हो गया। मैं कहती हूं कि आप औरतों के हाथ में बागडोर दीजिए, आप औरतों को आगे करिये। आप औरतों का मंत्रि मंडल बनाइये, तो फिर देखिये कि इस हिन्दुस्तान में कल्याण होता है कि नहीं? एक मां की तरह इस देश का कल्याण होगा। बहनों को गिरा कर, बहनों का प्रदर्शन कर, थियेटरों में महिलाओं को खड़ी करके आप तरक्की कभी नहीं कर सकते। जब तक कि बहनों को एक इज्जत का स्थान नहीं देंगे,

(इस समय 3 बजकर 46 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

तब तक यह नहीं हो सकता है कि आप अच्छी नजर से देखे जायेंगे। मैं इतना कहती हूं। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का घोर विरोध करती हूं जिसमें महिलाओं की शिक्षा और इज्जत तथा सम्मान के लिए कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है। मैं इस बजट का घोर विरोध करती हूं। ऐसे बजट को फाड़कर फेंक देना चाहिए।

(श्री राधे श्याम शर्मा के पुकारे जाने पर)

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

श्रीमन् व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब काहे का व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

जो माननीय सदस्य ने इस बजट भाषण को फाड़कर फेंक दिया है, यह सदन का अपमान है । तो उनके खिलाफ में विशेषाधिकार की सूचना दे रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

लिखकर आप भेज दीजिए ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

श्रीमन् आप इस पर व्यवस्था दें, यह असंसदीय है ।

*श्री राधे श्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट भाषण के सामान्य चर्चा पर मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने चाहे वह इधर के रहे हों, चाहे उधर के रहे हों, उनके भाषण में ठोस बातें सदन में नहीं आई । माननीय नारायण दत्त तिवारी का भाषण मैंने उस दिन नहीं सुना । मैंने अखबारों में पूरी तरह पढ़ा । मान्यवर, अंग्रेजी शासन जाने के बाद जब से स्वतंत्रता आई है, सारे बजट भाषण के आंकड़े मैं पेश करता हूं । 28 बजट भाषण यहां पर हुए हैं । 28 वित्त मंत्री 1952 से लेकर अब तक बजट भाषण पेश किये हैं । अगर मान्यवर, पहले कोई अच्छे बजट पेश हो गये होते और यह उससे ज्यादा खराब हो गया होता, तो मैं जानता आलोचना और समालोचना की बहुत बड़ी बात होती । मान्यवर, यह तो सारी बजट प्रणाली ....

(व्यवधान)

(कई माननीय सदस्य माननीय उपाध्यक्ष जी से बात करने ऊपर गये और माननीय उपाध्यक्ष से बात करने लगे)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, एक विधान सभा ऊपर चल रही है ?

श्री राधे श्याम शर्मा—

जितने भी बजट भाषण यहां पर पेश हुए हैं, सन् 1952 में मान्यवर, आदरणीय गोविन्द बल्लभ पन्त ने 1949–50 का बजट पेश किया । मान्यवर, कुल कितने का बजट था 55 करोड़ 73 लाख का, कर कितना लगाया 10 करोड़ 59 लाख और घाटा रहा 15 लाख रुपये । इसके बाद श्री हाफिज मोहम्मद साहब ने बजट पेश किया 1950–51 का । 51 करोड़ 89 लाख का, कर लगाये 85 लाख और घाटा रहा 5 लाख रुपये । 1951–52 में 57 करोड़ 6 लाख

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का बजट, कर लगाये 6 करोड़ 18 लाख और उसके बाद यह बजट बराबर रहा। इसमें हानि लाभ नहीं रहा। इसके बाद 1952–53 में 60 करोड़ 99 लाख का बजट, कर 11 करोड़ और घाटा रहा 4 करोड़ 24 लाख। 1954–55 में बजट 77 करोड़ 16 लाख कर 6 करोड़ और घाटा रहा 3 करोड़ 91 लाख का। इसके बाद मान्यवर, 1955–56 में बजट रहा 84 करोड़ 56 लाख, कर लगाये 6 करोड़ और घाटा रहा 5 करोड़ 50 लाख का। 1956–57 में बजट था 85 करोड़ 36 लाख, कर 11 करोड़ 65 लाख और घाटा 68 लाख का। 1957–58 में भी उसी तरह का बजट पेश हुआ। अब मान्यवर, 1958–59 में 108 करोड़ 23 लाख का बजट, कर 15 करोड़ 80 लाख और घाटा 4 करोड़ 54 लाख का। 1959–60 में 119 करोड़ 61 लाख का बजट, कर 7 करोड़ 28 लाख और घाटा 1 करोड़ 86 लाख का। यह बजट सैयद अली जहीर ने पेश किया था। इन्होंने ही 1960–61 का बजट पेश किया जो 130·90 करोड़ का था, कर लगाये 7·21 करोड़ और घाटा 2·33 करोड़ का रहा। 1961–62 में श्री हरगोविन्द सिंह जी ने 145·63 करोड़ का बजट पेश किया और कर लगाये 5·21 करोड़ तथा घाटा रहा 4·49 करोड़। अब मान्यवर आप देखें श्री कमलापति त्रिपाठी जी ने जो बजट पेश किया था वह 178.06 करोड़ का था और कर लगाये थे 11.94 करोड़ तथा घाटा रहा 13.35 करोड़ का। त्रिपाठी जी ने 63–64 का पेश किया जो 201.82 करोड़ का था, कर 199 लाख और घाटा 4.97 करोड़।

इसी प्रकार मान्यवर तिवारी जी ने जो बजट पेश किया 70–71 में 467.34 करोड़ का और कर लगाये 12.17 करोड़ तथा घाटा रहा 48.63 करोड़ का। तो फिर मान्यवर, उन्होंने जो बजट पेश किया 71–72 में 594.13 करोड़ का इसमें भी 48.80 करोड़ का घाटा रहा। फिर उन्होंने ही 72–73 में 649.17 करोड़ का इसमें भी टैक्स लगाने के बाद 31 करोड़ 39 लाख का घाटा रहा। फिर 73–74 का 838.09 करोड़ का बजट, 18 करोड़ का कर तथा घाटा 28.41 करोड़ का। 74–75 में 863.09 करोड़ का बजट, कर 34.81 करोड़ और घाटा 77.35 करोड़ का। फिर तिवारी जी ने पेश किया 1091.33 करोड़ का और मान्यवर 19 करोड़ 85 लाख का घाटा रहा। इसके बाद 76–77 में 1262.46 करोड़ का बजट, कर 55.33 करोड़ तथा घाटा 16.15 करोड़ का। फिर माननीय मधुकर दिघे जी ने बजट पेश किया जो 1474.89 करोड़ का तथा कर लगाये 53.20 और घाटा 50.25 करोड़ का। फिर यह बजट है जिसमें कुल 1691.02 करोड़ का है और कर 52.62 करोड़ तथा घाटा रहा 26 करोड़ 74 लाख का।

ऊदल भाई ने समाजवादी बात की। मैं समाजवादी हूं मैं 13 सितम्बर, 1948 से एक ही पार्टी में रहा। 52 से लेकर 28 साल में कोई भी समाजवादी बजट पेश नहीं हुआ होता तब तो म कह सकता था। सभी बजट पेश हुये। सभी में घाटे दर्शाये गये उसके बाद इधर के लोगों ने उसकी तारीफ की। उधर के लोगों ने उसे हमेशा ही उद्देश्यहीन गैर समाजवादी कहा। जब उधर के लोग इधर आ जाते हैं और इधर के लोग उधर चले जाते हैं तो उधर से आये हुये लोग ऐसे ही बजट को समाजवादी कहने लगते हैं और इधर वाले उधर जा कर गैर समाजवादी कहने लगते हैं। यह प्रक्रिया 1952 से इसी प्रकार चली आ रही है। यह तो बजट की प्रक्रिया रही। समाजवादी बजट में स्वर्गीय डा० लोहिया के शब्दों में फिजूल खर्ची नहीं होती, उसमें ठाठ बाठ नहीं होते, शान शौक्त नहीं होते, साज–सज्जा नहीं होते। इन सभी

[श्री राधे श्याम शर्मा--]

चीजों का समाजवादी बजट में कोई नाम नहीं होता। डा० लोहिया ने हमें सिखाया कि जब कभी आपकी सरकार बने प्रथम तो उसकी कल्पना नहीं करते थे, लेकिन जब बने भी तो मंत्री सलाम न लें, पुलिस गार्ड नहीं होगी, कार नहीं होगी, साधारण आदमी की तरह लोग रहेंगे। यह तो डा० लोहिया की कल्पना थी।

मैं माननीय नारायण दत्त तिवारी जी से कहना चाहता हूं कि क्या कोई भी काम इस तरह का पहले नहीं हुआ। उन्होंने शान-शौकत की ठाठ बाट की, पुलिस गार्ड रखी। अगर उन्होंने घाटे का बजट न पेश किया हो अगर उन्होंने नये टैक्स न लगाये हों तब तो आलोचना करने के अधिकारी हैं। इसमें सब कुछ वही किया है जो इधर से हो रहा है तब उन्हें आलोचना नहीं करनी चाहिये। जो इस समय परिस्थितियां हैं उनमें इससे अच्छा बजट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। मैं प्राक्कलन समिति का चेयरमैन भी हूं। सारे आंकड़े मैंने निकलवाया है। मान्यवर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसी स्थिति में जब हम छोटे लोगों को छेड़ नहीं सकते थे। जितने भी बजट आज तक पेश हुये हैं, यह उनमें सबसे अच्छा और प्रसंसनीय बजट है। इससे अच्छा बजट अगर कोई उधर का सदस्य पेश कर दे तो मैं बड़ी से बड़ी सजा खा सकता हूं। माननीय देव बहादुर जी, मैं कांग्रेस शासन की यह छेड़ छाड़ बहुत सुन चुका हूं। जब आप इस कुर्सी पर आ जायेंगे आपको वित्त मंत्री बना दिया जायेगा। कोई भी उधर के बैठने वालों में अगर मंत्री बना दिया जाये और वह इससे अच्छा बजट पेश कर दे तो मैं उसकी दाद मानूंगा। जो बजट पेश किया गया है इससे अच्छा बजट पेश ही नहीं किया जा सकता। इस शासन ने सड़कें बनवाई पुल बनवाये हैं, माइनर बनवाई हैं, साइफन बनवाये हैं। जितनी हमने सड़कें बनवाई, पुल बनवाये, बिजली लगवाई। तीस वर्ष के कांग्रेस शासन में आप देख लें तो आप पायेंगे कि इतने पुल, इतने माइनर, इतनी सड़कें नहीं बनीं। इतनी बिजली नहीं लगवाई नहीं गयी। जो सही बात है वह माननी पड़ेगी।

जनता पार्टी का शासन सब जगह नहीं है। कांग्रेस की सरकारें भी हैं कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, पश्चिमी बंगाल में कम्युनिष्ट सरकार है। उत्तर भारत में जनता पार्टी की सरकार है पूरे भारत में विभिन्न पार्टीयों की सरकारें हैं। काश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक किसी राज्य को देख लें कहीं पर ला एंड आर्डर ठीक नहीं चल रहा है यह आज सारे देश की समस्या है सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही नहीं। अभी पश्चिम बंगाल से मेरे एक मित्र आये थे, बहुत बड़े अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि वहां ला एंड आर्डर की हालत खराब है। उन्होंने कहा कि जहां मैं रह रहा हूं उस जगह लड़कियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। तो आज सारे देश का माहौल खराब हो गया है। इसके लिये क्या किया जाय मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बात मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि ला एंड आर्डर सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं सारे देश में खराब है पर उत्तर प्रदेश की सरकार को इसमें ढिलाई नहीं करनी चाहिये और मुझे आशा है कि सरकार इसमें ढिलाई नहीं करेगी। इसके लिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

पहला तो यह है कि आज मैं देख रहा हूं कि 302, 396, कत्ल, डकैती आदि के मुल्जिम पकड़े जाते हैं। 10-15 दिन के बाद जमानत कराके चले आते हैं। तो सदन इस तरह के नियमों में संशोधन करे कि जो रियल

मुलजिम हैं जब तक केस चले तब तक उनकी जमानत न हो तो मैं समझता हूं कि बहुत राहत मिलेगी । इसके बाद भ्रष्टाचार की बात है । कहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है ! आज तो आपने पढ़ा होगा । देवराज अर्स का बड़ा गुणगान किया जा रहा था कि बड़ा जोरदार आदमी है । आपने उनके बारे में रिपोर्ट पढ़ ली होगी । हिंदुस्तान का राजनीतिक नहीं दुनिया का राजनीतिक बइमान है । इसके लिये मैं कहना चाहूंगा कि हम सबको अपने को सुधारना होगा । विधान सभा के सदस्य का चरित्र ठीक होगा, मंत्री का ठीक होगा, प्रशासकीय मशीनरी का चरित्र ठीक होगा, तो मैं समझता हूं कि यह प्रजातंत्र का ढांचा चल सकता है

प्रजातंत्र बड़ी कमजोर चीज होती है, एक धागा होता है । उसमें सरकारी पक्ष और विरोध पक्ष एक गाड़ी के दो पहिये होते हैं । वह जब तक ठीक से नहीं चलेंगे तब तक प्रजातंत्र ठीक से नहीं चल सकता है । केवल आलोचना करने से काम नहीं चलेगा, सब एक जगह खड़े हैं, प्रजातंत्र के ढांचे चलाना है तो हम सब को रचनात्मक काम करके इस गाड़ी को आगे बढ़ाना होगा । उत्तर प्रदेश की धरती पर जो जनता पार्टी की सरकार कुछ काम कर रही है तो मैं समझता हूं कि उसमें जो कमी हो माननीय सदस्य बतायें । अगर माननीय सदस्य बतायेंगे और उन कमियों को जोरदार तरीके से कार्यक्रम चलाकर पूरा किया जायगा तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा वातावरण पैदा हो सकता है । मैंने आप लोगों की एक एक बात सुनी और अपने संक्षिप्त भाषण से, माननीय नारायण दत्त तिवारी से लेकर सारे सदस्यों की एक एक बात का जवाब दिया छिद्रान्वेषण की बात तो किसी समय कही जा सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप समाप्त करें ।

श्री राधे श्याम शर्मा--

मैंने आदरणीय सदन में जो सुझाव दिये हैं उन पर गौर करके, सरकार सचेष्ट होकर इस तरह का कानून बनायें जिससे बेइमानी, भुखमरी, नाइंसाफी, धोकाधड़ी, जुल्म, गैर बराबरी, जो रोज के सवाल हैं यह दूर होंगे तो प्रदेश फूलेगा फलेगा । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, अगले साल जब मैं बजट भाषण पर बोलूंगा तो मैं देखूंगा कि कितना काम हुआ । मेरी बात समाप्त होती है ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

मैं पहले नियम 51 की सूचनायें लूंगा । उसके बाद मुख्य मंत्री जी को अलीगढ़ के मामले में वक्तव्य देने के लिये कहूंगा । उसके बाद अगर कोरम रहता है तो फिर इस के ऊपर चर्चा जारी रहेगी ।

आज नियम 51 के अन्तर्गत 8 सूचनायें प्राप्त हुयीं हैं जिसमें से मैंने श्री मित्रसेन द्वारा भूतपूर्व विधायक श्री शिवराज सिंह जनपद बदायूं की हत्या के पश्चात् उनके भाई श्री सत्यपाल सिंह की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में दी गई सूचना को स्वीकार किया है । शेष श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री अवधेश श्री नारायण सिंह, श्री ओंकार नाथ श्री नारायण सिंह भैसोरा, श्री ऊदल और श्री छेदी लाल की सूचनाओं को मैंने अस्वीकृत किया ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, आपने अस्वीकृत कर दिया वह ठीक है लेकिन यह लोमहर्षक घटना है। जिला एटा में मिट्टी के तेल की दुकान में आग लग जाने से 10 व्यक्ति मर गये और 12 घायल हो गये हैं। इस लिये इस पर आप वक्तव्य दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष--

शासन के पास जांच के लिये मैं भेज दूंगा।

श्री ऊदल--

मान्यवर, 51 में न करके सरकार से वक्तव्य दिलवा दें कि किन परिस्थितियों में आग लगी।

श्री उपाध्यक्ष--

अच्छा वक्तव्य के लिये भेज दूंगा।

दिल्ली की रैली में भाग लेने के लिये जाते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों पर दादरी स्टेशन पर हुए हमले के सम्बन्ध में चर्चा

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल 9 मई को प्रातःकाल साढ़े पांच बजे 42 बसेज में और पैसेन्जर गाड़ी से करीब एक हजार छात्र और मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टाफ के कुछ सदस्य बैनर सहित दिल्ली में बोट क्लब पर अलीगढ़ विश्वविद्यालय का जो अधिनियम संसद द्वारा पारित हुआ है उसके विरुद्ध प्रदर्शन करने के लिये जा रहे थे। बुलन्दशहर में एक स्टेशन पर छात्रों से और कुछ यात्रियों से आपस में कहासुनी हुई। यह सिलसिला चलता रहा और फिर दनकौर स्टेशन पर फिर छात्रों और कुछ यात्रियों से झगड़ा हुआ। लेकिन जब गाड़ी दादरी के पास पहुंची तो जंजीर खींच ली गयी और छात्रों पर कुछ लड़कों और यात्रियों ने हमला किया। तत्काल सूचना मिलते ही परगना अधिकारी और सी० ओ० स्टेशन पर पहुंच गये। दो छात्र जिनको साधारण चोट लगी थी वह दादरी के अस्पताल में आये लेकिन उनकी प्राथमिक चिकित्सा के बाद उनको छोड़ दिया गया। दिल्ली में 71 छात्र इरविन अस्पताल में दाखिल हुये और जिनमें से 20 को तो उसी समय प्राथमिक चिकित्सा के बाद छोड़ दिया गया लेकिन बाकी 51 में से 17 छात्रों को आज छोड़ दिया गया और 3 अभी तक इरविन अस्पताल में हैं।

कल वाइस चांसलर ने मुझको फोन द्वारा 4 बजे सूचित किया कि बसों से विद्यार्थी वापस आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था हो। तत्काल ही जिला मैजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर, गाजियाबाद और डी० आई० जी०, मेरठ को आदेश दे दिये गये कि जो बसें दिल्ली से गाजियाबाद, बुलन्दशहर, खुर्जा होकर गुजरें उनमें छात्रों का पूरा संरक्षण किया जाय और किसी प्रकार उन पर कोई भी असामाजिक तत्व हमला न करें। तो वह बसें वापस आयीं और वहां किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। जब छात्र अलीगढ़ में आये तो लड़कों में थोड़ी उत्तेजना हुई और उत्तेजित छात्रों ने एक बस में आग लगा दी लेकिन फायर ब्रिगेड जब वहां पहुंचा तो उस बस की बाडी जल रही थी किन्तु इंजन को उसके बचा लिया गया। सीटें नष्ट हो गयीं। लेकिन वहां शांति व्यवस्था

बनी रहे इसलिय आगरा से कमिश्नर और डी० आई० जी० को वहां भेज दिया गया है जो कि वहां रात 10 बजे पहुंच गये और सतर्कता के तौर पर सी० आर० पी० की कुछ कंपनियां अलीगढ़ में भेज दी गयी हैं। तो जब लड़के बाप आ गये तो वह थोड़ा उत्तेजित अवश्य थे। वहां की स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण है और जिस प्रकार कि सुबह कहा गया था कि 15 लड़के गायब हैं. इस प्रकार की न तो कोई रिपोर्ट दिल्ली प्रशासन को मिली है और न गाजियाबाद के कलक्टर को या बुलन्दशहर के कलक्टर को एसी सूचना मिली है। दादरी के पास ट्रैक के नजदीक जो लड़के पाये गये, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इस मामले की विवेचना जी० आर० पी० कर रही है।

*श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, पिछले 2/3 महीने से खासतौर से जब श्री राम नरेश यादव ने विश्वास प्राप्त करने के लिये मत लिया था जनता विधायक दल के सामने तब से और मैं तो निश्चितरूप से श्री राम नरेश यादव को एक त्यागी पुरुष मानता हूं कि उन्होंने किसी तरह से समझौते की बात नहीं की और जिस सिद्धान्त की बात किया, उसको आखिर तक करते रहे और उसके बाद श्री बनारसी दास जब मुख्य मंत्री बने जिनके गांधियन संस्कार हैं और कांग्रेसी ट्रेनिंग है, इस बात का यकीन होने लगा कि प्रदेश में साम्प्रदायिक स्थिति बेहतर रहेगी, आपस में भाईचारा रहेगा, माहौल में खराबी नहीं आयगी और प्रदेश तरक्की के रास्ते पर चलेगा। खासतौर से मैं मुख्य मंत्री जी के लिये कह रहा हूं इसलिये क्योंकि जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़कों न माननीय मुख्य मंत्री जी को आजीवन सदस्यता दी थी उस मौके पर जबकि उन्होंने तत्कालीन केन्द्र के शिक्षा मंत्री श्री नूरुल हसन की पहली बार सदस्यता खत्म की। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़के यह भी महसूस करने लगे थे 2/3 महीनों में कि उनके साथ जयादती नहीं होगी। खास बात यह नहीं कि लोगों को चोटें लगीं, कितने लोग अस्पताल में हैं, जितने लोगों का उपचार हुआ। मुख्य मंत्री जातीय तौर पर वहां के अध्यक्ष और सेक्रेट्री को जानते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी के दल के ही श्री जी० सी० भट्टाचार्या और टाइम्स आफ इण्डिया और स्टेट्समैन की भी खबर है और उन्होंने कहा कि 100 के करीब लड़के लापता हैं। तो मेरा आरोप गैर जिम्मेदारी से नहीं है। मैंने वह बात कही जो यूनियन के अध्यक्ष ने कही।

मुख्य मंत्री जी ने कहा कि लड़कों और यात्रियों का झगड़ा हुआ। श्रीमन्, जबसे दुनिया में झगड़े होने शुरू हुये, मैं समझता हूं कि कोई भी एक झगड़ा नहीं होगा जिसमें दोनों पक्षों को थोड़ा-बहुत चोटें न आती हों। यह तो मुमकिन है कि एक पक्ष को कम और दूसरे पक्ष को ज्यादा चोटें आयें लेकिन यह पहला झगड़ा है दुनिया की तारीख में कि झगड़ा होने के बाद तीन तीन स्टेशन के बाद भी दूसरे पक्ष को चोटें नहीं लगीं। दूसरे पक्ष का कोई भी उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। यह तो मुख्य मंत्री जी ने माना कि 25/30 जो भी लड़के हों, चोटें लगीं। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं यूनियन का एक लड़का अफसर अहमद है जिसका ताल्लुक कांग्रेस (आई) से है, डाक्टर से बात हुई कि उसके पेट में ज्यादा चोट है और डाक्टर ने कहा है कि कहीं कोई हिस्सा बर्स्ट तो नहीं हो गया इसलिये उसकी खास सुरक्षा की जरूरत है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री आरिफ मोहम्मद खान--]

मान्यवर, मैं मुख्य मंत्रीजी से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन की छवि साफ रखने के लिये कोई जरुरी तो नहीं कि तथ्यों को छिपाया जाय। एडमिनिस्ट्रेशन की छवि ज्यादा बेहतर होगी। मुझे यकीन है हमारे मुख्य मंत्री जी, जिनकी कांग्रेस की ट्रेनिंग है और गांधियन संस्कार हैं, वे सत्य की पुकार को सुनेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी के लड़कों का झगड़ा किसी से नहीं हुआ है। मैं किसी संगठन पर भी आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन यह हकीकत है कि एक बस, एक जीप और एक एम्बेसडर में बैठकर अलीगढ़ से लोग चलते हैं इन लड़कों के ट्रेन में सवार होने से पहले, दादरी पहुंच जाते हैं ट्रेन वहां पहुंचने से दो घंटे पहले, और करीब के गांवों में जाकर कहते हैं कि यह लड़के आ रहे हैं जो यूनीवर्सिटी को मुसलमानों की बनाना चाहते हैं, गांवों के लोगों को लाकर वहां खड़ा कर देते हैं। उन्होंने गांवों के सीधे-सीधे लोगों को बहका लिया, डंडा और लाठी लेकर खड़ा कर लिया। और उसके बाद श्रीमान, जिसको चोट लगी है, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, उपाध्यक्ष है यूनियन का, उसकी बताई हुई बात बता रहा हूं। वह रोने लगा, कहा कि हमें मीलों खेतों में दौड़ाये है और जो जहां मिला वहीं उसको मारा। यह लड़का है जिसका फोटो दिखाया है, यह अच्छा स्पीकर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी में।

तमाम लोग हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के इलेक्शन में जनता पार्टी को जिताने के लिये जान लड़ा दी। यह लड़का है जिसे किसी आर्डिनरी इलेक्शन में नहीं बल्कि खास तौर से सूरत भेजा गया था मोरार जी देसाई की कांस्टीच्युएन्सी में, मैं कल अस्पताल पहुंचता हूं तो वह किस तरह रोया है, कि इसीलिये मैंने जनता पार्टी के लिये इतना कुछ किया? ये वे सब लोग हैं जिन्होंने दिन रात एक कर दिया जनता पार्टी को जिताने के लिये, उनके साथ यह सलूक हुआ। मेरी दरख्वास्त है मुख्य मंत्री जी से, मुख्य मंत्री जी बहुत पुराने एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उसके बाद भी अगर यह हालत होगी तो सारी छवि बिगड़ जाएगी। हमारे देश की इतनी प्राचीन किताब है अर्थशास्त्र की। हमारे मुख्य मंत्री जी ज्ञानी हैं और तो उनके सामने बच्चा हूं। कौटिल्य ने यह कहा है कि "जब शासन अपराधियों को सजा देने में सक्षम नहीं होता तो सामान्य नागरिक में शासन, न्याय और कानून की प्रतिष्ठा गिर जाती है और तब आम आदमी कानून को अपने हाथ में ले लेता है और बड़ी मछली छोटी मछली को खाने लगती है।" आज यही स्थिति है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाना चाहती है। जनता पार्टी का दावा है कि आजादी है। आजादी काहे की है। अगर आप छोटे को भोजन मानते हैं तो आपके पूरे चरित्र का इससे पता लग जाता है। भोजन होता है जानवरों का। छोटी मछली बड़ मछली का भोजन होती है लेकिन छोटा बच्चा आदमी का भोजन नहीं होता। श्रीमन्, जंगल में आजादी होती है। खरगोश को अपनी जान बचाना भारी होता है कि कहीं लोमड़ी, लकड़बग्घा या शेर न पकड़ ले।

इस प्रदेश में या देश में, मैं तो इस हद तक जाने को तैयार हूं कि अगर कोई आदमी श्रीमती गांधी की बात करेगा तो मैंने भी जेल काटी है इमरजेंसी में, लेकिन अगर आजादी का मतलब अलीगढ़ और जमशेदपुर बनाना है और आजादी का मतलब अलीगढ़ के लड़कों को, जो अपनी मांगों के लिये दिल्ली जा रहे हैं, उन्हें रास्ते में पकड़ के उनके सिरों और जिस्म को तोड़ना है तो ऐसी आजादी से गुलामी बेहतर है। आजादी मीनिंगफुल होनी चाहिए जिसका कोई मतलब हो

बेमतलब की आजादी छोटे आदमी के लिए मुसीबत बन जायेगी बड़े आदमी के लिए रहमत बन जायगी । इसके साथ ही अपनी बात खत्म कर रहा हूं । जिगर मुरादाबादी का एक शेर है "कहते हैं भाई-भाई हैं अहले वतन, तमाम फिरते हैं आस्तीन में खन्जर लिये हुये ।"

माननीय मुख्य मंत्री जी से दरखास्त है कि हमारा सहयोग जहां पर भी आवश्यक है हम देने को तैयार हैं, हमारी पूरी पार्टी तैयार है लेकिन तथ्यों को मत छिपाइये । जिन लोगों ने अलीगढ़ में बलवा कराया है, अलीगढ़ के लड़कों के पास नामजद रिपोर्ट है, उन लोगों की मौजूदगी में लड़कों को दादरी स्टेशन पर पीटा जाता है । इसलिए श्रीमन्, आपके माध्यम से यह दरखास्त है माननीय मुख्य मंत्री जी से कि विश्वास पैदा करने की कोशिश करें वरना बड़ी मुश्किल हो जायगी । यदि कानून और शासन पर लोगों की आस्था नहीं रहेगी तो आजादी भले ही हो लेकिन इन्सानियत नहीं रहेगी । इस शब्दों के साथ में अपनी बात खत्म करता हूं । धन्यवाद ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, आपको मालूम ही है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में जो हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी क्या भावनायें हैं । अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का अपना एक इतिहास रहा है । अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ इस देश के मुसलमानों का एक अटूट भावनात्मक सम्बन्ध रहा है और लगातार उनकी मांग रही है कि इसका जो माइनेरिटी करैक्टर है उसको सुरक्षित रखा जाय और यह भी आपको मालूम है कि लगातार साम्प्रदायिक संगठन के जरिये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रचार किया गया कि वह उत्तर प्रदेश के अंदर एक मिनी पाकिस्तान है और इस तरीके से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को लाकर के कोशिश की गयी है कि प्रदेश के अंदर साम्प्रदायिक तनाव हो, साम्प्रदायिक झगड़े हों, लगातार अंग्रेजों के जमाने से लेकर आज तक यह प्रयास किया गया ।

मान्यवर, वहां के विद्यार्थियों को जो विवेचक केन्द्र में पारित हुआ, उसके बारे में कुछ मुगालतें थे । उसके बारे में भ्रम था । उनकी शायद समझदारी यह थी कि यूनिवर्सिटी का पुराना चरित्र नहीं रहेगा और उसके लिए प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली जा रहे थे । मान्यवर, हमारे मुख्य मंत्री जी के लगातार वक्तव्य आये हैं और हम उनका स्वागत करते हैं । उनकी धारणा है कि अगर कोई प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो तो जनता को अपनी भावनायें व्यक्त करने का अधिकार है । यह अधिकार संवैधानिक अधिकार है । उन अधिकारों का प्रयोग करके वहां के नौजवान, वहां के प्रोफेसर्स भी अपनी भावनाओं का इजहार करने के लिए बोट हाउस क्लब जा रहे थे जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी और आरिफ साहब ने वक्तव्य दिया। यह सही है कि जानबूझ कर के उन साम्प्रदायिक तत्वों ने जिन्होंने अलीगढ़ के अंदर आग लगायी थी, दंगे करवाये थे, उन्होंने इस मौके का जानबूझ कर फायदा उठाना चाहा, जानबूझ करके यह कोशिश की कि किस तरीके से साम्प्रदायिक तनाव हो। यह षड्यंत्र केवल उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर किया जा रहा है । जमशेदपुर की अभी याद है, अलीगढ़ की घटना नहीं भुलायी जा सकता है । और वही लोग जिन्होंने अलीगढ़ की घटना में हिस्सा लिया था दादरी जाते हैं, गाड़ियां रोकते हैं, लड़कों को खींच-खींच कर पीटते हैं । कोशिश यह रहती है कि किस तरीके से फिर से साम्प्रदायिक तनाव इस प्रदेश के अंदर कायम हो । माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं कह देना चाहता हूं कि जब से आप मंत्रि-मंडल के अंदर आये हैं तब से आप

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी—]

का एक दल घटक की तरह से लगातार कोशिश किये जा रहा है। बेचारे बौखलाये हुए हैं क्योंकि गद्दी से हट गये हैं—कि प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था का प्रश्न खड़ा कर दिया जाय। आज उनको मौका मिल गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी, यह आपके लिये चेतावनी है। प्रदेश को बचाना है। प्रदेश के अन्दर वहीं लोग दंगे करा रहे हैं जिन्होंने अलीगढ़ में कराये। आपको सचेत करना पड़ेगा और उन ताकतों को कुचलना होगा। केवल रेलवे पुलिस इंक्वायरी से काम नहीं चलेगा, मैं मांग करता हूं कि जुडीशियल इंक्वायरी होनी चाहिये और जनता के सामने उनको बेनकाब करना चाहिये जिन्होंने दंगे कराने चाहे वे राजनैतिक पार्टी के हों अथवा गैर राजनैतिक पार्टी के हों।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, जब कभी इस किस्म के फिरकेवाराना हालात सामने आते हैं तो बेहद दुख होता है और यह अफसोस भी होता है कि इससे मुल्क की बदनामी भी होती है और फिजा भी खराब होती है। जहां तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है मुसलमानों की उसके साथ वालेहाना अकीदत है। इसमें दो राय नहीं है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को मुसलमानों ने बनाया और अपने खून पसीने से सींचा और तब वह एक फलदार दरख्त की शक्ल में तैयार हुई जब कि आज कहा यह जाता है मायनारिटी करेक्टर तो होना चाहिये वह उसकी मुस्तहक नहीं है। जहां तक मायनारिटी करेक्टर का ताल्लुक है मैं बड़े पुरजोर अल्फाज में यह गुजारिश करूंगा कि अलीगढ़ का मायनरिटी करेक्टर कायम रखने के लिये हमें हर कुरबानी देनी होगी जिसके लिये हम तैयार हैं और जहां तक मुसलमानों की जान व माल के तहफ्फुज का ताल्लुक है उस सिलसिले में मैं बड़े अदब से अपने मुख्य मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि जब से आप तशरीफ लाये हैं हमें उम्मीद है और उम्मीद रहेगी इस बात की कि इस प्रदेश का प्रशासन अच्छा होगा चूंकि आप हमारे बुजुर्ग भी हैं, तजुर्बेदार भी हैं और आपकी जिन्दगी गांधियाई फलसफे पर मुनहसिर है। आपने वे हालात देखे हैं। फिरकेवाराना झगड़ों से यह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। मुसलमान कभी यह नहीं चाहता कि देश के हालात बिगड़े या कोई फिरकेवाराना झगड़े हों। इससे हमारा और हमारी सारी कौम का नुकसान है।

हम कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे और न पसन्द करेंगे कि हमारे देश में किसी भी जगह कोई भी फिरकेवाराना हंगामा हो चाहे वह अलीगढ़ हो, जमशेदपुर हो, बनारस हो या सम्भल हो क्योंकि वह काबिले मजम्मत है। उस पर जितना मातम किया जाय वह कम है। इसमें अलीगढ़ विश्वविद्यालय के तुलबों के साथ जो नाइंसाफी और ज्यादती हुई है उसको बेइंतिहा कंडम करने की जरूरत है। देखना यह है कि आया वे लड़के जो अपने प्रोग्राम से अपनी जायज मांग के लिए दिल्ली जा रहे थे, उस पर कोई ऐक्शन लेती तो सरकार लेती अथवा गिरफ्तारी की कोई बात होती तो सरकार करती रोकथाम लगाती बरअक्स इसके कुछ चन्द लोगों ने जिन्होंने अलीगढ़ के अन्दर फसादात कराये उन्होंने इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। और दादरी स्टेशन पर वक्त से पहले जाकर जैसे कि अभी बताया गया है उन लोगों पर हमला किया गया उनके साथ ज्यादती की गई। इस किस्म की ज्यादती करने से हालात अच्छे नहीं हो सकते। आज जो कुछ भी हो रहा है वह मैं समझता हूं कि काबिले मजम्मत है और मैं बड़ी सफाई से मुख्य मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि आज इस देश का मुसलमान महफूज नहीं है, अतः मैं मांग करता हूं कि मुसलमान इस देश के अन्दर एक बड़ी अकलियत है

और उन्होंने हमेशा देश के लिये कुरबानी दी है लिहाजा उनके जान माल और इज्जत आबरू की हिफाजत की जाय और उनके लिये ऐसा हक तलाश किये जायं जिससे कि वे महसूस करें कि हम भी इसी देश के शहरी हैं, वे यह अहसास करें कि हम मफूज हैं और हम भी देश की तरक्की के लिये कुछ करें ।

मैं बड़ी सफाई से आपसे अर्ज कर रहा हूं और इस बात की मांग कर रहा हूं कि अगर आपको फिरकेवाराना फसादात रोकना है तो मुसलमानों को पुलिस और पी० ए० सी० में भरती किया जाय । जब तक उनको यह मौका नहीं दिया जायेगा तब तक मुसलमानों के साथ नाइंसाफी होती रहेगी । पुलिस और पी० ए० सी० जिनको मुहाफिज कहा जाता है, वे ही उनके साथ ज्यादती करते हैं । इस सम्बन्ध में मोहतरिम राम नरेश जी से बातचीत हुई थी । मुसलमानों की मांग है कि या तो इस पी० ए० सी० को खत्म किया जाय या इसमें मुसलमानों को नुमाइन्दगी दी जाय। तब ही ऐसे फसाद रुक सकते हैं जो उनके साथ बेइन्साफी हो रही है, वह रुक सकती है । अमन और शान्ति के लिये अगर हमारे खून की जरूरत होगी तो हम किसी भी कीमत पर देश के हालात को बिगड़ने नहीं देंगे, उसका मस्तक ऊंचा रखेंगे, हर बड़ी से बड़ी कुरबानी देने के लिये तैयार हैं, इसको बरकरार रखने के लिये हम अपनी जान भी दे सकते हैं लेकिन हम यह नहीं चाहते हैं कि हमारे देश पर कलंक का टीका लगे । इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से बड़े अदब से कहूंगा कि वे हम पर एतबार करें । मुसलमान हमेशा वफादार रहा है । मुसलमान कभी गद्दार नहीं होता । अगर आप हम पर एतबार करेंगे, हमारे मसायल को समझेंगे, मुसलमानों से प्यार करेंगे, उनसे हमदर्दी करेंगे तो मैं वादा करता हूं और पूरी कौम की तरफ से यकीन दिलाता हूं कि यह कौम इस देश की इज्जत और आबरू बनाये रखने में अपनी जान तक की कुर्बानी दे देगी । आखीर में मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा, जैसा माननीय नेगी ने जी कहा है कि जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़कों के साथ ज्यादती की है, उनकी जांच होनी चाहिए, उनका पर्दाफाश होना चाहिये जिससे आइन्दा ऐसी कोई बात न हो सके । अन्त में मैं एक शेर सुनाता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं ।

अगर रहेंगी हवायें यों ही जमाने की,
न खैर होगी चमन की, न आशियाने की ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें 3 या 4 मिनट से ज्यादा समय एक आदमी न ले । क्योंकि बाद में मुख्य मंत्री जी को भी उत्तर देने के लिए समय देना होगा ।

*श्री खान गुफरान जाहिदी (जिला फतेहपुर)--

मान्यवर, जिस वाकये का जिक्र आया और जिस पर हमारे मुख्य मंत्री जी का बयान आया तथा जो बातें वाकये के सम्बन्ध में हुई हैं वह काबिले मजम्मत है। जमूरियत में हर इंसान को यह हक हासिल है, बुनियादी आजादी हासिल है कि अगर कोई चीज पार्लियामेंट में पास होती है उसके बारे में अवाम में अपनी राय का इजहार करे । मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चों ने अभी हाल ही के फसादात में बेहतरीन रोल अदा किया जिसकी तारीफ हमारे वजीरे आजम ने की । वह बिल पास हो चुका है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मुल्क में अकलियतों की यूनिवर्सिटी उसमें बिना किसी लिहाज के, किसी फर्क के लोग पढ़

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री खान गुफरान जाहिदी—]

सकते हैं, सब को बराबर की तालीम उसमें मिलती है। हर मजहब के लोग उसमें शामिल हैं। अगर उसकी बुनियाद के सिलसिले में कोई बात आई थी तो उनको हक हासिल था कि वह अपनी बात कहें अगर उनको रोका गया तो मैं समझता हूं कि जमूरियत पर वार है और इसके लिय हम सब को जिम्मेदारी समझनी चाहिये।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि मुझे उन पर भरोसा है, वह बड़े मंजे हुए सियासतदां हैं, गांधियन फिलासफी के रहबर हैं। मैं जानता हूं कि एक जो अच्छी फिजा कायम हुई है जिसका इशारा हमारे नेगी साहब ने किया है कि कुछ अनासर ऐसे हैं जो इस फिजा को खत्म करना चाहते हैं, जो एक सिलसिला कायम हुआ है उसको वह बनाये रखना नहीं चाहते हैं। वह कोशिश में लगे हुए हैं कि वह फिजा खत्म हो। माननीय मुख्य मंत्री के बयान से इस बात का जिक्र आया कि दादरी स्टेशन के आस-पास के वहां लोग इकट्ठा हुए और वहां जो सी० ओ० पहुंचा उसमें तीन आदमियों का एडमिशन बताया है और उसके बाद 51 आदमी अस्पताल में दाखिल हुए जिनमें से कुछ की हालत खराब है उसमें से 17 आदमी रिहा कर दिये गये यह तय शुदा बात है। तो सी० ओ० का तीन आदमियों का बयान जो है वह गलत हो गया है। मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी इस सिलसिले म किसी बड़ी से बड़ी एजेंसी से जांच करवायें। आया जिन्होंने हमला किया वह कौन लोग थे और कहां से कार से या बस से आ गये और यह एरेजमेंट उन्होंने वहां पर करवाया और हमला करवाया। चूंकि इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इस तरह से लड़कों पर हमला होना और किसी की गिरफ्तारी न होना यह साबित करता है कि मजमुई तौर पर हमला किया गया।

जब 1977 में इलेक्शन हुए तो वहां के लड़कों ने जमूरी आजादी के लिए किस तरह से शानदार काम किया और बिना लिहाज के काम किया और जो वहां फिरकावाराना फसाद हुए उसमें किस तरह से उसे खत्म करने की उन्होंने कोशिश की। इसको देखकर ही यकीनी तौर पर कुछ लोगों ने जो यह नहीं चाहते हैं उन्होंने यह काम करवाया है। जिनको अलीगढ़ के फसादात खत्म होने पर दुःख हुआ उन्होंने यह नया रुख अपनाया है। उन्होंने आपको चेतावनी दी है कि हम यह रुख लेंगे। मुझे यकीन है कि मुख्य मंत्री जी किसी ऐसी एजेंसी से इसकी जांच करवायेंगे कि दादरी के आस-पास के गांव के ऐसे कौन लोग थे जो वहां पहुंचे और वह सी० ओ० कौन थे जिसमे तीन आदमी जख्मी होने की बात कही और जिसमें 51 आदमी अस्पताल में भर्ती हुए। जैसा कि 100 आदमियों की बात जी० एस० भट्टाचार्या ने कही है। तो वह गांव के ऐसे कौन लोग थे। खुदा न करे किसी की ऐसी हालत हो, किसी का कत्ल हो चुका हो। मैं समझता हूं कि वह पूरे इलाके की मुस्तैदी से छानबीन करें और यह भी मुख्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह वी० सी० से बात करें और चेक-अप करें कि सारे छात्र आ गये हैं या नहीं। वह इस सूरतेहाल को पूरी तरह देखें और जो लोग स्थिति को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, जो ऐसे काम कर रहे हैं, उसका रोकथाम के वह जबरदस्त इंतजामात करें।

*श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, यहां अलीगढ़ की बात आई। ७ तारीख को मैं दिल्ली जा रहा था। स्टेशन पर सब जगह पोस्टर्स लगे हुए थे। छात्र हाथों में प्लेकार्ड्स लगाये घूम रहे थे। इस सम्बन्ध में मैंने दिल्ली में संसद सदस्यों और मुख्य मंत्री से बात की।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पोस्टर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उनकी एकाध शब्द के हेर-फेर के साथ भाषा इस प्रकार थी--"हम पर जुल्म कब तक, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मायनारिटी करेक्टर बहाल रखा जाए, अन्यथा...." फिर डाट लगे हुए थे। नीचे था अलीगढ़ समुदाय। यह मुझे जबानी याद है, जो पोस्टर्स हिन्दी और उर्दू में लगे हुए थे। मैंने जब प्रथम श्रेणी के प्रतीक्षालय में प्रवेश किया तो वहां बहुत बड़ी संख्या में छात्र बैठे हुए थे। दो बजे के करीब मैंने वहां के स्टेशन मास्टर से शिकायत की कि वेटिंग रूम में बड़ी भीड़ है, इसको आप क्यों चेक नहीं करते। तो टिकट कलेक्टर और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ने कहा, चौहान साहब, अब हममें पिटने की ज्यादा ताकत नहीं है। तो मैंने पूछा आपने इसकी शिकायत की, तो उन्होंने कहा आप रेलवे शिकायत पुस्तिका उठाकर देख लें।

उन्होंने बताया कि वहां उस यूनिवर्सिटी के लड़के अपने साथी को सी-आफ करने आते हैं तो जो लड़का जाता है, उसको चाय पिला देते हैं, लेकिन लगातार हालत ऐसी बन गई है कि दोपहर की पैसेंजर ट्रेन व अन्य ट्रेनों पर बेशुमार लड़के चढ़कर उसको मनमाने तरीके से घंटों के लिए खड़ा कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी के लड़के और विदेशी लड़के वहां दो बजे से रात्रि दो बजे तक धूमकड़ों की तरह जरूर घूमा करते हैं, और हालत यह हो गई है कि वे छात्र यात्रियों को धक्का मार देते हैं, उनके साथ छीना-झपटी और तरह-तरह की छेड़छाड़ करते हैं और ये अब मामूली बातें हो गई हैं। हालत यह हो गई हैं कि महिलाओं की चोलियां तक फाड़ देना भी मामूली काम हो गया है। गाड़ी चल देगी तो यात्रियों पर थूक देंगे, आदि-आदि। इन सबके बारे में मैंने प्रधान मंत्री, अपने मुख्य मंत्री, रेलवे मंत्री को लिखा है। तो उनके बारे में जो शिकायत आई, हिम्मत नहीं होती है कि कोई एक शब्द कह दे। यूनिवर्सिटी के बीच से होकर सड़क जाती है। गत वर्ष भी वहां ट्रक फूंकी गई, यात्री बसें भी रोकी गई। इसके फलस्वरूप स्थानीय अफसरों को विवश होकर उनके लिए 5 अलग से बस स्टापेज बनाने पड़े...

(व्यवधान)

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

यहां यह कौन सी बात कह रहे हैं ...

(व्यवधान)

श्री नेम सिंह चौहान--

आप बैठ जाइए। मुझे बोलने दीजिए। हमें अपनी बात कहने दीजिए।

अभी नेगी जी ने कहा, इनका यह खेल है। यह रेल में घटना घटी। झगड़ा हुआ। मुख्य मंत्री जी ने उस पर विचार व्यक्त कर दिया। किन्हीं कारणों से झगड़ा होता है। अभी आपने साफ कहा। अभी नेगी जी कह रहे थे। जब कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम आता है मुसलमान कहने लगते हैं कि हमारे ऊपर है। मुसलिम यूनिवर्सिटी में हिन्दू मुसलमान सब पढ़ते हैं। वहां के विद्यार्थियों का मामला है। वहां जो झगड़ा हुआ, उसकी स्पष्ट जांच होनी चाहिए। जाति की बात आती है, साम्प्रदायिकता की बात आती है। जब यह बात यहां आई, जमशेदपुर का नाम लेकिन हिन्दू-मुसलमान का सवाल क्यों आया। मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हिन्दू-मुसलमान सभी छात्र हैं। जो झगड़ा हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हों उनको दंड दिया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय बाबू बदरे, आप अधिक समय न लें। घटनाओं पर सीमित रखें।

*श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

मान्यवर, इस तरह की घटनाएं जब हाउस में होती हैं, तो बड़ा दुख होता है। हकीकत से हटाकर साम्प्रदायिकता जहां तक है, चाहे मुस्लिम साम्प्रदायिकता हो या हिन्दू साम्प्रदायिकता हो इस सरकार के लिए घातक हैं। लेकिन उसको किस तरह से रोका जाय, रोकने वालों को सोचना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बड़ी-बड़ी कानफ्रेन्सों में मजमा चाहे जिस तबके का हो नारेबाजी करते हुए हर तरह से जाता है। लेकिन यह लड़के जो प्रदर्शन करने जा रहे थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, उनका पहले एक झगड़ा हो चुका था, यह सही है। उस झगड़े को लेकर जो भी रहे हों इधर या उधर उनमें कुछ कशीदगी रास्ते में आई। बात हुई होगी। उन्होंने सोचा होगा कि अपनी ताकत दिखायें और इस तरह से रोक कर मारें। यह सही है ट्रेन पर हमेशा जो भी बहुमत वाले लोग हों, किसी भी समुदाय के लोग हों, इक्के-दुक्के आदमी को कुछ नहीं समझते। सरकारी कर्मचारी को कुछ नहीं समझते। गाड़ी रोककर मारने लगते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या है? कुछ ताकतें ऐसी हैं जो सिर्फ इस बात के लिए हैं सरकार को किस तरह से फेल करना है, बदनाम करना है। आपको मालूम है कि इसके पहले एक होम्योपैथिक लड़कों का आन्दोलन हुआ। मैं उदाहरण दे रहा हूं। राम नरेश जी मुख्य मंत्री थे। उन्होंने कितना बरदाश्त किया। उनके चेम्बर में घुस आए। लेकिन बलप्रयोग नहीं हुआ। इत्तफाक से सारे लड़के मुसलमान होते तो इसी काउन्सिल हाउस के अन्दर हिन्दू मुसलमान का दंगा होने लगता। इस तरह से यहां उठाने का तरीका है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कभी भी इस तरह से साम्प्रदायिक हिन्दू मुसलमान के दंगे नहीं रोक सकते जब तक हिन्दू मुसलमान मिल कर इकट्ठा होकर आवाज नहीं लगाएंगे और ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेंगे। खाली मुसलमान लगा कर ऐसी बात कहें उससे और ज्यादा तकलीफ होगी। अलीगढ़ के लड़कों ने पिछले दंगे में सरकारी रिपोर्ट है, वहां के विद्यार्थियों ने अमनोअमान कायम रखा कालेज के अन्दर झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैं वहां के एथारिटीज के लिए कहता हूं कि झगड़ा होने के पहले सी० आई० डी० उन व्यक्तियों को क्यों नहीं पकड़ती। हिन्दू मुस्लिम का जो प्रचार होता चला जाता है, उस वक्त गिरफ्तारी नहीं करती। जब दंगा हो जाता है तो लोगों को पुलिस पकड़ने लगती है। होम्योपैथिक छात्रों का एक बहुत बड़ा मामला था प्रदेश का, उसको स्वास्थ्य मंत्री ने आसानी से हल कर दिया।

इस तरह से दंगे तभी रोके जा सकते हैं, इस पक्ष के या उस पक्ष के बैठने वाले, अगर वह समझते हैं, इस तरह के इश्यू बनाकर जनता पार्टी की सरकार को कमजोर कर देंगे तो इस इश्यू पर कमजोर नहीं होगी। इस तरह से आप खुद कमजोर हो जायेंगे। आपसे सवाल किए जायेंगे कि आप खड़े होकर हमें पिटवाते रहे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे इस सम्बन्ध में कोई मजबूत कदम उठायें। चाहे सी० आई० डी० के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जरिये, चाहे जो भी उचित समझें उस तरह से इसकी जांच करायें और दोषी लोगों को दंडित करे। साम्प्रदायिक तत्वों का सर कुचलना होगा और उसके लिए आप ताकत का सहारा लें।

श्री विजय राज सिंह---

हमें भी समय मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष---

मिलेगा।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

यह प्रदेश का दुर्भाग्य है और देश का भी कि जब से यह जनता पार्टी की सरकार आई है तब से अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है और इसका कारण देश में होने वाले साम्प्रदायिक दंगे ही हैं। अलीगढ़ में क्या हुआ, छात्र गाड़ी में बैठकर दादरी स्टेशन आये, 71 लड़कों के चोटें आयीं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि पैसेन्जर से झगड़ा हुआ, यह कैसे सम्भव हो सकता है कि पैसेन्जर्स से झगड़ा हो और किसी भी पैसेन्जर के चोट न आये। यह झगड़ा पूर्व नियोजित था। इसके कारण आज साम्प्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा है। माइनारिटी कैरेक्टर की जहां तक बात है, राज्य सभा के सदस्य माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने राज्य सभा में इस संबंध में एक नान आफिशियल बिल पेश किया था जो वहां से पास भी हो गया, अगर लोक सभा में भी वह पास हो गया होता तो यह बात आज न होने पाती। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस सारी घटना की सी० आई० डी० द्वारा या कोई जुडिशियल जांच करायें ताकि जिनके चोटें आई हैं, जो सताए गए हैं, उन्हें संतोष हो सके।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां ((जिला बहराइच)---

माम्यवर, हम तो गद्दार सही, पाबन्द वफा तुम भी नहीं, अपनी कसरत पे न इतराओ, खुदा तुम भी नहीं।

इन शब्दों के साथ में यह कहना चाहता हूं कि अभी हमारे यहां जिन मुस्लिम भाइयों नें तकरीरें की हैं---बर्क साहब, खान गुफरान साहब और बाबू बदरे, उनके अलफाज में [× × ×] लगावट है, लालच है...

(व्यवधान)

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ एतराज करने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपया अपनी बात कहें, किसी माननीय सदस्य की बात न कहें। यह शब्द [× × ×] कार्यवाही से निकाल दिया जायगा।

श्री देव बहादुर सिंह---

क्यों निकाल दिया जायेगा ?

(व्यवधान के मध्य)

नोट :---[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, अगर [× × ×] शब्द असंसदीय है, तो जनता पार्टी का जितना भाषण है, सभी असंसदीय है ।

श्री बाबू बदरे--

जनता पार्टी की आंधी में ये टिकट पा गये, दुबारा म्युनिसिपैलिटी का टिकट भी नहीं पायेंगे । मान्यवर, यह [× × ×] शब्द वापस करवायें ।

श्री उपाध्यक्ष--

मोहम्मद आतिफ साहब, कोई ऐसी बात न कहें जिससे सदन के अन्दर कोई उत्तेजना पैदा हो, ऐसा भाषण न दें । कोई घटना के बारे में आपको जानकारी हो, वह कहें ।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां--

इस मुल्क की अजीब बदकिस्मती है कि इस मुल्क का जितना सोशलिस्ट ग्रुप है, वह सबसे ज्यादा कम्युनल है, और कम्युनल बातें करता है । आज जो सूरतेहाल अलीगढ़ में हुई है, कि लड़कों को मारा गया है....

(घोर व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपना भाषण खत्म करें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है

श्री उपाध्यक्ष--

बैठिये, बैठिये ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है....।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिये, मोहम्मद आतिफ खां । आप बैठें ।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां--

आप हमारी वफादारी की कद्र कीजिए । की बात करते हैं तो क्या आप [× × ×] की बातें नहीं करते हैं । इस मुल्क की जब तकसीम हुई है, तब इलाकाई आबादी के लिहाज से हुई थी ... ।

(घोर व्यवधान)

नोट :—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठिये । अब मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा । अब 5 मिनट के समय में मुख्य मंत्री जी इसका जवाब दे देंगे । अब मैं इसको मुनासिब नहीं समझता ।

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हो गए और कुछ बोलने लगे, जो सुनाई नहीं पड़ा ।)

मैं सदन का समय बढ़ाना चाहता था, लेकिन जब आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, अब ऐसी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है । इस तरह से तो काम नहीं चल सकता, जब एक माननीय सदस्य को बुलाता हूं, तो वह बोले कुछ सहयोग देने के लिए, आप लोग हैं, गर्मी पैदा करने के लिए नहीं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, माननीय खान मोहम्मद आतिफ जब बोलते थे, तो एक सेन्टेंस उन्होंने कहा कि जितने सोशलिस्ट ब्लाक के लोग होते हैं, वह सब कम्युनल होते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो कार्यवाही देखने से पता चल सकता है । इतना शोर हो रहा था कि किसी ने कुछ नहीं सुना, वही चापलूसी की बात सुनी थी । कार्यवाही निकाल कर मैं देख लूंगा, कोई शब्द असंसदीय होगा, तो उसको भी कार्यवाही से निकाल दिया जायगा ।

(एक साथ कई माननीय सदस्य खड़े होकर समय बढ़ाने की मांग करने लगे ।)

श्री उपाध्यक्ष--

समय बढ़ाने का जब सवाल होगा, तब देखा जायगा ।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

(व्यवधान के मध्य) उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक मंत्रालय या शासन का सवाल है वह तो जिम्मेदारियां होती हैं लेकिन उससे साथ साथ ध्यान रखना चाहिए कि जितनी अकलियत किसी भी कौम की आती है, मजारिटी या माइनारिटी की, हमेशा ख्याल रखिए । मेरा आरोप यह नहीं है । हमेशा हर शासन में दंगे होते रहेंगे न कोई रोक सका है, न रोक सकेंगे । माननीय मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश के 45 साल से ऐसे लोगों के साथ हैं जिन्होंने युनिवर्सिट की बुनियाद कायम की । गांधी जी, नेहरू के साथ । इनके साथ-साथ जो सदस्य हैं जिन्होंने यह सूचना पढ़ कर सुनाई थी और बताया था कि कुछ साम्प्रदायिक लोगों ने ऐसा किया, उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं, आपके शासन ने जो नहीं किया, वह बड़े शर्म की बात है । तुरन्त इसके मुतलिक गिरफ्तारियां होनी चाहिए । लड़के उधम करते हैं, दंगा करते हैं, हर जगह ऐसा होता है, हर घर में यह होता है । तो मन के अन्दर चाहे इधर के हों चाहे उधर के, यह लीपना चाहते थे मगर लीप नहीं सके । हमारे जिले के हमारे भाई उनको भी इस मामले में इन्ट्रेस्ट लेकर काम करना चाहिए था । लड़के मेरे हों या आपके । हमारी आपकी

[श्री मुकीमुर्रहमान—]

सूरत में फर्क है । हिन्दुस्तान के रहने वाले हिन्दुस्तानी मुसलमान जो भारत माता की जय बोलते हैं, आप लोग आरोप लगाते हैं तो हम माइनारिटी के आदमी हैं, यह सही नहीं है। अलीगढ़ में 50, 60 फीसदी मोहम्मडन पढ़ते हैं । वहां ऐसा क्यों होता है । 50 फीसदी वहां माइनारिटी के पढ़ते हैं । श्री नेम सिंह चौहान ने जो विचार व्यक्त किए हैं वह सही नहीं है ।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, मैं बैठने वाला हूं । मगर जो कहा गया कि शासन की ओर से अधिकारी बहुत कम हैं और झगड़ा हो गया तो इस तरह से आपकी सूचना का तरीका, सदस्य, विधान सभा का, अगर होगा तो 58 फीसदी अकिलियात के आदमी हैं । मोरार जी देसाई, चरण सिंह के इलेक्शन में लड़कों ने काम किया है और उन्हें माफ कर दें तो उन्हें सजा दो लेकिन इतनी सजा दो कि वे बरदाश्त कर सकें ।

इस प्रकार से रायट्स रुकने वाले नहीं हैं । झगड़ा जो है वह हिन्दू और मुसलमानों का झगड़ा है । मेरा जो निवेदन है अपने मुख्य मंत्री जी से वह यह है कि शासन के अन्दर यह जो नीतियां हैं, जितने भी आफीसर्स हैं उनसे कहें कि वे इस पर सख्ती से अमल करें । माननीय मुख्य मंत्री तथा सभी मंत्रियों से मेरा निवेदन है कि वे सख्ती से कार्य करें अगर वे ऐसे ही कार्य करते रहेंगे तो शासन के सामने हमेशा ही ऐसी स्थिति पैदा होती रहेगी ।

श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)—

अर्ज यह करना है कि यह साम्प्रदायिक मामला नहीं है । जम्हूरियत बनाम फासिज्म एक मुकदमा है । आपने अखबार में पढ़ा होगा अलीगढ़ में हिन्दू महासभा ग्रामीण क्षेत्र परिषद्, वीर सावरकर सभा, विद्यार्थी परिषद्, जनता युवा मोर्चा, राष्ट्रवादी जनता मोर्चा । इन 6 संगठनों के अलावा दूसरे भी शामिल थे । इन सबकी इस झगड़े से दो दिन पहले एक मीटिंग हुई थी । उस मीटिंग में कहा था कि अगर सरकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी को माइनारिटी कैरेक्टर बहाल कर देगी तो इस संगठन ने यह तय किया था कि प्रधान मन्त्री के निवास के सामने इस संगठन के लोग आत्मदाह करेंगे । इस मीटिंग में यह भी तय हुआ था कि अलीगढ़ में जो स्कूल और कालेज हैं, उनको बन्द कराया जाए और वे बन्द भी हुए थे । जब आप इस मसले को विशेष तौर से देखेंगे कि साम्प्रदायिक संगठन पर निगाहें रखी जाती हैं तभी इस मामले को हल किया जा सकता है ।

माननीय मुख्य मंत्री जी ए0एम0 यू0 के माइनारिटी कैरेक्टर के एडवोकेट रहे हैं, इस मसले से वह अच्छी तरह वाकिफ हैं और पार्लियामेन्ट में काफी जानकारी दे चुके हैं कि वह कौन सा तबका है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनारिटी करेक्टर के खिलाफ हमेशा साजिश करता रहा है । आज वह हुकूमत में नहीं है तो उसके नुमाइन्दे इस साजिश में लगे हैं । मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी का स्टूडेन्ट रह चुका हूं । हमलोग जम्हूरियत के कायल हैं और उसी जमहूरित की सही तसवीर पेश करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी के स्टूडेन्टस विधेयक 1979 के खिलाफ पार्लियामेन्ट के सामने प्रदर्शन करने जा रहे थे और इस तरह वह चाहते हैं कि मुजाहिरा करके जमहूरियत में अपने यकीन का एलान किया जाये । इन संगठनों का, जिनका मैंने पहले जिक्र किया जम्हूरियत पर

यकीन नहीं है। इन सभी ने एक जुट होकर जम्हूरियत को कतल करने की कोशिश की इनकी साजिश ए० एम० यू० के स्टूडेन्टस को मारने की नहीं बल्कि फासिज्म का झंडा गाड़ने की थी।

मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी को बहुत गौर से इस मसले पर सोचना होगा। यह सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी का मसला नहीं है बल्कि जम्हूरियत और फासिज्म का है इस लिये मुख्य मन्त्री जी को इधर गौर करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आधे घन्टे का समय बढ़ाये देता हूं।

*श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, जब-जब भी देश में और प्रदेश में ऐसे दंगे हुए हैं तो एक खास बात रही है कि वह दंगे सिर्फ शहरों तक सीमित रहे हैं। गांवों में जहां 80 फीसदी लोग रहते हैं वहां तक वह दंगे नहीं पहुंच सके सिर्फ देश के बटवारे के समय को छोड़ कर। मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि दंगा हो गया, झगड़ा हो गया उससे मैं सहमत नहीं हूं। आखिर अलीगढ़ के बाद खुर्जा, चूला, दमकोट आदि जगहों को क्यों न चुनकर दादरी ही क्यों चुना गया। आज से 4 साल पहले वहां पर हिन्दू मुस्लिम दंगा हुआ था और 40-50 गरीब मुसलमानों के मकान जलाये गये थे। तो दादरी ऐसी जगह थी जहां पर ऐसी मनोवृत्ति थी कि ऐसा झगड़ा कराया जा सकता है। लड़के अलीगढ़ से जा रहे थे। 300-400 को पीटने की बात कही गयी है तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। क्योंकि 300-400 लड़कों को पीटने के लिए दो गुने या बराबर लोग होने चाहिए। थाना दादरी स्टेशन से केवल 2 कि० मी० दूर है लेकिन वहां पुलिस 2 घंटे के बाद भी नहीं पहुंची। लड़के रिपोर्ट करते हैं तब पुलिस जाती है। तो इस झगड़े की योजना पहले से बनायी गयी थी और लड़कों को मारा गया। सवाल यह है कि माइनारिटी करेक्टर रहे या न रहे, इस पर दो मत हो सकते हैं। लेकिन अगर अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन या रैली करन के लिए कोई जाय और कुछ लोग उससे इत्तफाक न करते हों, वह पकड़ कर लोगों को रास्ते में मारे तो लोक तंत्र कैसे चलेगा। मैं मुख्य मन्त्री को बताना चाहता हूं कि यह चेतावनी है। बड़े पैमाने पर झगड़े की व्यवस्था की जा रही है आपका आदेश हो गया कि जहां झगड़ा होगा वहां एस० पी० और कलेक्टर की जिम्मेदारी होगी। अलीगढ़ से कह दिया गया कि मेरे यहां नहीं हुआ, बुलन्दशहर से कह दिया गया कि मुझे नहीं पता। मैं आप से निवेदन करता हूं कि अलीगढ़ से लोग सवार हुये बुलन्दशहर से लोग सवार हुये और उस स्थान को चुना गया। मुझे जो जानकारी दी गयी है वह यह है कि उसमें वह लोग शामिल हुये जो लगातार मुस्लिम यूनिवर्सिटी करेक्टर क विरोध करते रहे हैं। श्रीमन, यह सब बातें हैं, अगर आप सरकारी रिपोर्ट पर रह जायेंगे तो मैं कहूंगा कि आप आंखें बन्द कर रहे हैं। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने घटना के बारे में यहां पर अपना बयान दिया है, मैं समझता हूं कि इस घटना को देखते हुये मुख्य मन्त्री जी को स्वयं घटन स्थल पर जाना चाहिए। वहां जाकर सारी जानकारी करनी चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री [illegible] काश--]

पुलिस या प्रशासन के स्तर पर भी इसकी जांच करानी चाहिये। अगर माननीय सदस्य चाहें तो सदन की एक कमेटी वहां जा कर तथ्यों की जानकारी कर सकती है।

यह मैं मुख्य मन्त्री से निवेदन करूंगा। लेकिन इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि जब बेवकूफी की चर्चा या बेवकूफी का विश्लेषण विद्वान करते हैं तो बात की उड़ान बहुत ऊंची हो जाती है। वहां पर जो घटना हुई उसको साम्प्रदायिक दंगा कहें तो इससे कोई सहमत नहीं होगा और न यह साम्प्रदायिक घटना ही है और न साम्प्रदायिक वारदात। कुछ विद्यार्थी जा रहे थे उसको कोई कह दे कि साम्प्रदायिक लोग जा रहे थे तो इसको कोई मुसलमान बरदाश्त नहीं करेगा, हिन्दू जब तक जिन्दा रहेगा वह बरदाश्त नहीं करेगा। लेकिन जर्म सब बरदाश्त कर रहे हैं। मुझे घटना याद आती है कि कालीदास जब मूर्ख थे तो उनको एक अंगुली दिखायी गयी तो उन्होंने बेवकूफी में दो अंगुली दिखायी और जब पांच अंगुलियां दिखायी गयीं तो उन्होंने मुक्का दिखाया। तो दादरी की व्याख्या यदि इस प्रकार करने लगें तो समाजवाद इस देश में नहीं रहेगा और फासिज्म आ जायेगा और तथ्यों तक पहुंचने की सहुलियत हमको नहीं मिल पायेगी। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि यदि इस देश में कोई मुसलमान पिटता है तो उसको ही दर्द नहीं होना चाहिये। बल्कि हिन्दू को भी दर्द होता है और हिन्दू कोई पिटता है तो उसको ही दर्द नहीं होना चाहिये बल्कि मुसलमान को भी दर्द होता है।

इसलिए मैं कहूंगा कि इस देश में अलीगढ़ विश्वविद्यालय केवल मुसलमानों के संतुलन की चीज नहीं है बल्कि वह देश की सम्पत्ति और उत्तर प्रदेश की सम्पत्ति है। इसी तरह काशी विश्वविद्यालय पं० मदन मोहन मालवीय ने निर्माण किया तो वह किसी विशेष साम्प्रदायिक लोगों की सम्पत्ति नहीं है। इसलिये अलीगढ़ विश्वविद्यालय स्वरूप को रखने के लिये जहां डा० फरीदी ने कुरबानी दिया और श्री आरिफ जी ने कुरबानी दिया वही श्री राजनारायण और श्री मानसिंह आजाद ने भी कुरबानी दिया है। इसलिये कई माननीय सदस्य चाहते हैं कि उसका कम अकलियत का कैरेक्टर ही बना रहे।

मान्यवर, यह एक महीने में दूसरी घटना है जब कि विद्यार्थी पीटा गया है। मैं समझता हूं कि 300-400 विद्यार्थी से कम नहीं थे, वह जा रहे थे परन्तु फिर झगड़ा हो गया। हाल में भोपाल में युवा जनता में सम्मेलन था। बनारस के विद्यार्थी गये थे। इलाहाबाद स्टेशन के पास में छात्रों-छात्रों में झगड़ा हो गया। उसके पहले युवक कांग्रेस वाले रैली करने जाते थे तो झगड़े हो जाते थे। तो झगड़े क्यों हुये हैं उसको दूसरी नजर से देखना चाहिए। मैं दुबारा मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि आप मौके पर जायें और जांच करें तथा साम्प्रदायिक नजर से इस घटना को न देखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

5·36 पर डेढ़ घन्टा पूरा हो जाता है। इस लिए अब मैं श्री सेठी को मौका देता हूं और उसके बाद मुख्य मन्त्री जी बोलेंगे।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो इस मामले में भाषण दिया है, उसमें कहा कि अब वातावरण शांत है। लेकिन जो इस समय हाउस का वातावरण है, उससे समझ सकते है कि क्या स्थिति है। मुख्य मन्त्री जी ने इस सदन में जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कह दिया, कह दिया। वह नहीं समझते कि यह बहुत टेढ़ा रोग है। जब साम्प्रदायिक दंगे की बात होती है तो प्रजातंत्र को बड़ा खतरा हो जाता है। मुख्य मन्त्री जी को इस बात को समझ कर चलना चाहिये और यह जुडीशियल इन्क्वायरी से, या मैजिस्ट्रेट इन्क्वायरी से या फलां इन्क्वारी से कुछ नहीं होने वाला। यह बात साफ है कि जब 14/15 लोग, स्टूडेन्टस छात्र कहीं जा रहे हों, और प्रदर्शन करने के लिये जा रहे हों, तो उनमें एक ताकत होती है और अगर वे पिट जायं तो समझना चाहिए कि माहौल गम्भीर है। तो यह सदन का मिशन बनना चाहिये, कोई कमेटी बननी चाहिए, उसके लिए चाहे आप छांट दें सदन के सदस्यों में से या और कोई तरीके से छांट दिया जाय और ये लोग जा कर स्थिति की पूरी जानकारी करें और अपनी रिपोर्ट सदन को प्रस्तुत करें।

दूसरी बात यह है कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लोग पकड़े नहीं गये। मान्यवर, इसमें कोई सिख, इसाई या मुसलमान की बात नहीं है। अगर किसी के साथ ज्यादती होती है। तो हमको दर्द होता है और पुरी सहानुभूति होती है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़कों के साथ जो सलूक हुआ, उसके लिये हमें दर्द है और उपाध्यक्ष महोदय, जिन विघटनकारी लोगों ने ये हिस्सा लिया, उनको सजा मिलनी चाहिए।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

आपने कहा था, मुझको भी थोड़ा समय दे देंगे।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

मुझको भी बोलने का मौका दिया जाय वरना मैं सदन का त्याग कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपकी तरफ से आरिफ साहब को 15 मिन्ट का समय दिया है।

श्री एस० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित)—

मान्यवर, यह जो घटना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेन्ट्स के साथ हुई है, बहुत ही अफसोसजनक है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि केवल मुस्लिम माइनरिटीज में ही घटना नहीं हुई है, बल्कि दूसरी माइनरिटीज में भी घटनायें हुई हैं। हमारी क्रिश्चियन माइनरिटीज में कभी जुलूस नहीं निकाला लेकिन अब की साल उसको निकालना पड़ा क्योंकि हमारे मजहब के ऊपर भी मालूम हो रहा है कि कुछ हो रहा है। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि माइनरिटीज में कानफीडेंस डालना चाहिये। यह जो घटना हुई है अलीगढ़ में, या जो आगरा और कानपुर में घटनायें हुई हैं, सभी जगह इस बात को देखना चाहिये कि क्या कारण है। किसकी जमीन है और कौन ले रहा है। सरकार हमारी गिरजा घरों के भी जमीन लेने की कोशिश कर रही है। यह मालूम होता है कि सरकार क्रिश्चियन्स की ऊपर भी जमीन लेने जा रही है इससे क्रिश्चियन्स कम्युनिटी में भी अनसरटेन्टी की बात हो रही है। हम लोग भी उत्तर प्रदेशीय हैं, हिन्दुस्तानी है। हम लोग अपनी जान देने के लिये तैयार है अपने हिन्दुस्तान के लिए, पर जब अपने दिल में कान्फिडेन्स नहीं रहता है तो हम लोगों को यह दुख होता है कि सरकार हम लोगों की तरफ देख रही है कि नहीं देख रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*मुख्य मन्त्री (श्री बनरसी दास)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम के गुण और दोषों पर विचार व्यक्त करने का न तो यह अवसर है और न यह सदन उस पर विचार करने के लिए सक्षम है। विश्वविद्यालय कानून पर विचार करने, संशोधन करने का का, अधिकार तो केवल संसद का है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा ही स्थापित हुई और उनमें संशोधन भी संसद ने ही किया है। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं, हमारे विचार कुछ भी हों लेकिन प्रत्येक वर्ग को इस बात का अधिकार है कि वह आजादी के साथ, जब तक वह अशांतिमय और हिंसात्मक न हो, अपनी बातों को कह सकें, उसके लिये प्रदर्शन कर सके। ए०एम०यू० के छात्रों का यह अधिकार था कि वे दिल्ली में जा कर अधिनियम के विरुद्ध प्रदर्शन करें अपना मत व्यक्त करे। दिल्ली को जाते हुए उन पर जो ज्यादती हुई, वह भर्त्सना के काबिल है और वह अत्यन्त निन्दनीय है। लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक दोनों पक्षों के सदस्यों से कहूंगा कि साम्प्रदायिकता एक विष है। कितनी डिग्री तक, किसके दिमाग में यह साम्प्रदायिकता का विष है, यह केवल एक सापेक्षिक है, उसका इलाज केवल प्रशासकीय साधनों से नहीं किया जा सकता है। अगर एक कुएं में भांग डाल दी जाय तो सारा का सारा कुआं नशीला बन जाता है। क्या कारण है कि समय-समय पर साम्प्रदायिक दंगे पैदा होते हैं ? कोई भी सरकार इतनी सर्वशक्तिमान नहीं है और न कोई सरकार इतनी सर्वव्यापक और सर्वज्ञ है कि किसी के दिमाग में क्या पागलपन है, इसका पहले से अन्दाजा लगा ले या अन्तरिक्ष से कोई ऐसा यन्त्र निकाल ले जिससे यह पता हो कि किसके दिमाग मे क्या पागलपन है।

अभी कहा गया कि जब से जनता सरकार आई, तब से झगड़े हुए। सन् 1971 में अलीगढ़ में दंगा हुआ, मुरादाबाद में दंगा हुआ, इमरजेंसी में सम्भल में दंगा हुआ, मुरादाबाद में झगड़ा हुआ, जब कि जबान पर पाबन्दी थी। तो इमरजेंसी के दौरान में भी साम्प्रदायिक दंग हुए। मुजफरनगर में, उसको यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सरकार की ओर से संगठित हो कर एक प्रकार का जुल्म किया गया। साम्प्रदायिक दंगों का यह जो साम्प्रदायिक स्वरुप है, इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसके पीछे उन व्यक्तियों का हाथ हो सकता है जो अलीगढ़ यूनीवर्सिटी को माइनारिटी कैरेक्टर देने के विरोधी थे। अलीगढ़ के लड़कों ने, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, वापस आने पर कहा था कि कुछ अलीगढ़ के लोग दादरी के अन्दर थे। लेकिन यह कहना गलत है कि शासन ने तत्परता से काम नहीं लिया। मैंने अपने प्रारम्भिक वक्तव्य में भी यह कहा कि दादरी स्टेशन के पास, ट्रेक के पास, चार छात्रों को गिरफ्तार किया गया। चार छात्र गिरफ्तार किये गये। यह जो आज का वातावरण है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि साम्प्रदायिक है। और कोई हिन्दुस्तान एक क्वेरेन्टाइन में नहीं रहता है। तमाम संसार के अन्दर एक साम्प्रदायिक वातावरण है। मिसेज थैचर ब्रिटेन की प्रधान मन्त्री बनी है, दूसरी किस्म है।

अभी हमारे ग्राइस साहब शिकायत कर रहे थे कि हिन्दुस्तानियों को निकाला जा रहा है। अफ्रीका में दूसरी तरह का है, युगेन्डा में दूसरी तरह का है। तो जब सारा वातावरण एक है हिन्दुस्तान से यह उम्मीद करना कि यहां के सब लोगों को इम्युनाइजेशन का टीका लगा दिया गया है, यह उसका इलाज नहीं है। उसका तरीका गणेश शंकर विद्यार्थी का कानपुर के अन्दर देखने को मिला, उसका तरीका सन 1946 में महात्मा गांधी ने दिखाया था जब वह कलकत्ते के अन्दर गये

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और लार्ड माउन्टेनबेटन ने कहा था वन मुन बाउन्डरी फोर्स । मुसलमान मुहल्ले में दो नौजवान स्नातक लड़के गये और वह शहीद हो गये । हिन्दुओं के मुहल्ले में दो मुसलमान लड़के गये और वहां पर हिन्दू साम्प्रदायिकता के वायदे पर वे शहीद हो गये । लेकिन उनकी शहादत ने कलकत्ते के अन्दर शांति स्थापित की । दिल्ली के अन्दर महात्मा गांधी शहीद हो गये ।

तो यहां पर केवल तकरीर से वह हल नहीं होगी । आरिफ साहब जिस तरह से तकरीर करते हैं वह एक जहनियत मालूम होती है, एक साम्प्रदायिक इतिहास के परिवेश में या जिस ढंग से वह पेश करना चाहते हैं उसका ताल्लुक हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता से नहीं है । मैं जानता हूं कि कभी मांग होती है यहां पर । पंडित नेहरू पर भी छींटाकशी की गयी । अगर महात्मा गांधी को सिक्यूलर नहीं कह सकते तो आरिफ साहब को कोई सिक्यूलर कैसे कह सकता है । उसका तरीका है । जहां तक सरकार का सवाल है । जितने भी हम मेजर ले सकते थे उससे यह घटना आगे नहीं बढ़ पायी । चार लड़कों को गिरफ्तार किया गया और अभी चार बजे वहां के उप कुलपति से सूचना मिली है कि उनसे कलेक्टर साहब और कमिश्नर ने मालूम किया कि कोई लड़का मिसिंग है । यह लड़के का नाम कुलपति ने नहीं बताया है । मैंने जैसा बताया है कि कल दिल्ली में 71 लड़के दाखिल हुए, 50 को तो कल ही रिहा कर दिया गया है । 20 रह गये थे । उनमें से 17 को आज रिहा कर दिया गया । तीन लड़कों का उपचार हो रहा है । जिन लड़कों को चोटें लगीं उनको प्राथमिक चिकित्सा के बाद भेज दिया गया । सवाल यह नहीं है कि चोट लगी । मैं खुद ही भर्त्सना करता हूं लेकिन यह कोई अकेली घटना नहीं है ।

रेल गाड़ियों में बहुत से इस तरह के वाक्यात हुए हैं । शासन पूरी तरह से प्रयत्नशील है कि इन समाज विरोधी तत्वों को दबाया जाय और पूरी तरह से इस बात की छानबीन की जा रही है कि इसमें किन लोगों का हाथ था और जो व्यक्ति दोषी पाये जायेंगे उनको माफ नहीं किया जायगा । कार्यवाही की जायगी । लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि सफीक साहब को और लोगों को भी कि क्या वाकई हिन्दुस्तान के अन्दर अकलियत सुरक्षित नहीं है । क्या इस देश के अन्दर अकलियत को कोई खतरा है (आवाजें है) ऐसा जो भी आदमी सोचते हैं हिन्दुस्तान की तस्वीर उन मुल्कों में जहां हिन्दुस्तान के लिए कोई जगह नहीं है, जहां पर साम्प्रदायिकता का नंगा नाच हो रहा है आप ऐसा कह कर उनको एक हैंडिल देते हैं ।

1905 में मिंटो मारले रिफार्म्स के जरिये से अंग्रेज ने हिन्दुस्तान में हिन्दू मुसलमान को तकसीम करने की कोशिश की और उनके बाद से यहां साम्प्रदायिक झगड़े शुरू हो गये । अंग्रेजी राज्य में जब मुसलमान बड़ी तादाद में पुलिस में थे, फौज में थे क्या उस समय इस बात की कोशिश नहीं की गयी ? तो फिर चाहे जनता पार्टी की सरकार हो अथवा कांग्रेस की सरकार सरकार थी हर सरकार में यह हुआ । मैं उन लोगों में से नहीं हूं, जब विरोध पक्ष में था तो यह कहूं कि कांग्रेस ने अथवा इन्दिरा जी के समय जानबूझ कर साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया । सरकार पूरी तरह से प्रयत्नशील है और हमारी नीति सेकुलरिज्म की है लेकिन केवल व्याख्यान देने से क्या साम्प्रदायिकता समाप्त हो सकती है ? सबसे पहले हम अपने दिमागों का संतुलन कायम करें । हमारे सोचने का यह तरीका खत्म होना चाहिये कि कितने मुसलमान मारे गये, कितने हिन्दू मारे गये । क्या मेथमेटिकल केलकुलेशन है कि फलां स्थान पर 10 मुसलमान

[श्री बनारसी दास—]

मारे गये और 7 हिन्दू मारे गये तीन मुसलमान ज्यादा मारे गये या दूसरी जगह 15 हिन्दू मारे गये और 10 मुसलमान मारे गये यह सब सोचने का तरीका साम्प्रदायिकता का संकीर्ण तरीका है ।

असली पहचान सेकुलरिज्म की यह है कि हवा कितनी ही खराब क्यों न हो, वातावरण कितना ही विक्षुब्ध क्यों न हो हम स्थिर रहें, शान्त रहें । हमने पार्टीशन के वक्त भी देखा और आरिफ साहब भी जानते हैं अपने जिले के अन्दर 46–47 में एक जगह उनके गांव के पास 30 हजार हिन्दू और 20 हजार मुसलमान पेट्रोल लिये हुए मौजूद थे बीच में जाकर हमने उनको शान्त कराया नहीं तो हजारों आदमियों की जान का खतरा था । यह हर आदमी का अधिकार है शान्तिमय ढंग से प्रदर्शन करने का । मुसलमान यूनिवर्सिटी के लड़कों का यह अधिकार था । जिन लोगों ने इसमें दखल दिया जैसा बारी साहब ने कहा वह सही है कि यह जम्हूरियत और फासिज्म का झगड़ा है । यह जहनियत फासिज्म की वह होती है जो किसी भी व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने से रोकती है । फासिज्म का मतलब है कि अनुदारता, संकीर्णता, एक दूसरे के विरुद्ध विचारों को सुनने की जहनियत न होना । एक बात मैं कह सकता हूं कि अलीगढ़ के अन्दर कोई तनाव नहीं है । वी० सी० ने भी यकीन दिलाया है कि वहां पर कोई उत्तेजना नहीं होगी । मैं अलीगढ़ के लड़कों को मुबारकबाद देता हूं इस बात के लिये कि वहां पर जैसी कि मुझे सूचना मिली है किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटी है। इसकी जांच की जा रही है । चार लड़के कल गिरफ्तार किए गये हैं। जो दोषी पाये जायेंगे उनको दंडित किया जायगा । यह भी पता लगाया जायगा कि इस तरह के कितने लड़के गये, इतनी भीड़ कैसे जमा हुई, एल० आई० यू० क्यों फेल हुई ।

आज नहीं बहुत दफा इस मुल्क में ऐसा हुआ है कि पहले से सही सूचना नहीं मिलती । जिस रिपोर्ट पर हम भरोसा करते हैं वह सही नहीं होती है। इसी प्रकार इन्दिरा गांधी ने भरोसा करके 1977 का चुनाव करा दिया था । मुझे यह मानने में कोई लज्जा नहीं है । मैं इसे अपनी इन्टेलीजेन्स की कमी समझता हूं । इन्टेलीजेन्स को अलीगढ़ में यह मालूम होना चाहिए था । जैसा शफीकुर्रहमान साहब ने कहा कि मुसलमानों को पुलिस में भरती किया जाय । मैंने इस सम्बन्ध में आई० जी० को पूछा था । सब इन्सपेक्टर के पद पर मुसलमान लड़के कितने हैं तो उन्होंने कहा कि उनकी दरख्वास्त नहीं आती। फौज में और पुलिस में कुछ ऐसा वातावरण हो गया है कि इसमें मुसलमान नहीं लिए जाते, इसको दूर करना चाहिए । हम चाहते हैं कि मुसलमान इसमें बड़ी तादाद में भरती हों । अभी हमारे यहां 3 हजार से ज्यादा सब इन्सपेक्टरों की भरती होगी। हम चाहते हैं कि इसमें उनको दरख्वास्त देनी चाहिए । उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा । खोदायजी और चुनाव करने वाले इस बात का ध्यान रखेंगे कि मुसलमान लड़कों के साथ सहानुभूति के साथ गौर किया जायेगा । एक अविश्वास सा हो गया है, जिसे हमें दूर करना होगा । पी० ए० सी०, पुलिस और थानेदार में भी इन लोगों को आना चाहिए । यह हमारी कोशिश होगी कि अगर मुसलमान बड़ी तादाद में आते हैं तो उनको चुनने में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा । लेकिन यह जो अकलियत और अक्सरियत का सवाल है यह कहना कठिन है कि कहां अकिलयत है और कहां अक्सरियत है । मैं यह नहीं जानता कि हिन्दुओं में अक्सरियत है । यहां पर कोई बात कही जाय तो यह ब्राह्मण है, यह नहीं है । ऐसा कहा जाता है । यहां यह हालात पैदा हो गये हैं कि यदि ब्राह्मण को कोई जांच की जाती है तो यकीन नहीं होता, यादव को जांच की जाती है तो उस पर

यकीन नहीं होता । इस तरह के हालात को हमें दूर करना होगा । मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस मौके की जांच की जायेगी और जो दोषी पाया जायेगा, उसको माफ नहीं किया जायेगा ।

एक सदस्य--

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष--

अब किसी स्पष्टीकरण की मैं इजाजत नहीं देता हूं ।

विधान सभा की कतिपय समितियों तथा शासन की स्थायी समितियों में वर्ष 1979-80 में कार्य करने के लिए सदस्यों के नाम निर्देशन के लिए श्री उपाध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि--(1) उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 200 (1) के साथ पठित नियम 229 (2) के अनुसार लोक लेखा समिति में 21 से अनधिक सदस्य, नियम 231 (2) के अनुसार प्राक्कलन समिति में 25 से अनधिक सदस्य, नियम 232-ख के अनुसार सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति में 25 से अनधिक सदस्य,

(2) विधान सभा तथा विधान परिषद् द्वारा क्रमशः दिनांक 6-8-74 एवं दिनांक 14-8-74 को पारित प्रस्ताव के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति में 21 सदस्य, तथा

(3) मंत्रियों को परामर्श देने के लिए स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि के नियम 1 (ङ) के साथ पठित नियम 1 (क) के अनुसार 29 स्थायी समितियों में प्रत्येक में 16-16 सदस्य,

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए विधान सभा द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं ।

उक्त सम्बन्धित नियमों तथा प्रस्ताव के उपबन्धों के अनुसार वर्ष 1979-80 के लिए सदन को उक्त समितियों तथा मंत्रियों को परामर्श देने के लिए 29 स्थायी समितियों के लिए निर्वाचित किया जाना है ।

सम्बन्धित नियमों एवं प्रस्ताव के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे उक्त समितियों के निर्वाचन की प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, यह सदन श्री उपाध्यक्ष को जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 (1) के अन्तर्गत अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, समस्त समितियों में वर्ष 1979-80 के लिए विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशन करने हेतु प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों एवं प्रस्ताव की अपेक्षानुसार वर्ष 1979-80 के लिए विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे ।

---

*वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्ताव को यह सदन स्वीकार करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और 17 तारीख को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 46 मिनट पर वृहस्पतिवार, 17 मई, 1979 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
10 मई, 1979 ई0

विधान प्रदेश सभा

नत्थी 'क'

(देखिए अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ 877 पर)

इन्टर कालेज सगवर, उन्नाव के अध्यापकों की मांगें

1--इन्टरमीडिएट विज्ञान, जीव विज्ञान की कक्षाएं समाप्त करने का प्रबंधाधिकरण का प्रस्ताव तत्काल निरस्त किया जाय तथा कक्षायें पुनः विधिवत् चलायी जायं ।

2--अध्यापकों के बकाये वेतन का भुगतान, वेतन वृद्धि का भुगतान किया जाय तथा भविष्य निर्वाह निधि योजना लागू की जाय ।

3--अध्यापकों एवं कर्मचारियों को सेवा एवं जानमाल की सुरक्षा हेतु तत्काल साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति की जाय ।

4--विद्यालय प्रधानाचार्य के पास बी० ए० या बी० ए० के समकक्ष कोई योग्यता नहीं है । तत्काल सेवा निवृत्त किया जाय ।

5--अगर शासन अध्यापकों की उक्त मांगें पूरी करने अथवा न्याय देने में सक्षम नहीं है तो अध्यापकों को वर्तमान प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य की शोषणवादी प्रवृत्ति से छुटकारा दिलाने हेतु कहीं किसी अन्य संस्था में समायोजित कर दें ।

संसद सदस्य सूचना प्रणाली

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ 881 पर)

"विद्युत् कर्मचारी संघर्ष कमेटी उत्तर प्रदेश" ने मुख्य मंत्री जी को सूचित किया कि उन्होंने बिना शर्त हड़ताल वापस ले ली है और अनुरोध किया कि मुख्य मंत्री जी एवं विद्युत् मंत्री जी के तत्वावधान में राज्य विद्युत् परिषद् एवं संघर्ष कमेटी के बीच सद्भाव के वातावरण में विषय को सुलझाने के लिए कुछ मार्ग-दर्शक सिद्धान्त तय कर दिए जायं। इस सम्बन्ध में राज्य विद्युत् परिषद् एवं संघर्ष कमेटी के प्रतिनिधियों के बीच विस्तार से चर्चा हुई एवं निम्नलिखित बिन्दुओं पर सहमति हुई :—

(1) प्रश्नगत वेतनमानों के पुनरीक्षण एवं आर० जी० सी० के मामले पर संघर्ष कमेटी, निश्चित धनराशि जिसका विवरण क्रम संख्या 3 में दिया गया है, के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी जिससे दोनों पक्षों में समस्या का समाधान हो जाय।

(2) यदि संघर्ष कमेटी कोई प्रस्ताव 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करने में सफल नहीं होती है या यदि राज्य विद्युत् परिषद् उन प्रस्तावों से सहमत न हो तब उपरोक्त समस्याओं पर विचार करने और संस्तुति देने के लिए एक कमेटी श्रमायुक्त की अध्यक्षता में गठित की जायेगी कि जिसमें कर्मचारियों, शासन/राज्य विद्युत् परिषद् के बराबर प्रतिनिधि रहेंगे परन्तु दोनों पक्षों के पांच-पांच से अधिक प्रतिनिधि नहीं रहेंगे।

(3) वेतन के पुनरीक्षण, सम्बद्ध भत्ते, सुविधाओं एवं विसंगतियों के समाधान, एक्स लाईसेन्सी कर्मचारियों के फिटमेंट और आर० जी० सी० के (1-4-1969 से) मसले को सुलझाने में जो अधिकतम व्यय निहित होगा वह तथा 1-4-1974 से लेकर 30-11-1978 की अवधि के लिए 14.50 करोड़ रुपये तक ही सीमित रहेगा और संस्तुत वेतनमानों इत्यादि उपर्युक्त मदों का अतिरिक्त वार्षिक आवर्तक व्यय मानक सिद्धांतों के अनुसार 7 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा। परिषद् आदेश संख्या 302 बेज सेल/एस० इ० बी०-8, दिनांक 28-10-1978 तथा उसके पश्चात् जो भी सम्बन्धित आदेश वेतन भत्ते व फ्रिन्ज बनीफिट के जारी किए गए हैं उनका सम्पूर्ण अतिरिक्त व्यय भार भी उपर्युक्त धनराशि में संकलित है और रहेगा। उपरोक्त विसंगतियों के समाधान एवं एक्स लाइसेंसीज के फिटमेंट के कारण कोई विलम्ब नहीं होगा। इन कार्यों के लिए 14.50 करोड़ रुपये में से 5 लाख रुपया सुरक्षित रखा जायेगा। संघर्ष कमेटी के प्रतिनिधियों ने यह प्रस्ताव रखा कि उपरोक्त परिषद् आदेशों के फलस्वरूप एरियर का जो भुगतान किया जाना है उसको तुरन्त कर दिया जाय। इस प्रस्ताव को मान लिया गया।

(4) संघर्ष कमेटी इस बात का ध्यान रखेगी कि वेतन पुनरीक्षण एवं आर० जी० सी० के मसले को तय करते समय कोई प्रशासनिक एवं वेतन स्तर की विषमतायें उत्पन्न न हों।

(5) केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड के अन्तर्गत आर० जी० सी० के वेतन निर्धारण से सम्बन्धित कोई वाद किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष चल रहा हो तो वह तुरन्त वापस ले लिया जायेगा और इस आशय का प्रार्थना-पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष तुरन्त प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य विद्युत् परिषद् एवं संघर्ष कमेटी में निम्न बिन्दुओं पर भी सहमति हुई ।

(6) एक्स लाइसेन्सी के फिटमेंट व वेतन विसंगतियों को तय करने के बारे में शासन की मंत्रिमंडल उप-समिति द्वारा दिनांक 27-10-1978 को कमेटी गठन सम्बन्धी लिया गया निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। कमेटी अपनी रिपोर्ट गठित होने के तीन माह के अन्दर शासन को प्रस्तुत करेगी । इसके फलस्वरूप जो धनराशि देय होगी वह सात करोड़ आवर्तक एवं 14.50 करोड़ अनावर्तक के अन्तर्गत ही शामिल रहेगी ।

(7) हड़ताल में भाग लेने के कारण परिषद् के द्वारा किसी कर्मचारी को पीड़ित नहीं किया जायेगा परन्तु जिन कर्मचारियों पर हिंसा, तोड़-फोड़ का आरोप है उन्हें निलम्बित रखा जायेगा । उन्हें तब तक सेवा में निलम्बित रखा जायेगा जब तक कि वह मुकदमे से बरी न हो जाय । न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी । हड़ताली कर्मचारियों को हड़ताल की अवधि का वेतन नहीं दिया जायेगा । उन्हें अवैतनिक अवकाश पर समझा जायेगा ताकि उनकी सर्विस में ब्रेक न हो।

(8) सिक्योरिटी गार्ड के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि उनको एक सेवा नियमावली बना ली जायेगी और उसके अनुसार उनसे एक अनुबन्ध फार्म पर हस्ताक्षर कराया जायगा तथा उसके पश्चात् ही उन्हें परिषद् की सेवा में लिया जायेगा । यह कार्य समझौता के 10 दिन के अन्दर नियमावली बनाकर हस्ताक्षर कराकर पूरा कर लिया जाय ।

पी० एस० यू० पी—2 एल० ए०—3-5-80—835(पी० डी०)